इलाहाबाद— सोमवार ; १४ दिसम्बर, १९३१

पनघट की ओर

कौन ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें न जाता हो ?

'चाँद' जैसे पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए, और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६।।) है, अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी। ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ?

दिसम्बर, १९३१ की विषय-सूची

लेख — लेखक

१—विषाद (कविता) [प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए०]
२—वे और हम [सम्पादक]
३—विस्मय (कविता) [कविवर रामचरित जी उपाध्याय]
४—आघात (कहानी) [डॉक्टर धनीराम प्रेम]
५—माँ (कविता) [श्री० मोहनलाल जी महतो, "वियोगी"]
६—ईश्वरवाद [श्री० हज़ारीलाल जी मिश्र]
७—अतीत (कविता) [कुमारी शकुन्तला देवी सक्सेना]
८—वर्तमान मुस्लिम-जगत ['एक डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर']
९—अश्रु (कविता) [श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त, 'कुसुमाकर', बी० ए०, एल्-एल्० बी०]
१०—विधवा-विवाह [बाबू शीतलाप्रसाद सक्सेना, एम० ए०, बी० कॉम०, रिसर्च स्कॉलर]
११—फ़ीजी के आदि निवासी [श्री० शङ्करप्रताप जी, सूबा (फ़ीजी)]
१२—साम्यवादी वियेना [डॉक्टर धनीराम प्रेम]
१३—हमारा समाज (कहानी) [श्री० यदुनन्दनप्रसाद जी श्रीवास्तव]
१४—कान्यकुब्ज-ब्राह्मण-परिचय [मेजर एम० एल्० भार्गव, आई० एम० एस०]
१५—मिलन के प्रति (कविता) [श्री० बालकृष्ण राव]
१६—उपन्यास-कला और प्रेमचन्द के उपन्यास [श्री० केशरीकिशोर शरण जी, बी० ए०, (ऑनर्स), साहित्य-भूषण, विशारद]
१७—अनुरोध (कविता) [श्री० "शचीश"]
१८—हिन्दी-साहित्य और मुसलमान कवि [श्री० वशिष्ठ, एम० ए०, हिन्दी-प्रभाकर]
१९—दिल की आग उर्फ़ दिल-जले की आह ["पागल"]
२०—शिखा-सूत्र-महिमा [राज्यरत्न मास्टर आत्माराम जी, अमृतसरी]
२१—पति-प्रेम [श्रीमती यशोदा देवी]
२२—सरस्वती के एक लेख का उत्तर [श्री० श्यामनारायण जी बैजल]
२३—पारिवारिक व्यवस्था [श्री० "मैनी"]
२४—बङ्गाल की महिलाओं के राजनीतिक कार्य (सङ्कलित)
२५—चीन के नए क़ानून में स्त्रियों का स्थान (सङ्कलित)
२६—उत्तरी सिन्ध में विधवा-विवाह (सङ्कलित)
२७—न्याय [सम्पादक]
२८—हिन्दी साहित्य-सम्मेलन [सम्पादक]
२९—गोलमेज़ सभा [सम्पादक]
३०—सर इक़बाल [सम्पादक]
३१—विज्ञान तथा वैचित्र्य
३२—गृह-विज्ञान [श्रीमती रुक्मिणी बाई शुक्ल ; श्री० भूदेव शर्मा]
३३—सिनेमा तथा रङ्गमञ्च
३४—शिशु से (कविता) [पं० खेदहरण शर्मा, "प्राणेश"]
३५—सङ्गीत-सौरभ [शब्दकार—डॉक्टर धनीराम प्रेम ; स्वरकार—नीलू बाबू]
३६—चिट्ठी-पत्री [सम्पादक]
३७—दिलचस्प मुक़दमे [सम्पादक]
३८—श्रीजगद्गुरु का फ़तवा [हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]
३९—पुरस्कार-प्रतियोगिता [सम्पादक]

इसके अतिरिक्त ३ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर), अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो किसी और पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

☞ चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक—इलाहाबाद

वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; १४ दिसम्बर, १९३१ | संख्या ११, पूर्ण संख्या ६१

सरकार ने पुलिस के लिए २० हज़ार लाठियाँ ख़रीदीं

लगानबन्दी के विरुद्ध सरकार की तैयारी

रायबरेली में कॉङ्ग्रेसमैनों पर नोटिस :: कानपुर में गिरफ़्तारी और तलाशी

११ दिसम्बर की शाम को स्वराज्य-भवन, इलाहाबाद में कॉङ्ग्रेस की किसान-सब-कमिटी की एक गुप्त मीटिङ्ग हुई; जिसमें उन कॉङ्ग्रेस कमिटियों की अर्ज़ियों पर विचार किया गया, जिन्होंने कमिटी की लखनऊ की बैठक के बाद अपने ज़िलों में लगानबन्दी की आज्ञा माँगी है। साथ ही जिन कमिटियों को आज्ञा दी जा चुकी है, उनमें से कुछ को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया।

रायबरेली की दशा

रायबरेली कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री० शीतलासहाय तथा अन्य व्यक्तियों को डिप्टी कमिश्नर मि० डोनल्डसन की तरफ़ से नोटिस दिया गया है कि वे किसानों को लगान रोकने के लिए न तो किसी तरह के व्याख्यान दें, न पर्चे निकालें। यह आज्ञा दो महीने के लिए दी गई है।

ख़बर है कि कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन नोटिसों को पाने के बाद भी अपना काम जारी रखने का निश्चय किया है और वे प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की अनुमति के अनुसार लगानबन्दी के आन्दोलन को बराबर जारी रक्खेंगे। रायबरेली की ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी का दृढ़ विचार है कि चाहे कैसी भी बाधाएँ डाली जायँ, उसका कार्य बन्द नहीं हो सकता।

कानपुर

कानपुर का ११ ता० का समाचार है कि दिन भर कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाँवों और शहर में लगानबन्दी के पर्चे बाँटे। उनमें १२ ता० को गाँवों में जलूस निकालने और सभाएँ करने को कहा गया था, जिनमें लगानबन्दी की प्रतिज्ञा ली जाने वाली थी। ख़बर है कि देरापुर की तहसील और अकबरपुर के एक गाँव में दफ़ा १४४ लगा दी गई है। देरापुर कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट मि० शिवपाण्डेय, जोकि प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के भी सदस्य हैं, दफ़ा १८८ में पकड़ लिए गए। कितने ही गाँवों में बाँटे जाने वाले पर्चों को पुलिस ने छीन लिया। यह भी अफ़वाह है कि दूसरे गाँवों में भी दफ़ा १४४ लगाई जाने वाली है।

११ ता० का समाचार है कि कानपुर में कोतवाली के इन्चार्ज श्री० मानसिंह ने २५ कॉन्स्टेबिलों को लेकर कॉङ्ग्रेस कमिटी की तलाशी ली। यह तलाशी ज़ब्त पर्चे के सम्बन्ध में हुई थी।

लखनऊ ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी की मीटिङ्ग में, जो १० ता० को हुई थी, एक प्रस्ताव पास किया गया है कि प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने इस सूबे के किसानों के लगान को कम कराने की जो चेष्टा की थी वह स्थानीय और प्रान्तीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण असफल हुई है, इसलिए कमिटी की सम्मति में किसानों के पास अपने कष्टों को दूर कराने का इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है कि वे लगान देना बन्द कर दें।

कमिटी ने श्री० मोहनलाल सक्सेना, श्री० हरप्रसाद सक्सेना, और बाबू गोपीनाथ श्रीवास्तव की एक कमिटी बना कर उसे किसानों की सलाह से ऐसे उपाय करने का पूरा अधिकार दे दिया है, जिससे उनके कष्ट दूर किए जा सकें।

एक नया बिल

संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने प्रान्तीय व्यवस्थापक कौन्सिल के विचारार्थ एक बिल पेश करने का निश्चय किया है, जिसका आशय यह है कि अगर किसान लोग सामूहिक रूप से लगान देने से इन्कार करें, तो ज़मींदारों को उन पर दावा करने की ज़रूरत नहीं है। वरन् वे इसकी सूचना अपने यहाँ के कलक्टर को दे दें और वह उसे बक़ाया लगान की भाँति उनसे वसूल करने की चेष्टा करेगा।

❀ ❀ ❀

—कलकत्ते में ११ ता० को सुबह पुलिस ने क़रीब २० घरों पर धावा किया और छै बङ्गाली नवयुवकों को, जो प्रायः कॉलेजों के विद्यार्थी हैं, गिरफ़्तार किया। ये लोग बङ्गाल एमेण्डमेण्ट के अनुसार पकड़े गए हैं। इसी दिन और भी २० व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए, जिनमें से कुछ पर सम्भवतः हथियारों के सम्बन्ध में मुक़दमा चलेगा।

—मानभूमि (बिहार) का समाचार है कि डिप्टी-कमिश्नर के अर्दली को, जब कि वह अपने मालिक का १२०० रु० बैङ्क में जमा कराने जा रहा था। किसी ने छुरे से मारा। मारने वाला पकड़ लिया गया। अर्दली चिन्ताजनक अवस्था में अस्पताल में पड़ा है।

—ढाका की पुलिस ने ६ दिसम्बर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डुर्नो पर गोली चलाने के अभियोग में श्री० माखनलाल राय और श्री० खगेन्द्र मल्लिक नामक दो युवकों को गिरफ़्तार किया है।

—ढाका का ८ दिसम्बर का समाचार है कि कुछ दिन हुए नारायणगञ्ज सब-डिवीज़न के एक गाँव में तारकचन्द्र दे नामक व्यक्ति के घर में डाका पड़ा था। रात के ८ बजे, जब कि घर वाले भोजन कर रहे थे, डाकू भीतर घुस गए और गृह-स्वामी को पकड़ कर मारने की धमकी देने लगे। उनके पास कुल्हाड़े और तलवारें थीं। वे लोहे की तिजोरी तोड़ कर ५ हज़ार का माल और नक़दी लेकर चलते बने। तारक बाबू की बन्दूक़ को भी वे उठा ले गए। कहा जाता है कि डाके के समय वे अङ्गरेज़ी और बङ्गाली में बातचीत करते थे।

—लाहौर का ११ ता० का समाचार है कि 'ज़मींदार' के स्वामी मौलाना ज़फ़रअली इनकम टैक्स का २२००) रु० न चुकाने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए हैं। उनको छुड़ाने के लिए डुग्गी पीट कर चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है।

—नई दिल्ली का ८ दिसम्बर का समाचार है कि भारत सरकार के इण्डियन स्टोर डिपार्टमेण्ट को, जिसका कार्य आर्थिक कठिनाई के कारण कितने ही दिनों से ढीला पड़ा था, नवीन राजनीतिक परिस्थिति के कारण २० हज़ार लाठियाँ ख़रीदने का ऑर्डर दिया गया है। सम्भवतः ये लाठियाँ बङ्गाल की पुलिस के लिए दरकार हैं। स्टोर डिपार्टमेण्ट ने इनके ख़रीदने का ऑर्डर दे दिया है।

—विलायत से चलते समय मि० ग़ज़नवी ने कहा है कि बङ्गाल का हिंसात्मक आन्दोलन समस्त भारत की शान्ति के लिए ख़तरनाक है। मुसलमान उसका मुक़ाबला करने को तैयार हैं और भारत के भाग्य का फ़ैसला बङ्गाल में ही होगा।

—लन्दन का १० ता० का समाचार है कि मि० हैकिङ्ग के प्रश्न का उत्तर देते हुए सर सैमुअल होर ने कहा कि उनको बङ्गाल कॉन्फ़्रेन्स के अङ्गरेज़ी माल का बॉयकॉट करने के प्रस्ताव की ख़बर है। पर अभी तक उसे बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने स्वीकार नहीं किया है। अगर उसने उसे स्वीकार कर लिया या उसके अनुसार काम किया, तो वह निश्चय ही दिल्ली समझौते का भङ्ग करना समझा जायगा। भारत सरकार तथा बङ्गाल सरकार परिस्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रही हैं और वे आवश्यक उपाय करेंगी।

—विलेनुवे का ११ ता० का समाचार है कि म० गाँधी आज दोपहर को रोम होकर ब्रिण्डसी के लिए रवाना हो गए, जहाँ आप भारत के लिए जहाज़ पर सवार होंगे।

❀ ❀ ❀

—पेशावर की नौजवान भारत-सभा के प्रेज़िडेण्ट मौलवी अब्दुल रहीम और सदस्य मि० अब्दुल ग़फ़्फ़ार को दफ़ा १२४-ए में क्रमशः एक और तीन साल की सज़ा दी गई थी। अपील करने पर जुडीशियल कमिश्नर ने सज़ा को बहाल रक्खा।

—बम्बई के मज़दूर-नेता श्री० लालजी पेण्डसे को चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने दो राजद्रोही व्याख्यानों के लिए एक साल की कड़ी क़ैद तथा एक हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा दी। जुर्माना न देने पर एक साल की सज़ा और भोगनी होगी।

—कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 'विश्वदूत' नामक बङ्गला साप्ताहिक पत्र के सम्पादक श्री० बरेनसुन्दर चटर्जी पर हिंसा के लिए उत्तेजित करने वाली एक कविता छापने का मुक़दमा चल रहा था। जूरी ने उन्हें निर्दोष माना और कहा कि कविता में केवल मज़दूरों को अपने अधिकार प्राप्त करने तथा दशा सुधारने को उत्साहित किया गया है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। हाईकोर्ट ने श्री० चटर्जी और कविता के लेखक को छोड़ दिया।

—उत्तरी कलकत्ता कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० हेमन्तकुमार बोस को राजद्रोही व्याख्यान देने के अभियोग में छः मास की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई है।

—कानपुर का १० ता० का समाचार है कि श्री० एम० एन० रॉय ने अदालत के यह पूछने पर कि क्या वे श्री० डाँगे को गवाह के रूप में पेश करना चाहते हैं, कहा कि वे इस अदालत में किसी तरह की सफ़ाई देना नहीं चाहते। उनको जो कुछ कहना है, वह हाईकोर्ट में कहेंगे। इस पर जज ने दूसरे गवाहों को तार देकर आने से रोक दिया और जो मौजूद थे, उनको ख़र्च दिलवा दिया। श्री० डाँगे भी अदालत में मौजूद थे।

—पञ्जाब कॉङ्ग्रेस कमिटी की वर्किङ्ग कमिटी ने बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें इसे घोर अन्यायपूर्ण क़ानून बतलाया गया है और यू० पी० कॉङ्ग्रेस कमिटी को लगानबन्दी आन्दोलन के आरम्भ करने के लिए बधाई भी दी गई।

—मि० हेनरी जी० लियड और मिसेज़ सूसन लिण्ड नाम के दो अमेरिकन पति-पत्नी बम्बई के वोरली नामक बस्ती में पकड़े गए हैं। उनकी गिरफ़्तारी विदेशियों के क़ानून के अनुसार हुई है। उनको अभी हवालात में रक्खा गया है और जैसे ही कोई जहाज़ मिलेगा, उनको इस देश से निकाल दिया जायगा। वे लोग कोलम्बो से बम्बई गत फ़रवरी मास में आए थे और तभी से पुलिस उन पर निगरानी रखती थी। गिरफ़्तारी का कारण उनका कम्यूनिस्ट विचार के लोगों के साथ मिलना-जुलना था।

—लाहौर का ६ ता० का समाचार है कि अहरार-पार्टी के चार डिक्टेटरों का, जो गत मास में पकड़े गए थे, मुक़दमा आरम्भ हो गया है।

—राजपूताने से साम्प्रदायिक झगड़ों को मिटाने के लिए अजमेर में एक इण्डिपेण्डेण्ट नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई है, जिसके प्रेज़िडेण्ट श्री० जमालुद्दीन मन्सूर और सेक्रेटरी श्री० गोपीलाल शर्मा हैं।

—पुरी में होने वाले कॉङ्ग्रेस के अधिवेशन के लिए उड़ीसा प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी २३ हज़ार रुपया चन्दा इकट्ठा कर चुकी है। अनुमानतः इसके लिए दो लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी।

—फ़रीदपुर (बङ्गाल) का समाचार है कि साढ़े तीन महीने पहले गोविन्दपुर कॉङ्ग्रेस कमिटी के ऑफ़िस में जो दस पकड़े गए थे और जिनके लिए श्री० सत्यरञ्जन दास गुप्त, प्रेज़िडेण्ट डिस्ट्रिक्ट स्टूडेण्ट यूनियन, और अन्य पाँच व्यक्तियों पर मुक़दमा चल रहा था, वे ७ ता० को छोड़ दिए गए। उनके विरुद्ध सरकार की तरफ़ से कोई चार्ज-शीट पेश नहीं की गई। अब केवल श्री० जीवन मोल्ला नामक व्यक्ति पर मुक़दमा चलाया जायगा, जोकि तलाशी के समय कॉङ्ग्रेस ऑफ़िस में सोता हुआ मिला था। श्री० विभूति पोद्दार नामक अभियुक्त उसी समय बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार कर लिया गया।

—६ दिसम्बर को कलकत्ते में वायसरॉय ने 'स्टेट्समैन' के नए भवन की आधार-शिला रक्खी।

—श्रीनगर के सिक्खों के एक डेपुटेशन ने प्रधान मन्त्री से भेंट करके बतलाया है कि उन्होंने ग्लेन्सी कमीशन के विरुद्ध सविनय आज्ञा-भङ्ग करने का इरादा त्याग दिया है, पर उसके अस्तित्व को न मानेंगे, न उससे कुछ वास्ता रक्खेंगे। वे अपनी धार्मिक तथा अन्य शिकायतें प्रधान मन्त्री के सम्मुख पेश करेंगे।

ऑर्डिनेन्स की करामात

चटगाँव का ६ ता० का समाचार है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा १४४ के अनुसार एक पुलिस थाने के गाँवों में रहने वाले लोगों को शाम के ६॥ बजे से सुबह के ६ बजे तक घरों को न छोड़ने का हुक्म दिया है, यह हुक्म आठ दिन से जारी है, पर अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई। दूसरा हुक्म मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डिनेन्स की ८(२) धारा के अनुसार निकाला है कि कितने ही थानों और कोतवाली की हद में कोई व्यक्ति इस स्थान के कमाण्डर या कोतवाली-अफ़सर की आज्ञा बिना बाइसिकिल काम में न लाएँ। लोगों को बिना हुक्म लिए दूसरे लोगों के हाथ बाइसिकिल बेचने या भाड़े पर देने की मनाही की गई है।

—बम्बई हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस और जस्टिस ब्रूमफ़ील्ड ने धारवार के एक वतनदार की अपील ख़ारिज कर दी, जिसकी जायदाद बम्बई सरकार ने कॉङ्ग्रेस के कार्यों में क्रियात्मक भाग लेने के कारण ज़ब्त कर ली थी। जजों ने अपने फ़ैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी संस्था का क्रियात्मक सदस्य बनता है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का अन्त करना है, तो उसे सरकार का ख़ैरख़्वाह नहीं समझा जा सकता। क्योंकि प्रार्थी के पूर्वजों को सन् १८६४ में जो सनद दी गई थी और जिसके अनुसार उसे ज़मीन और नक़द सहायता मिलती है, उसमें साफ़ लिखा है कि जागीर पाने वाला और उसके उत्तराधिकारी ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की ख़ैरख़्वाह रैयत रहेंगे और कुछ ख़ास फ़र्ज़ों को अदा करते रहेंगे।

—लाहौर में रेलवे-जाँच-कमिटी के सामने गवाही देते हुए नौकरी से निकाले गए प्रायः सभी व्यक्तियों ने कहा कि जब कि उनसे कहीं नए और कम योग्यता के लोगों को कुछ नहीं कहा गया, उनको बरख़ास्त कर दिया गया। दो व्यक्तियों ने रेलवे अफ़सरों पर रिश्वत लेने का भी इल्ज़ाम लगाया। रेलवे की तरफ़ से इन इल्ज़ामों को ग़लत बतलाया गया है।

—मद्रास का १० ता० का समाचार है कि वहाँ की ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें कहा गया है कि कॉङ्ग्रेस की माँग के प्रति ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने जो भाव प्रकट किया है, और ख़ासकर सर सैमुअल होर और मि० मैकडॉनल्ड ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स में जिस तरह के ख़्यालात ज़ाहिर किए हैं, वह बिल्कुल असन्तोषजनक हैं और भारत की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं से बहुत पीछे हैं। कमिटी की यह भी सम्मति है कि अगर कॉन्फ़्रेन्स में इस बात पर बहस होने की गुञ्जायश न हो कि सेना, वैदेशिक सम्बन्ध और अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी संरक्षण भारत के हित की दृष्टि से निश्चित किए जाएँगे, तो कॉङ्ग्रेस का उसमें अब सहयोग कर सकना कठिन और निरर्थक है। कॉङ्ग्रेस के सहयोग की दूसरी शर्त बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स और अन्य दमनकारी क़ानूनों को वापस ले लेना है।

—दिल्ली में अछूत जातियों की एक कॉन्फ़्रेन्स करने की आयोजना की जा रही है। उसके सभापति का पद ग्रहण करने के लिए महात्मा गाँधी से तार द्वारा प्रार्थना की गई है।

—अहमदाबाद का ६ तारीख़ का समाचार है कि महात्मा गाँधी के आजन्म सखा और मित्र इमाम साहब अब्दुल क़ादिर बावाज़ीर का देहान्त हो गया। आप कितने ही दिनों से बीमार थे। आपसे मिलने के लिए गाँधी जी यथाशक्ति जल्दी भारत लौटने की चेष्टा कर रहे थे।

—बम्बई की इण्डियन मरचैण्ट्स् चैम्बर ने वायसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी के पास तार भेजा है, जिसमें बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स का घोर विरोध किया गया है और कहा गया है कि इसका अर्थ साधारण क़ानूनों को स्थगित कर देना है। ऑर्डिनेन्स ने अधिकारियों को ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो शायद ही मार्शल-लॉ से भिन्न प्रकार की हैं। इसलिए चैम्बर की कमिटी वायसरॉय से प्रार्थना करती है कि वे गाँधी-इर्विन समझौते के अनुसार सहयोग की नीति से काम लें और ऑर्डिनेन्स को वापस ले लें।

—पूना के आयुर्वेद-महामण्डल की एक बैठक में निश्चय किया गया है कि आल इण्डिया आयुर्वेदिक कॉन्फ़्रेन्स का जलसा २२ से २५ दिसम्बर तक ग्वालियर में किया जाय। सभापति का आसन बम्बई के वैद्य श्रीकम जी आचार्य ग्रहण करेंगे।

—अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का २१ वाँ अधिवेशन २८ से ३१ दिसम्बर तक झाँसी में होने वाला है। स्वागतकारिणी समिति उसके लिए ज़ोरों से तैयारी कर रही है। उसके साथ विज्ञान, साहित्य, दर्शन और इतिहास सम्बन्धी कॉन्फ़्रेन्सें भी होंगी।

—गया के होमियोपैथिक चिकित्सकों ने अपने शहर में प्रान्त भर के होमियोपैथी इलाज करने वालों की एक कॉन्फ़्रेन्स करने का निश्चय किया है, जिसमें इस चिकित्सा-पद्धति की उन्नति के उपाय सोचे जाएँगे। अधिवेशन बड़े दिन की छुट्टियों में २४ से २६ दिसम्बर तक होगा।

—भारत-सरकार के होम मेम्बर सर जेम्स क्रेरार के स्थान पर मि० एच० जी० हेग को नियुक्त किया गया है।

—७ ता० को सीमा-प्रान्त के हज़ारा ज़िले में अफ़रीदियों का एक दल १४ रायफ़लें, एक छर्रे की बन्दूक़ और क़रीब दो हज़ार कारतूस चुरा कर ले जा रहा था। गैलीदेवी नामक स्थान में एक सरकारी पहरेदार ने उनको देख लिया। सिपाही ने उनसे ठहरने को कहा, पर जब उन्होंने कुछ ख़्याल न किया तो उसने गोली चला दी। अफ़रीदियों ने भी जवाब में गोली चलाई, जिससे सिपाही घायल हो गया। दो अफ़रीदी मारे गए और दो गिरफ़्तार किए गए।

—ढाका में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने बड़े डाकख़ाने की डकैती के सम्बन्ध में जो मुक़दमा चल रहा था, उसमें दोनों अभियुक्तों—श्री० बङ्केश्वरराय और श्री० विनय बोस को दस-दस वर्ष की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है। वे २० हज़ार रुपए और रिवॉलवरों के साथ बाइसिकलों पर भागते पकड़े गए थे। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उनको पकड़ने वाले दो कॉन्स्टेबिलों और अर्दली के साहस की प्रशंसा की और साथ में यह भी कहा है कि बन्दूक़ों और कारतूसों की ख़राबी से पुलिसवालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और इस त्रुटि को फ़ौरन दूर करना चाहिए।

—पेशावर में ख़िलाफ़त वालण्टियर तीन महीने से रण्डियों के मकानों पर पिकेटिङ्ग कर रहे थे। अब वहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने रण्डियों को एक महीने के भीतर शहर छोड़ कर सराय में जा बसने का नोटिस दिया है।

—बन्नू (सीमा-प्रान्त) के एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर लाला योगराज और अन्य आठ व्यक्तियों पर सरकारी ख़ज़ाने से १ लाख ४० हज़ार रुपया ग़बन करने के सम्बन्ध मे मुक़दमा चलाया गया है।

—कानपुर की हिन्दू-सभा के सेक्रेटरी ने काश्मीर महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम एक तार भेजा है। उसमें महाराज के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है और बाहर के स्वार्थी लोगों ने उनके विरुद्ध जो आन्दोलन उठाया है, उनकी निन्दा की गई है। साथ ही यह भी प्रार्थना की गई है कि काश्मीर को सरकार कोई ऐसा कार्य न करे, जो वहाँ की हिन्दू जनता के अधिकारों के विरुद्ध हो और न उसे अन्य सम्प्रदायों की अनुचित माँगों के सामने झुकना चाहिए।

—ढाका के मिटफ़ार्ड अस्पताल की देशी नर्सों ने ८ ता० का हड़ताल कर दी थी। दूसरे दिन अस्पताल के सुप० मि० हिल ने उनकी तमाम शिकायतों को दूर करने का वायदा किया और हड़ताल का अन्त हो गया।

—बनारस स्टेट की सड़क पर एक मोटर-लॉरी के सड़क पर से लुढ़क कर नीचे गिर जाने से एक व्यक्ति मर गया और शेष को चोट लगी।

—मैमनसिंह का समाचार है कि बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार श्री० क्षितीशचन्द्र सेन और प्रबोधचन्द्र राय नाम के दो व्यक्ति स्थानीय जेल से कुछ शर्तों पर छोड़ दिए गए।

—बनारस का १० ता० समाचार है कि वहाँ के म्युनिसिपल चुनाव में कुछ अनियमित कार्रवाई हुई बतलाई जाती है और इसलिए चुनाव को रद्द करने की अर्ज़ी दी जाने वाली है। दूसरी तरफ़ बोर्ड की चेयरमैनी के लिए कई व्यक्तियों की तरफ़ से ज़ोरों के साथ कोशिश की जा रही है।

—सेदपैठ, मद्रास के सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट श्री० टी० एस० सुब्बा अय्यर १० ता० को सुबह, जब हवाख़ोरी से वापस लौट रहे थे, रेलगाड़ी से टकरा कर मर गए। रेल के धक्के से वे क़रीब १०० गज़ के फ़ासले पर जा गिरे और उसी समय उनके प्राण निकल गए।

—कलकत्ता पुलिस के भूतपूर्व कमिश्नर सर चार्ल्स टेगार्ट स्वर्गीय बी० के० मल्लिक के स्थान पर इण्डिया कौन्सिल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

—काश्मीर महाराज, जो हाल में नई दिल्ली तशरीफ़ लाए थे, तीन दिन तक वायसरॉय और पोलीटिकल सेक्रेटरी से बातें करके ४ दिसम्बर को श्रीनगर लौट गए। काश्मीर की दशा शान्तिपूर्ण है। यद्यपि पञ्जाब से नित्य प्रति काश्मीर के लिए जत्थे भेजे जा रहे हैं, पर उनको रियासत की सीमा में घुसने से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया जाता है।

—मद्रास में सोमोफेल नामक जर्मन जहाज़ पर काम करने वाले २९ मल्लाहों को, जो सब बङ्गाल के निवासी हैं, दो-दो सप्ताह की कड़ी क़ैद का दण्ड दिया गया है। उन पर बिना कारण काम करने से इन्कार करने का अभियोग था। मल्लाहों का कहना था कि उनको ठीक खाना नहीं दिया जाता।

—अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० पी० डब्ल्यू० मार्श इलाहाबाद डिवीज़न के कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। मि० बम्फ़र्ड ही इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बने रहेंगे।

—पी० एण्ड ओ० कम्पनी के वार्षिक अधिवेशन के सभापति लॉर्ड इञ्चकेप ने कहा है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना बड़ी भारी ग़लती है। क्योंकि जहाँ अन्य उपनिवेशों के तमाम निवासी अङ्गरेज़ हैं और उनका मत एक समान है, भारत में अनेकों तरह की जातियाँ और मत-मतान्तर मौजूद हैं, जिन पर कोई भारतीय मन्त्री शासन नहीं कर सकता।

—स्कॉटलैण्ड यार्ड (लन्दन) के जो दो गुप्तचर इङ्गलैण्ड में महात्मा गाँधी के साथ रहते थे, वे यूरोपीय देशों में भी उनके साथ भेजे गए हैं। वे जहाज़ में बैठने तक उनकी रक्षा का कार्य करते रहेंगे।

जॉनबुल का खिलौना

जगन्नाथपुरी के राजा ने जगन्नाथ-मन्दिर के एक पण्डे को बदचलनी के कारण मन्दिर में से निकाल दिया था और मन्दिर में उसे घुसने की मनाही कर दी थी। पण्डे ने राजा पर दावा किया कि राजा मन्दिर की नौकरी से हटा सकते हैं, किन्तु एक हिन्दू की हैसियत से मन्दिर में प्रवेश करना नहीं रोक सकते। पुरी के मुन्सिफ़ ने यह फ़ैसला दिया कि पण्डा मन्दिर में प्रवेश कर सकता है। राजा ने इस फ़ैसले के विरुद्ध अपील की है।

—मद्रास कौन्सिल के कुछ सदस्य कौन्सिल के आगामी अधिवेशन में यह प्रस्ताव उपस्थित करेंगे कि भारत को फ़ौरन ही औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाय और केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व के प्रश्न को लेकर विलम्ब न लगाया जाय।

—महात्मा गाँधी ने लासेन (स्वीज़रलैण्ड) में एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि यूरोप अस्त्र-शस्त्रों के भार से व्याकुल हो रहा है और अधिकांश देश नैतिक और आर्थिक दिवालियेपन की हद पर जा पहुँचे हैं। यहाँ से यह बीमारी एशिया में फैलती जाती है। पर भारत शान्तिमय उपायों से स्वाधीनता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है और यह यूरोप के उद्धार के लिए आशा का चिन्ह है। आप लोगों को इस आन्दोलन का निष्पक्ष भाव और आलोचनापूर्ण ढङ्ग से अध्ययन करना चाहिए और यदि आप समझें कि यह आन्दोलन अहिंसात्मक तरीक़े से और सत्य के आधार पर चल रहा है, तो आपको हमारा पक्ष ग्रहण करना चाहिए। आप यूरोप वालों की सम्मति को उचित मार्ग पर ला सकते हैं।

—लन्दन का ६ ता० का समाचार है कि गाँधी जी ने यूरोपियन देशों में जो भाषण किए हैं, उनके कारण इङ्गलैण्ड में चिन्ता उत्पन्न हो रही है। क्योंकि वे उस मित्रता के भाव के विपरीत हैं, जो उन्होंने इङ्गलैण्ड से रवाना होते समय प्रकट किया था। बङ्गाल और संयुक्त-प्रान्त की स्थिति पर भी अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञों का ध्यान लगा है और वे आशा कर रहे हैं कि वे इस हद तक न पहुँचेंगे कि गाँधी-इर्विन समझौता भङ्ग हो जाय।

—१० ता० को राउण्डटेबिल कॉन्फ़रेन्स के भारतीय प्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा दल, जिसमें सर तेजबहादुर सप्रू और श्री० जयकर आदि शामिल थे, लन्दन से रवाना हो गया। स्टेशन पर भारतीय और अङ्गरेज़ मित्रों के एक बहुत बड़े दल ने धूमधाम से उनको बिदा किया। सर सप्रू ने अङ्गरेज़ प्रतिनिधियों के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे प्रधान मन्त्री, लॉर्ड रीडिङ्ग और लॉर्ड इर्विन के इस मत को सच मानते हैं कि राउण्डटेबिल कॉन्फ़रेन्स को असफल समझना ग़लती है। यद्यपि इस बार हमारे सामने बड़ी-बड़ी कठिनइयाँ पेश आईं, तो भी कॉन्फ़्रेन्स की योजना सफल हुई है। प्रधान मन्त्री ने जो नया सङ्गठन किया है, उसके द्वारा हम अपनी तमाम माँगें या उनका एक बड़ा भाग पूर्ण करा सकेंगे। एक सबसे बड़ा भाग तो इस बार यही हुआ है कि प्रथम बार कन्ज़रवेटिवों के बहुमत ने केन्द्रीय सरकार के अधिकार देना और फ़ेडरेशन बनाने की बात स्वीकार कर ली है।

—लन्दन से समाचार आया है कि २६ नवम्बर को देशी राज्यों की प्रजा के प्रतिनिधि-मण्डल ने भूपाल के नवाब से भेंट की थी। उस अवसर पर रियासतों की प्रजा की समस्या पर खुले तौर पर बातें हुईं। अभी कुछ तय नहीं हुआ है, पर भारत में फिर इस विषय पर बातचीत होगी।

—जरूसलम का समाचार है कि मुस्लिम कॉङ्ग्रेस ने जरूसलम में एक मुस्लिम यूनीवर्सिटी स्थापित करने का निश्चय किया है। भारतीय प्रतिनिधि सर मुहम्मद इक़बाल की राय थी कि जरूसलम इसके उपयुक्त स्थान नहीं है और न अभी इसके लिए उचित समय आया है। कॉङ्ग्रेस ने ३ करोड़ रूसी मुसलमानों के नेताओं से प्रार्थना की है कि मुसलमानों पर बोलशेविक सरकार द्वारा होने वाले अत्याचारों पर विचार किया जाय।

—अमरीका की शासन-सभा में प्रेज़िडेण्ट हूवर ने कहा है कि अगर टैक्सों को न बढ़ाया जायगा, तो अमरीका के बजट में तीन वर्षों में क़रीब ४॥ अरब डालर का घाटा रहेगा। इसके लिए इनकम टैक्स को बढ़ाने की योजना की गई है।

—शान्ति का प्रचार करने के लिए मिलने वाला नोबल प्राइज़ इस वर्ष दो अमरीकनों में आधा-आधा बाँट दिया गया है। उनमें से एक मि० जेन आदम हैं, जो १५ वर्षों से 'इण्टर नेशनल लीग फ़ॉर पीस एण्ड फ़्रीडम' के प्रेज़िडेण्ट हैं और दूसरे कोलम्बिया यूनीवर्सिटी के प्रेज़िडेण्ट डॉ० निकोलस जी० मरे बटलर हैं।

—हाउस ऑफ़ कामन्स के तीन कन्ज़रवेटिव समुदायों का एक डेपुटेशन सर सैमुअल होर से मिला और उनसे आग्रह किया कि वे भारत में एक व्यापारिक कमिटी भेजें, जिसमें लङ्काशायर की तरफ़ से भी एक विशेषज्ञ सम्मिलित रहे।

—पार्लामेण्ट में सर सैमुअल होर ने कहा कि सायमन कमीशन के लिए इङ्गलैण्ड के ख़ज़ाने के ८० हज़ार पौण्ड ख़र्च किया गया है।

❀ ❀ ❀

काश्मीर गोली-काण्ड का आँखों देखा वर्णन

'महाराज हरीसिंह को मारो :: जीवित स्त्री मुर्दा बतलाई गई

काश्मीर में कुछ समय पहले मुसलमान आन्दोलनकारियों ने जो उपद्रव मचाया था और जिसके कारण वहाँ की सेना को गोली चलानी पड़ी थी, उसका वर्णन एक फ़ौजी अफ़सर कर्नल सदरलैण्ड ने जाँच-अफ़सर मि० मिडलटन के सामने अपनी डायरी में से इस प्रकार किया है :—

"जामा मस्जिद आने पर मैंने देखा कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिनिस्टर ख़ाँ बहादुर अब्दुलमाजिद ख़ाँ और ब्रिगेडियर ओङ्कारसिंह उपस्थित थे। मैंने देखा कि मुसलमानों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र है और ख़ाँ बहादुर अब्दुलमाजिद ख़ाँ उसे तितर-बितर करने की चेष्टा कर रहे हैं। किन्तु परिस्थिति भीषण हो गई और भीड़ बड़ी आज़ादी से पत्थर बरसाने लगी। इस पर एक घुड़सवार फ़ौज को भीड़ तितर-बितर करने की आज्ञा दी गई और फ़ौज ने कुछ हद तक उसे तितर-बितर किया। फ़ौज पर भी पत्थर बरसाए गए। कुछ सवारों को चोटें आईं। भीड़ में के भी ६ आदमी ज़ख़्मी हुए। इससे भीड़ और भी उत्तेजित हो गई और वह पैदल फ़ौज के पहरेदारों पर टूट पड़ी। तीन ओर से पहरेदारों पर पत्थर बरसाए जाने लगे। पहरेदारों का जीवन ख़तरे में पड़ गया और अन्त में अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, जिसमें ३ आदमी मरे।

एक सिक्ख कॉन्स्टेबिल को मैंने देखा, जिसकी रक्षा के लिए कुछ पुलिस वाले न पहुँच जाते, तो वह जीता न बचता। भीड़ ने उसे पकड़ लिया था और धान कूटने की लकड़ी से उसे बुरी तरह घायल किया गया था।

उस दिन, दिन भर मस्जिद में मुसलमानों की गुप्त सभा और मन्त्रणाएँ हुई थीं।

सरकार के विरुद्ध जेहाद

२४ सितम्बर की डायरी से—मैंने स्पष्ट देखा कि फ़ौजी लोग बड़ी नेकनीयती से स्थिति को सँभाल रहे थे, पर जब भीड़ ने उन पर हमला किया और फ़ौजियों की बन्दूक़ें छीनने का प्रयत्न किया, तब फ़ौज वालों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ा। सड़क के तङ्ग होने, भीड़ के पहाड़ी की तरफ़ रहने और अँधेरा होने के कारण हताहतों की संख्या बढ़ गई। मैंने अस्पताल का मुआइना किया और वहाँ एक सिपाही को अर्द्ध-बेहोशी की दशा में पाया।

मुझे महाराज ने श्रीनगर की म्युनिसिपल हद का स्पेशल ऑर्डिनेन्स के अनुसार चार्ज सौंपा था। जब मैं २५ सितम्बर को प्रातःकाल परेड ग्राउण्ड पर आया, तो गवर्नर ने मुझे बतलाया कि सरकार के विरुद्ध जेहाद घोषित कर दिया गया है। इस बात की सूचना मैंने अफ़सरों और फ़ौजियों को दी। उस समय जितनी फ़ौज वहाँ थी, सब एक साथ क़तार बना कर घुमाई गई। शहर के विभिन्न हिस्सों में फ़ौजी पहरे बैठा दिए गए। अकेलमारिन मस्जिद की मुस्लिम सिपाहियों द्वारा तलाशी ली गई, किन्तु वहाँ कोई हथियार वग़ैरह नहीं पाए गए।

२६ सितम्बर को प्रातःकाल सब दूकानें खुल गईं। लोगों को सब काम-काज साधारणतया जारी करने में प्रसन्नता हुई। यह सूचना वापस ले ली गई कि सब लोग फ़ौजी अफ़सरों को सलाम करें और मकान आने पर मेरे पास इस बात की बहुत शिकायत आई कि अङ्गरेज़ सिपाही बहुत बुरी तरह लोगों से पेश आते हैं। मैंने फ़ौरन इसकी जाँच की और क़ुसूरवार को गिरफ़्तार किया। मैंने फ़ौजियों को समझाया कि वे किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। ७ प्रमुख व्यक्तियों की एक मीटिङ्ग बुलाई और उसमें सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि सब लोग उपद्रवियों पर निगाह रक्खें और परिस्थिति को सँभालने का प्रयत्न करें। फ़ौजियों को गुप्त हिदायतें भी दे दी गई थीं कि कोई भी फ़ौजी सिपाही किसी प्रजा को तङ्ग न करने पाए।"

कर्नल ह्यूग का बयान

श्रीनगर मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर कर्नल ह्यूग ने अपने लिखित बयान में ये बातें कहीं :—

"मस्जिद के पास बहुत बड़ी भीड़ एकत्र थी। रास्ता चलना मुश्किल था। जिस समय मैं ज़ख़्मियों को देख रहा था, मेरे पास का एक आदमी चिल्लाने लगा—"मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िन्दाबाद" "महाराज हरीसिंह को मारो मारो।" एक दूसरा आदमी चिल्ला रहा था—"हम लोग अङ्गरेज़ी राज्य चाहते हैं, काश्मीर-महाराजा का नहीं।" ये वाक्य पहिले अङ्गरेज़ी भाषा में कहे गए और उसके बाद काश्मीरी में। मैंने अपने पास खड़े हुए आदमी से कहा कि अगर मेरे सामने इस तरह की बातें बकोगे, तो मैं चला जाऊँगा और कुछ न करूँगा और जिस आदमी की मरहम-पट्टी मैं कर रहा हूँ, वह मर जायगा।

काश्मीरी राज्य से लड़ाई है

एक दूसरे आदमी ने मुझसे कहा कि यह लड़ाई हिन्दू-मुस्लिम नहीं है, बल्कि मुसलमानों और राज्य के बीच की है। इसके बाद मुझसे एक औरत को देखने के लिए कहा गया, जिसके लिए बतलाया गया कि घुड़सवारों द्वारा मार डाली गई है। उसका चेहरा और शरीर ढका हुआ था और उसके चारों ओर उत्तेजित जनता की भीड़ एकत्र थी। मैंने किसी को हिन्दुस्तानी में कहते हुए सुना—"सिपाही हमारी स्त्रियों को क़त्ल कर रहे हैं।" मैंने देखा कि उसके बाएँ पैर में ज़ख़्म था। मैंने फ़ौरन उसे देखा और कहा कि यह ज़ख़्म जो लगा है, उससे वह मर नहीं सकती। उस स्त्री के पति तथा अन्य लोग, जो उसके पास थे, चिल्लाने लगे कि—"वह मर गई है और उसे मत देखिए।" मैं वहाँ से चला गया और कर्नल कुसरू जङ्ग के पास अन्य ज़ख़्मियों को देखने की ग़रज़ से बैठ गया। मेरे वहाँ पहुँचने पर एक आदमी आया और कहने लगा कि वह औरत मरी नहीं है, उसको चल कर देख लीजिए। मैं उसके पास गया और उसे ज़िन्दा पाया। मैंने उसे दवा दी और उसके पैर की ख़ुद मरहम-पट्टी की।"

आगे चल कर कर्नल ह्यूग ने अपने ज़बानी बयान में कहा कि मुझसे कहा गया कि यह चोट भाले से मारी गई है। मेरी राय में यह ज़ख़्म या तो भाले से हुआ है अथवा घोड़े की टाप से हुआ है। मैं यह नहीं समझता कि उसे छुरा मारा गया है, या ज़ख़्म शीशे के टुकड़े से हुआ है। यह राय मैंने ज़ख़्म के रूप को देख कर क़ायम की है।

❀ ❀ ❀

भारतीय नवयुवकों को कर्तव्य-क्षेत्र में आह्वान

देश के हित के सामने व्यक्तिगत हित का बलिदान कर दो!

'गुलाम रह कर शक्तिशाली और धनवान होने की अपेक्षा स्वाधीन बन कर कमज़ोर और ग़रीब रहना श्रेष्ठ है।'

लखनऊ यूनीवर्सिटी के १०वें कान्वोकेशन के अवसर पर आन्ध्र यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर सर एस० राधाकृष्णन ने अध्यक्ष की हैसियत से जो अभिभाषण ५ दिसम्बर, १९३१ को दिया था, उसका भावार्थ नीचे दिया जाता है :—

"मैं समझता हूँ कि यह यूनीवर्सिटी सरकार की इस नीति के अनुसार स्थापित की गई थी कि इसमें लेक्चरों और परीक्षाओं के बजाय निजी तौर पर पारस्परिक मेल-मिलाप का विशेष प्रभाव पड़े। सामाजिक और शारीरिक विकास सम्बन्धी कार्यों, विभिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क-विचार, विनिमय और विचारों के परीक्षण द्वारा जीवन सम्बन्धी जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह विद्या-सम्बन्धी लाभ की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन-सम्बन्धी ज्ञान का अर्थ लिखना-पढ़ना अथवा बुद्धिमत्ता नहीं है, वरन् जैसा एक फ़्रान्सीसी कहावत से विदित है—'सबको समझने का अर्थ सबको क्षमा कर देना है।' इससे हमको जीवन की जटिलता और रहस्यपूर्णता का पता लगता है। इसमें इतना आशय भरा हुआ है कि हम उसका बहुत थोड़ा अंश समझते हैं। समझदार आदमी हर एक विषय पर सम्मति प्रकट नहीं करता और न वह किसी लेखक का आशय एक वाक्य में या सभ्यता का आशय एक निबन्ध में लाना चाहता है। उसका विचार-क्षेत्र विस्तीर्ण होता है, उसके विचारों में स्वाधीनता और कोमलता का समावेश होता और उसमें कल्पना करने की शक्ति तथा अन्य मानसिक गुण होते हैं।

जीवन-सम्बन्धी ज्ञान ऐसी चीज़ नहीं है जो पैमाने से नापा जा सके या तराज़ू में तोला जा सके और कान्वोकेशन के अवसर पर यूनीवर्सिटी के आचार्यों द्वारा विद्यार्थियों को वितरित किया जा सके। प्राचीन काल के लोग कॉलेज में प्राप्त होने वाली संस्कृति की तुलना एक मशाल से करते थे, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। यह जलती हुई मशाल एक भयङ्कर भेंट है। इसने अनेक बार उथल-पुथल मचाई है और कितने ही अग्निकाण्ड किए हैं। यह चिन्ह है क्रान्ति की भावना का, सफ़ाई करने वाली आग का, जो झाड़ी-झङ्खार और घास-फूस को जला डालती है। अगर हम इस अग्नि के फैलने से उत्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल से, ज़मीन के उलटने-पलटने से भयभीत होते हैं, तो हमको यूनीवर्सिटी के पास ही न जाना चाहिए। उस दशा में उसका बन्द कर देना ही अच्छा है।

युवावस्था की भावना

अगर यूनीवर्सिटी की शिक्षा का उद्देश्य हमको आवश्यकताओं को समझने और परिस्थिति का मुक़ाबला करने योग्य बनाना है, तो उसको गए-गुज़रे विचारों और प्रथाओं से हानि न पहुँचने देनी चाहिए। उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं कहा जा सकता, जो दक़ियानूसी भ्रमों में फँसा रहता है, वरन् शिक्षित वह है जो निकम्मे विचारों से मुक्त रहता है। शिक्षा का सारांश भले-बुरे की पहिचान और आलोचना करने का स्वभाव ही है। अगर कोई यूनीवर्सिटी ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करती है, जिनमें साहस का अभाव है, जो रक्षा के लिए चिन्तित रहते हैं, जो आराम का ध्यान रखते हैं, जो ख़तरे में पड़ने से डरते हैं, तो समझना चाहिए कि वह यूनीवर्सिटी अपने मूल उद्देश्य में असफल हुई। मनुष्य का कर्तव्य आगे बढ़ना ही है।

राजनीतिक अशान्ति

व्यक्तियों के जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं और जातियों के इतिहास में ऐसे युग आते हैं, जो भावों और फल की दृष्टि से साधारण जीवन के सैकड़ों वर्ष के बराबर होते हैं। भारतवर्ष भी इस समय ऐसे ही ऐतिहासिक युग में होकर गुज़र रहा है। इस समय सब से बड़ी हलचल की बात राजनीतिक स्वाधीनता का नशा है। यद्यपि गर्म दल के राजनीतिक भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि अङ्गरेज़ी राज्य से इस देश का बहुत-कुछ उपकार हुआ है। उसने उन स्थानों में शान्ति और सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया है, जहाँ प्रायः विभिन्न पक्षों की मुठभेड़ के कारण सर्वनाश का दृश्य देखने में

आन्ध्र यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर
सर एस० राधाकृष्णन

आया करता है। पर विदेशी शासन के कारण राष्ट्र की आत्म-मर्यादा और पुरुषत्व की जो हानि हुई है, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। राजनीतिक पराधीनता और आर्थिक दरिद्रता के फल से इस देश में जो मानसिक और चरित्र-सम्बन्धी हीनता पैदा हो गई है, आजकल हमारा ध्यान उसकी तरफ़ आकर्षित हो रहा है। पश्चिमी इतिहास और संस्थाओं ने हमारे भीतर स्वाधीनता-प्रेम और आत्म-सम्मान का भाव पैदा कर दिया है। स्वाधीनता-प्रेम मनुष्य की एक स्वाभाविक वृत्ति है। स्वाधीनता का आशय शासन की उत्तमता या सम्पत्ति की वृद्धि नहीं है। यह किसी अन्य उद्देश्य को सिद्ध करने का साधन नहीं है, वरन् यह स्वयं सबसे बड़ा उद्देश्य है। लॉर्ड एक्टन ने सन् १८७७ में अपने एक ग्रन्थ में लिखा था कि "एक उदार हृदय इस बात को बेहतर समझता है कि ग़रीब हो, कमज़ोर हो और छोटा समझा जाता हो, पर स्वाधीन हो; बजाय इसके कि वह शक्तिशाली हो, धनवान हो, पर गुलाम हो।" प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि वह स्व-शासन का अनुभव करे, चाहे इसके बदले में वहाँ का शासन कुछ त्रुटिपूर्ण ही क्यों न हो। स्वाधीनता और स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्तों को एक निश्चित राजनीतिक संस्था का स्वरूप देने क प्रबल कामना इस समय कितने ही कारणों से उत्पन्न हो गई है, जिनमें मुख्य ये हैं—देश की दरिद्रता, मध्यम श्रेणी वालों की बेकारी, शिक्षा का बहुत कम प्रचार, मृत्यु-संख्या की अधिकता, शासन का बेहद व्यय, सेना पर अन्धाधुन्ध ख़र्च और गत यूरोपीय महायुद्ध, जो स्पष्टतः स्वाधीनता और स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्तों के लिए लड़ा गया था। मैं नहीं समझता कि एक भी ऐसा अङ्गरेज़ होगा, जो अपने इतिहास और प्रथाओं का सच्चा अनुयायी हो और जो भारत पर भारतीयों के शासन के दावे को न्याययुक्त होने से इन्कार करे। संसार का प्रत्येक देश अपने नागरिकों से अपने यहाँ का माल लेने का आग्रह करता है, और अगर हम भी अपने उद्योग-धन्धों को उत्साह प्रदान करते हैं, तो यह कोई अपराध नहीं समझा जा सकता। अगर हमारे नेता दावा करते हैं कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर हमारा ही अधिकार रहे, तो यह ग्रेट-ब्रिटेन की इस देश सम्बन्धी नीति का ही स्वाभाविक परिणाम है।

समय की घड़ी की सुई को न तो पीछे लौटाया जा सकता है, न एक स्थान पर रोका जा सकता है। अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञों के लिए यह असम्भव है कि भूतकाल की दशा में लौट सकें और भारत पर शक्ति द्वारा शासन करने की चेष्टा कर सकें। दमन के द्वारा न्यायोचित राजनीतिक आकांक्षाओं की वृद्धि नहीं रोकी जा सकती, ठीक उसी तरह, जिस तरह हमारे हिंसा में प्रवृत्त होने से उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह बड़ी शोचनीय बात है, हमारे नवयुवक राजनीतिक स्वाधीनता के लिए धैर्य खोकर हिंसा की तरफ़ झुक जाते हैं। जो लोग इस उपाय का अवलम्बन करते हैं, उनको इसके नाशक प्रभाव का ज्ञान नहीं है। अगर इस प्रकृति को बढ़ने दिया जाय तो इससे केवल भारत की स्वाधीनता का दिन ही स्थगित न हो जायगा, वरन् यह अपने पीछे ऐसा भाव छोड़ जायगी, जिससे सभ्यता का अस्तित्व रह सकना कठिन हो जायगा। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बुद्धिमत्ता तथा समझौते के रास्ते की तरफ़ आकर्षित करें। वह दिन केवल भारत और ब्रिटेन के लिए ही नहीं, वरन् समस्त संसार के लिए बड़ा शुभ होगा, जब कि कोई ऐसा न्यायोचित समझौता हो सके, जिसके द्वारा भारत बिना अपने स्वाभिमान, स्वाधीनता और राष्ट्रीयता का बलिदान किए बिना ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक सदस्य की हैसियत से शामिल होने को राज़ी हो सके। मैं कह सकता हूँ कि इङ्गलैण्ड अभी यह नहीं भूल गया है कि किस तरह उसने अमेरिका को खो दिया और किस उपाय से दक्षिण अफ़्रीका को अपने अधिकार में बचा लिया। भारत ब्रिटिश साम्राज्य में सदस्य होकर रहने से कभी इन्कार न करेगा, यदि ऐसी सदस्यता का अर्थ ग्रेट-ब्रिटेन के साथ भारत का इस प्रकार का सम्बन्ध हो, जो दोनों

के लिए लाभजनक हो, न कि उसका अर्थ ग्रेट-ब्रिटेन का अपने स्वार्थ के लिए अधिकार हो।

पर भारत के शासन की ज़िम्मेदारी भारतवासियों के हाथों में आने से ही यह समस्या हल नहीं हो सकती, यह एक झूठा स्वप्न है कि जिस क्षण से भारत को अपने घर का प्रबन्ध आप करने का अधिकार प्राप्त हो जायगा, उसी क्षण से सब लोग ख़ुश और सन्तुष्ट हो जायँगे। स्वराज्य सब बुराइयों को दूर नहीं कर सकता। राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने और प्राप्त होने के बाद उसकी रक्षा करने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि हमारा समाज-सङ्गठन न्याय के आधार पर स्थापित हो। हमको एक ऐसे सामाजिक भवन का निर्माण करना होगा, जिसकी नींव सचाई, स्वाधीनता और समता के ऊपर रक्खी जाय।

वर्तमान सङ्कट

प्रत्येक देश के जीवन में ऐसे समय आते हैं, जबकि सामूहिक स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का बलिदान करना पड़ता है। यूरोपियन राष्ट्रों को गत महायुद्ध के समय ऐसी ही परिस्थिति में होकर गुज़रना पड़ा था, जब कि वहाँ के निवासियों ने राष्ट्र के कल्याण के लिए व्यक्तिगत आराम और स्वार्थ को त्याग दिया था। यह कहना ठीक नहीं है कि ऐसा समय तभी आता है, जब किसी राष्ट्र को बाहरी शत्रुओं का भय हो, जब किसी देश में भयङ्कर बाढ़ आती है या अकाल पड़ता है, तो उस दशा में समस्त देश के हित के सामने व्यक्तियों के हित का ध्यान छोड़ देना पड़ता है। मेरी सम्मति में आजकल हमारे देश को एक सब से अधिक भयङ्कर सङ्कट का सामना करना पड़ रहा है। यह सङ्कट युद्ध या क्रान्ति या राष्ट्रीय दिवाला नहीं है, वरन् हमारी आपस की फूट है। जिस नवीन भारत के निर्माण की हम चेष्टा कर रहे हैं, उसका गला जन्म ही से राष्ट्रीयता-विरोधी शक्तियाँ घोंट रही हैं। जैसे हमारी निद्रा भङ्ग होती है, हम अपने को उन शक्तियों से घिरा पाते हैं, जो हमारे बन्धनों को क़ायम रखने वाली हैं। साम्प्रदायिक समझौते में असफल होने का फल बड़ा गम्भीर हुआ है। विश्वास, रक्षा और आशा के स्थान पर एक नए अविश्वास, एक नई चिन्ता और एक नई अनिश्चित दशा का प्रादुर्भाव हुआ है। उन्नतिशील राष्ट्रों में साहस और परीक्षण का जो भाव होता है, उसे हम खो बैठे हैं। भूतकाल में बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों का नाश इसीलिए हो चुका है कि वे परिवर्तित परिस्थिति के साथ अपने को न बदल सके। इतिहास को वे निरर्थक जान पड़े और उसने अपने आगे के लिए कूँच में उनको बहा दिया। अगर हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो हमको उस जलती हुई मशाल का, उस सफ़ाई करने वाली आग का और विद्रोह करने वाली अन्तरात्मा का प्रयोग करना चाहिए। हमको अपने ऊपर अत्याचार करने वाले भूतकाल का, हमारे जीवन के लिए ख़तरा पैदा करने वाली बर्बरतापूर्ण प्रथाओं का और उन अन्धविश्वास के भावों का, जो उत्तमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने में बाधा डालते हैं, अच्छी तरह मुक़ाबला करना चाहिए। हम लोग प्रति दिन ऐसे काम करते रहते हैं, जो हमारे मनुष्यत्व के लिए कलङ्क-स्वरूप हैं। हम लोग भोजन करते हैं, वस्त्र पहिनते हैं और तरह-तरह के सुख भोगते हैं, जब कि वे लोग, जो उनको उत्पन्न करते हैं, अस्वास्थ्यकर परिस्थिति और घोर दरिद्रता में धीरे-धीरे मरते जाते हैं। जो लोग कष्ट सहन करते हैं उनके साथ हम अपनी स्वाभाविक सहानुभूति को इसलिए प्रकट होने से रोकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा लाभ नहीं है। अपने आराम के मूल्य-स्वरूप हमको एक बहुत बड़े अन्याय को स्वीकार कर लेना पड़ता है। हम एक ऐसे अन्यायपूर्ण नियम की प्रशंसा करते हैं, जो हमारे ही सम्बन्धी करोड़ों व्यक्तियों को मनुष्यत्व के अधिकार देने से इन्कार करता है, और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हम उसको धर्म के साथ मिला देते हैं।

कूप-मण्डूकता

आप लोगों की शिक्षा व्यर्थ है, अगर आप स्वमताभिमान के ख़तरे से अपनी रक्षा न कर सकें। कोई भी सम्मति इसलिए सच्ची नहीं समझी जा सकती कि वह बहुत दिनों से चली आई है। तो भी हम उसमें बड़े अनुराग के साथ लिप्त रहते हैं। अगर उन लोगों को दण्ड देना हमारे अधिकार में हो, जो उससे इन्कार करते हैं, तो इससे वह दण्ड न्यायोचित नहीं हो सकता। जनसत्तावाद का भाव डिक्टेटरशिप के भाव के विरुद्ध है। इसका कोई सवाल नहीं कि वह डिक्टेटरशिप धर्म सम्बन्धी है या राजनीति सम्बन्धी। अगर हम सच्चे जनसत्तावादी हों तो हम समझ सकते हैं कि संसार के लिए सब तरह की बातों की आवश्यकता है। और हमको यह नहीं मान लेना चाहिए कि जो लोग धार्मिक विश्वास में हमसे मतभेद रखते हैं, वे सीधे नरक चले जायँगे। हमको अपने भीतर इतना विनय का भाव रखना चाहिए कि हम दूसरे लोगों की लाभदायक बातों को भी स्वीकार कर सकें, चाहे उनका अन्तरङ्ग विश्वास और मानसिक दृष्टिकोण कितना भी अधिक विपरीत क्यों न हो। कानपुर, ढाका, चटगाँव की घटनाएँ तथा राष्ट्रीयता-विरोधी आन्दोलन से प्रकट होता है कि हम लोगों का दिल और दिमाग़ बिल्कुल दक़ियानूसी है, चाहे हम २०वीं सदी के अनुकूल शासन-विधान के लिए चाहे जितना आन्दोलन क्यों न मचावें। मध्यकाल में धर्म-गुरु ही मनुष्यों की सम्पूर्ण ज़िन्दगी के मालिक थे। पर अगर आज यूरोप के सबसे बड़े धार्मिक महन्त उसी प्रथा को जारी रखने की चेष्टा करते हैं और इस बात के लिए नियम बनाते हैं कि औरतों की पोशाक कितनी नीची होनी चाहिए, तो लोग उन पर हँसते हैं। पर हमारे देश में ऐसी ही विचित्र आज्ञाओं को शिक्षित व्यक्ति तक गम्भीर भाव से स्वीकार करते हैं और उनके पालन करने में हम एक-दूसरे से लड़ने में भी नहीं हिचकिचाते। धर्म-गुरुओं का अभी तक हमारे सामाजिक सङ्गठन में प्रधान स्थान है। जब तक हम उनके प्रभाव का विरोध कर सकने में समर्थ न होंगे और यह मानते रहेंगे कि जाति या सम्प्रदाय का महत्व देश से बढ़ कर है, तब तक हम कूप-मण्डूक ही बने रहेंगे और सच्चे जनसत्तावाद के अयोग्य समझे जायँगे। अगर हम इस बढ़ते हुए ख़तरे को रोकने की चेष्टा न करेंगे, तो हम फिर बर्बर अवस्था में पहुँच जायँगे। हर एक जाति की आकांक्षाएँ और त्रुटियाँ समान ही हैं। अगर हमको पौष्टिक भोजन का अभाव है, स्वास्थ्य-रक्षा का ठीक प्रबन्ध नहीं किया जाता, नौकरी नहीं मिलती, स्वास्थ्यजनक परिस्थिति में आराम करने का अवसर नहीं मिलता, तो ये शिकायतें किसी एक जाति या सम्प्रदाय को नहीं हैं। हमको ऐसा कार्य करना चाहिए कि जब भारत के स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास लिखा जाने लगे, तो किसी को यह कहने का अवसर न मिले कि किसी सम्प्रदाय—हिन्दू या मुसलमान, या सिख या ईसाई—ने अपने स्वार्थ-साधन के लिए देश के साथ विश्वासघात किया।

विद्रोह की आवश्यकता

हम चारों तरफ़ से युवकों के विद्रोह की आवाज़ें सुन रहे हैं। सम्भवतः मैं इस विद्रोही भाव से बहुत-कुछ सहानुभूति रखता हूँ, और मुझे केवल यह शिकायत है कि यह भाव अभी काफ़ी नहीं फैला है। सर्व-साधारण में फैला हुआ यह भाव कि हमारी प्राचीन सभ्यता आदर्शवादी है और आधुनिक सभ्यता भौतिकवादी, विद्रोह का नहीं, वरन् अवनतिशीलता का चिन्ह है। यह बात हमारे पुराण-पन्थीपन का समर्थन करने के लिए सिवाय एक थोथी दलील के कुछ नहीं है। बीमारी और दरिद्रता में आदर्शवाद की कोई बात नहीं है, और न इस प्रथा में, जो मनुष्य-शरीर-धारियों को बोझा ढोने वाला पशु बना डालती है, किसी तरह की आध्यात्मिकता मानी जा सकती है। साथ ही अगर विज्ञान का मनुष्यों के कष्टों को कम करने में उपयोग किया जाता है, या उसके द्वारा मनुष्यों के सुख की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इसमें भौतिकवाद की कोई बात नहीं है। भविष्य का आधार उन्हीं नवयुवकों पर है, जो भ्रष्ट समाज-सङ्गठन और धार्मिक अन्धविश्वास के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। जो लोग ऐसी गम्भीर परिस्थिति में उदासीन रहते हैं, वे लोग निर्दय तथा दोषी माने जाएँगे। लोगों की उदासीनता के आधार के कारण ही अन्याय की वृद्धि होती है। बुरा मालिक, अन्यायपूर्ण क़ानून, भ्रष्ट नेता और झूठे शिक्षक के फलने-फूलने का कारण यही होता है कि कोई उनको चुनौती नहीं देता। अन्याय इसलिए फैलता है कि जिन लोगों में न्याय का कुछ भाव होता है, वे लापरवाह बने रहते हैं। अगर आप उस कष्ट का अनुमान कर सकें, जो एक आधे नङ्गे और आधे भूखे व्यक्ति को सहना पड़ता है, तो आप कभी उदासीन नहीं रह सकते।

पर समाज के अन्याय के प्रति विद्रोह के भाव को आज्ञापालन के अभाव अथवा असहिष्णुता के साथ मिलाया नहीं जा सकता। विद्रोह का भाव दूसरों के प्रति गहरे और सच्चे सभ्यतापूर्ण बर्ताव और अन्य लोगों के भावों का ख़्याल रखने के प्रतिकूल नहीं है। हमको उन सद्व्यवहार सम्बन्धी मूल-नियमों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रत्येक, सभ्य समाज के लिए चाहे वह किसी रूप में क्यों न हो, अनिवार्य हैं।

उपसंहार

हमारे कितने ही नेता सचाई पर नहीं, वरन् सफलता पर लक्ष्य रखते हैं। वे वास्तविक बातों को अपने मनोभावों के अनुकूल रङ्ग में रँग लेते हैं। हम लोगों ने सामूहिक प्रवृत्ति पर प्रभाव डालने की विद्या को सीख लिया है और उसके द्वारा मूर्खों को ठग कर हम अपना उल्लू सीधा करते हैं। जब आप यूनीवर्सिटी से बाहर निकलेंगे और जीवन-संग्राम में प्रवेश करेंगे, तो आप उन्हीं बातों को कहने के लिए ललचाएँगे जिनकी आपसे लोग आशा करते हैं। आप अपने दिल की असली बात न कह सकेंगे। उस समय आपका कर्त्तव्य होगा कि आप बुद्धिमत्तापूर्ण और ख़तरनाक नेताओं की विवेकपूर्वक पहिचान करें। उनमें एक कार्य-कुशल, रचनात्मक और साहसी होगा, जिसकी दृष्टि भविष्य पर होगी और दूसरा नुक़सान करने वाला तथा ख़राब करने वाला जोकि भूतकाल से लिपटा होगा। पुराने लोग शीघ्र ही मर-खप जायँगे और आप लोगों को ही मैदान में आना पड़ेगा। इस राष्ट्रीय आवश्यकता के युग में अपनी योग्यता दिखलाने का आपको स्वर्ण-सुयोग मिला है। अशिक्षा और स्वार्थ की मज़बूत मोरचेबन्दी का दृढ़ विचारों और वीरतापूर्ण कार्यों द्वारा मुक़ाबला करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप यह आशा न करें कि देशभक्ति के बहाव में पड़ कर आप एक ही बार में आदर्श राज्य में पहुँच जायँगे। आपको कठिन मानसिक और शारीरिक परिश्रम

(शेष मैटर ७वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए)

संयुक्त-प्रान्त में लगानबन्दी का आन्दोलन

इलाहाबाद ज़िले में एक दिन में १,०१३ सभाएँ, एक लाख किसानों ने लगान अदा न करने की प्रतिज्ञा की :: कानपुर में दफ़ा १४४

इलाहाबाद में ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी किसानों में लगानबन्दी आन्दोलन को फैलाने के लिए बड़े ज़ोरों से तैयारी कर रही है। हाल में इस सम्बन्ध में एक जलसा रामबाग़ में किया गया था, जिसमें पं० जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। वहाँ पर पं० केशवदेव मालवीय ने हिन्दुस्तानी सेवा-दल की तरफ़ से ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० लालबहादुर को ४० वालण्टियर भेंट किए, जो राष्ट्रीय कार्य के लिए शिक्षित किए गए हैं। ये वालण्टियर गाँवों में लगानबन्दी का प्रचार करने के लिए भेजे जाने वाले थे। इनमें से क़रीब ३० वालण्टियर ३ दिसम्बर से ही गाँवों में फिर कर कॉङ्ग्रेस का निर्णय किसानों को समझा रहे हैं।

लगानबन्दी का आन्दोलन संयुक्त-प्रान्त में बढ़ता जा रहा है। संयुक्त-प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के निर्णय के अनुसार, जिसकी मीटिङ्ग ५ ता० को लखनऊ में हुई थी, इलाहाबाद, कानपुर, इटावा, उन्नाव और रायबरेली में आन्दोलन आरम्भ हो चुका है। इनके सिवाय और भी सात ज़िलों ने लगानबन्दी की आज्ञा माँगी है। इन पर कॉङ्ग्रेस की सब-कमिटी दस-बारह दिन के अन्दर विचार करेगी।

उक्त निर्णय के अनुसार गत मङ्गलवार को इलाहाबाद ज़िले में किसानों की १,०१३ सभाएँ हुईं, जिनमें एक लाख से अधिक किसानों ने उस समय तक एक भी पाई लगान अदा न करने की प्रतिज्ञा की, जब तक कि उसमें काफ़ी कमी न कर दी जाय। ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के दफ़्तर में हर एक तहसील से सूचना आई है कि मङ्गलवार को प्रत्येक स्थान में ऐसी सभा हुई और किसानों ने कॉङ्ग्रेस के अनुसार प्रतिज्ञा की। विभिन्न तहसीलों में सभाओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

सोरॉव १५०; हँडिया ९२; करछना २०१; मन्झनपुर ४६; चायल १३०; सिराथू १३६; मेजा १६० और फूलपुर १३०।

यह अन्दाज़ लगाना कठिन है कि सभाओं में कितने गाँवों ने भाग लिया। पर एक कॉङ्ग्रेसमैन के अनुमान के अनुसार उनकी संख्या मोटे तौर पर १,५०० होगी।

सभाओं में दर्शकों की संख्या गाँव की छोटाई-बड़ाई के अनुसार कमोबेश थी, पर ज़िला कमिटी के एक सेक्रेटरी श्री० लालबहादुर को जो सूचना मिली है, उसके अनुसार इन तमाम सभाओं में काफ़ी उत्साह था। श्री० लालबहादुर की राय में एक ही दिन एक ज़िले में साथ-साथ इतनी अधिक सभाओं का होना, देश के इतिहास में अद्वितीय घटना है। इलाहाबाद ज़िले के हिन्दुस्तानी सेवा-दल के प्रधान पं० केशवदेव मालवीय दो अन्य कार्यकर्ताओं—श्री० एस० जे० गाँधी और श्री० रूपनारायण त्रिपाठी के साथ मङ्गलवार के दिन अधिक से अधिक संख्या में गाँवों का निरीक्षण करने को भेजे गए थे। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि किसानों ने जिस प्रकार उत्साह प्रकट किया है और कॉङ्ग्रेस वालण्टियरों ने जैसा काम कर दिखाया है, वह आशा से बाहर है। उन्होंने हँडिया, फूलपुर और सोरॉव तहसील के गाँवों का दौरा किया था।

कानपुर

कानपुर में भी लगानबन्दी का आन्दोलन ८ ता० से आरम्भ हो गया। वहाँ पर मकानों का किराया और बिजली का चार्ज घटाने का प्रश्न भी उठाया गया है और उसके लिए भी साथ-साथ आन्दोलन किया जा रहा है। १० ता० को वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कप्तान इवटसन ने पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट के नाम एक आज्ञा भेजी थी, जिससे मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकार ने इस आन्दोलन के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस कमिटी द्वारा प्रकाशित एक पर्चा ज़ब्त कर लिया। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट को कहा गया था कि वह अपने अधीन कर्मचारियों द्वारा उस पर्चे की प्रतियाँ जहाँ कहीं मिलें, अपने क़ब्ज़े में कर लें। इसके सिवाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नीचे लिखी सूचना भी १० ता० को कानपुर की जनता के नाम प्रकाशित की है :—

"मुझे मालूम हुआ है कि आज दोपहर को नौजवान भारत सभा की तरफ़ से एक जुलूस निकाला जाने वाला है और एक मीटिङ्ग भी होने वाली है, जिसका उद्देश्य कॉङ्ग्रेस का प्रचार-कार्य करना है। इसके सिवाय स्थानीय कॉङ्ग्रेस ने लगानबन्दी का आन्दोलन भी आरम्भ किया है और उसका एक पर्चा यू० पी० सरकार द्वारा ज़ब्त किया जा चुका है। इसी तरह के जुलूस और हड़ताल के फल-स्वरूप गत मार्च मास में कानपुर में दङ्गा-फ़साद और ख़ून-ख़राबी हुई थी। यह विश्वास करने के कारण मौजूद हैं कि आज के जुलूस और सभा के कारण भी शान्ति भङ्ग होने और जनता के अमन में ख़लल पड़ने का भय है। इसलिए बहुत तत्परता के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा १४४ के अनुसार कानपुर म्युनिसिपैलिटी की सीमा में, उसके चारों तरफ़ दो मील घेरे में सात दिन तक सब प्रकार के जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं का होना रोकने की आज्ञा देता हूँ।"

किसानों को चेतावनी

इलाहाबाद में यद्यपि १० ता० तक सरकार ने कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी, पर यहाँ के कलक्टर मि० क्रफ़र्ड ने किसानों के नाम सूचना प्रकाशित की है कि यदि किसान बिना विलम्ब लगान अदा न कर देंगे, तो उनको जो कुछ रियायतें दी गई हैं, वे वापस कर ली जायँगी। चायल, सिराथू, मन्झनपुर, फूलपुर, हँडिया और सोरॉव तहसीलों के खातों की जाँच हो चुकी है और वहाँ के किसानों को समझ लेना चाहिए कि अब लगान में कुछ भी अधिक कमी नहीं की जा सकती। इन तहसीलों के किसानों को अब जल्दी लगान अदा कर देना चाहिए। किसानों के लिए अन्तिम निर्णय के पर्चे शीघ्र ही मिल जायँगे और किसी के लगान में ८ आना फ़ी रुपया से अधिक कमी न की जायगी।

बाराबङ्की

बाराबङ्की में अभी एक किसान कॉन्फ्रेन्स श्री० श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि सरकार ने लगान में जो कमी की है, वह बहुत ही कम है और किसानों के लिए शेष लगान चुकाना बड़ा कठिन है। सरकार ने जो कमी की है, वह सन् १३१३ फ़सली के हिसाब के अनुसार है, पर उस समय अनाज का भाव वर्तमान समय की अपेक्षा बहुत मँहगा था। सरकार ने एक कम्यूनिक में सन् १३०८ के हिसाब से लगान में कमी करने का वायदा किया था, पर वह अभी तक पूरा नहीं किया गया।

❁ ❁ ❁

बङ्गाल की तरह पञ्जाब में भी नया ऑर्डिनेन्स ?

सहयोगी 'मिलाप' को लाहौर से ख़बर मिली है कि पञ्जाब के कुछ सरकारपरस्त मुसलमानों की तरफ़ से सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि बङ्गाल की तरह पञ्जाब में भी एक ऑर्डिनेन्स जारी करके, उन तमाम नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया जाय, जिन पर क्रान्तिकारी होने का सन्देह है। इस सम्बन्ध में यह भी मालूम हुआ है कि अहमदिया जमायत के लीडर मिर्ज़ा बशीरअहमद महमूद ने भी अपनी सेवाएँ पेश की हैं और अगर सरकार ने इस मामले में कोई क़दम उठाया, तो आप अपनी सरकार-भक्ति का पूरा सबूत देंगे।

—पेशावर के कैण्टोन्मेण्ट स्टेशन पर एक बुड्ढी एङ्ग्लो इण्डियन औरत गिरफ़्तार की गई है, जिसके पास दो बक्सों में १ मन से ज़्यादा चरस पाया गया। मालूम होता है कि वह इसे दिल्ली ले जा रही थी। वह एक भारी गुण्डा-दल की सदस्य है, जिसका हेड क्वार्टर देहली में है और शाखाएँ तमाम भारत और अफ़ग़ानिस्तान तक में फैली हैं। सीमा-प्रान्त के एक्साइज़ कर्मचारियों ने हामताज़ी नामक गाँव में कुछ पठानों को सात मन चरस चुरा कर ले जाते पकड़ा था।

—ननकाना (पञ्जाब) में होने वाली सिक्ख पोलीटिकल कॉन्फ्रेन्स के सभापति सरदार सन्तसिंह, एम०एल०ए० ने अपने भाषण में कहा है कि पैन इस्लाम आन्दोलन से सिक्खों और हिन्दुओं को समान रूप से भय है। इसलिए हिन्दुओं को गुरुद्वारों के झगड़े के विषय में अपना मत-परिवर्तन करके सिक्खों के साथ मिल कर काम करना चाहिए।

❁

(६ठे पृष्ठ का शेषांश)

द्वारा एक नवीन समाज का निर्माण करना होगा। अगर आप उन आदर्शों को स्मरण रक्खेंगे, जिनको आपकी यूनीवर्सिटी ने आपके सामने रक्खा है, और आप साहस तथा न्याय, सचाई और समाधिकार का पक्ष ग्रहण करेंगे, तो आप अपने देश को ऐसे अवसर पर कदापि निराश नहीं कर सकते, जब कि उसे आपकी सेवा और मार्ग दिखलाने की आवश्यकता है। समय ही बतलाएगा कि आप अपने सुख तथा सुभीते का ख़्याल रखते हैं अथवा सचाई और कष्ट-सहन का। तभी यह मालूम हो सकेगा कि आपकी यूनीवर्सिटी ने आपके भीतर साहस, दृढ़ निश्चय और स्वार्थ-त्याग के गुण विकसित किए हैं, अथवा आपको ऐसा दिखावटी व्यक्ति बनाया है, जो हमेशा शान दिखलाने, अपने ही मतलब का ध्यान रखने, आराम की फ़िक्र में लगे रहने और कुछ काम न करने पर ही ध्यान रखते हैं। आप भारत को बन्धन से मुक्त होने में सहायता पहुँचाएँगे अथवा आप उसके बन्धनों को और भी मज़बूत बनाएँगे? क्या आप अपने जीवन को इस तरह का बनाएँगे कि आपके सम्बन्ध में ऐसा कथन मान-हानिकारक समझा जाय कि आप सेवा और कष्ट-सहन के जीवन की अपेक्षा ऊँचे पदों और सुख-प्राप्ति के जीवन की तरफ़ अधिक आकर्षित थे? समय ही इसका जवाब देगा। अलविदा।"

❁ ❁

[वर्ष २, खण्ड १, संख्या ११

क्रान्तिकारियों को कुचलने की योजना

नज़रबन्दों की संख्या बढ़ेगी :: उनको अन्य प्रान्तों में भेजा जायगा

"बङ्गाल की हत्याओं, हत्या की चेष्टाओं, धमकी देने, हथियारबन्द डकैतियों और हिंसात्मक कामों का क़िस्सा बड़ा लम्बा है। यह एक बड़ा गम्भीर और वास्तविक ख़तरा है और उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा-स्वरूप है।"—ये वाक्य बङ्गाल के गवर्नर ने ३० नवम्बर को सेण्ट एण्ड्रयूज़ डिनर के समय कहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि—"सरकार का कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। चूँकि हिंसावाद से समझौता कर सकना असम्भव है। जो लोग इन कामों को कर रहे हैं अथवा इनके लिए उत्साह प्रदान कर रहे हैं, वे क़ानून की सीमा से बाहर हैं।"

अब तक की कार्यवाही

गवर्नर ने बङ्गाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन के पिछले २० वर्षों के इतिहास की आलोचना करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि ऑर्डिनेन्स के रूप में नए अधिकार प्राप्त करना सरकार के लिए नितान्त आवश्यकीय है। इसमें सन्देह नहीं कि यह अब बङ्गाल में प्रचलित किए गए तमाम ऑर्डिनेन्सों से अधिक ज़ोरदार होगा। पिछले ऑर्डिनेन्स के अनुसार ज़ोरदार और विस्तृत उपायों से काम लिया गया है। भविष्य में जो कार्यवाही की जाने वाली है, उससे नज़रबन्दों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जायगी और इससे उनके नियम के अनुसार रहने की समस्या भी कठिन हो उठेगी। सरकार इस विषय पर अभी से ग़ौर कर रही है और नज़रबन्द-कैम्पों में आज्ञापालन के भाव की अच्छी तरह क़ायम रखने के लिए पूरा प्रबन्ध किया जा चुका है।

नज़रबन्दों को हटाना

कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि नज़रबन्दों को बङ्गाल प्रान्त से हटा दिया जाय। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार का उपाय अधिकांश हालतों में बहुत ही शुभ है, पर किसी अन्य प्रान्त से ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारी लेने को कहना भी कठिन बात है। तो भी कुछ लोगों को अन्य प्रान्तों में भेजना अभी से शुरू कर दिया गया है।

सेना की सहायता से कारवाई

नए बङ्गाल ऑर्डिनेन्स का ज़िक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि वह कुछ मुक़ामों में अभी जारी कर दिया गया है और सिविल अधिकारियों को सेना की पूरी सहायता दी गई है। इससे विश्वास होता है कि कुछ मुक़ामों में हिंसात्मक आन्दोलन के कारण क़ानून-भङ्ग की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, उसका अच्छी तरह इलाज किया जा सकेगा।

नए ऑर्डिनेन्स के अनुसार जो विशेष अदालतें क़ायम की गई हैं, उनका उद्देश्य यह है कि हिंसात्मक अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों का जल्दी से फ़ैसला हो सके। निर्दोष व्यक्तियों को उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। ऐसी अदालतों को हत्या की चेष्टा के लिए फाँसी की सज़ा देने का अधिकार रहेगा।

नए ऑर्डिनेन्स की प्रभावशाली और कठोरतापूर्ण शक्ति का तब तक पूर्ण रूप से उपयोग किया जायगा, जब तक कि क्रान्तिकारी आन्दोलन बिल्कुल नष्ट न हो जाय। यद्यपि इस बात की गारण्टी नहीं दी जा सकती कि अब कोई हत्याकाण्ड आदि न होगा, पर जितने जाने हुए क्रान्तिकारी हैं, उन सबको पकड़ा जा रहा है, भावी आक्रमणों को रोकने और दोषी व्यक्तियों को शीघ्र से शीघ्र दण्ड देने की चेष्टा हर तरह से की जा रही है।

सहायता की अपील

गवर्नर ने एक ऐसा लोकमत तैयार करने की अपील की है, जो क्रान्तिकारियों के कार्यों से सहानुभूति न दिखावे और सरकार के साथ इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करे। ऐसा लोकमत हिंसावाद को पस्त करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है।

भावी गवर्नर की प्रशंसा

बङ्गाल के भावी गवर्नर सर जॉन एण्डरसन की नियुक्ति का ज़िक्र करते हुए गवर्नर ने उनकी प्रशंसनीय सार्वजनिक सेवाओं की तारीफ़ की और कहा कि पहले ही यह कह कर कि वे दमन में सिद्धहस्त होने के कारण ही इस पद पर नियुक्त किए गए हैं और उनमें शासन के अन्य गुण नहीं हैं, उनके महत्व को घटाना सर्वथा अनुचित है।

तीसरी बार सफलता प्राप्त होगी

"भारत को जो स्वाधीनता दी जा रही है, वह क़ैदी की स्वाधीनता है, जो उसे कालकोठरी में बन्द करने के बाद दी जाती है।"

मद्रास का ७ दिसम्बर का समाचार है कि कॉङ्ग्रेस हाउस की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए श्री० सत्यमूर्ति ने कहा—"बिना सेना पर अधिकार हुए स्वराज्य बिना ख़ुशबू का फूल है।"

श्री० राजगोपालाचार्य ने, जो सम्भवतः इस बार कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट चुने जाने वाले हैं, प्रधान मन्त्री की घोषणा की आलोचना करते हुए आपने कहा कि—"मि० मेकडॉनल्ड की घोषणा केवल धोखे की टट्टी है। म० गाँधी का यह कहना सच है कि भारत को जो स्वाधीनता देने का वायदा किया जा रहा है, वह क़ैदी की स्वाधीनता है, जो उसे कालकोठरी में बन्द करने के बाद दी जाती है।

परिवर्तन काल असीम है

सिवाय कॉन्फ्रेन्स के अन्तिम सलाह के, जिसमें कि महात्मा जी को ठण्ड लग जाने से उनको दवाइयों के सहारे अपनी आवाज़ को क़ायम रखना पड़ा था, कॉङ्ग्रेस ने कभी किसी बात को चुपके से नहीं मान लिया। प्रधान मन्त्री की घोषणा में एक सबसे बड़ी तथा भयङ्कर त्रुटि यह है कि उसमें परिवर्तन काल की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। अगर केन्द्रीय सरकार के हाथ में आय के अधिकांश भाग का अधिकार रहे तो फिर प्रान्तीय स्वतन्त्रता का अधिकार निरर्थक हो जाता है। कॉङ्ग्रेस प्रधान मन्त्री की घोषणा को स्वीकार कर सके, इसकी सम्भावना बहुत कम है। क्योंकि अभी तक उसमें के संरक्षणों और विशेष अधिकारों की व्याख्या नहीं की गई और जो प्रकट किए गए हैं, वे इङ्गलैण्ड की भलाई के लिए हैं।

कॉङ्ग्रेस की विजय

समस्त जनता का कर्तव्य है कि गवर्नमेण्ट के उत्तेजना दिलाने पर भी वह अपना धार्मिक कर्तव्य समझ कर दिल्ली-समझौते की शर्तों का पालन करे। इस समय उसके सामने यही कार्यक्रम है कि विदेशी कपड़े का बॉयकॉट करे, शराब की दुकानों की पिकेटिङ्ग की जाय और अछूतपन को दूर किया जाय।

मि० लॉयड जॉर्ज ने बम्बई में कहा है कि कॉन्फ्रेन्स तीसरी बार सफल होगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कॉङ्ग्रेस दो बार संग्राम कर चुकी है, अब तीसरी बार उसे सफलता प्राप्त होगी। अगर बॉयकॉट का आन्दोलन बढ़ा और ब्रिटेन ने फिर गाँधी जी को भारत की समस्या हल करने को बुलाया तो इङ्गलैण्ड का राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल २४ घण्टे में टूट जायगा।"

काश्मीर पर रामपुर

काश्मीर के विरुद्ध अहरारिए और अन्य मुसलमान इस समय जो कुछ कर रहे हैं, इसके सम्बन्ध में महाराज बीकानेर के बाद रामपुर रियासत के नवाब साहब ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। जिसमें आपने कहा है :—

"घटना पर अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद इसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकाशित करना कोई आनन्ददायक कार्य नहीं है। परन्तु घटना की दायित्व-हीन समालोचना, जिसके प्रचारक प्रायः स्वार्थपर लोग होते हैं, इससे एक बुरे परिणाम पर पहुँच जाते हैं, जिसका कोई उन्नति प्रयाशी व्यक्ति अनुमान भी नहीं कर सकता। मेरे योग्य भ्राता हिज़ हाइनेस महाराजा बहादुर काश्मीर और जम्मू की रियासत के सम्बन्ध में, दुर्भाग्यवश जो बातें हो रही हैं, वे इस विचार के प्रमाण हैं। इससे मुझे अत्यन्त दुःख पहुँचा है। अगर इस आन्दोलन पर बाहरी प्रभाव न पड़ता, तो मुझे विश्वास है कि अब तक सारा झगड़ा बड़ी शान्ति और सहूलियत से मिट गया होता। इस सम्बन्ध में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि ब्रिटिश भारत के मुसलमानों से अपील करूँ कि वे काश्मीर में शान्ति स्थापित करने की चेष्टा करें। ताकि महाराजा बहादुर शीघ्र ही इस झगड़े का तसफ़िया कर सकें।

धर्म के नाम पर पाप

बड़ौदा राज्य ने हाल में अछूतों के विशेष स्कूलों को बन्द कर दिया है और उनके लड़कों को राज्य के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने की आज्ञा दी है। इसके फल से गाँवों के कट्टर सनातनी लोग बहुत बिगड़े हैं और अछूतों को तरह-तरह से कष्ट दे रहे हैं। एक गाँव में अछूतों की फ़सल जला दी गई, उनके कुएँ में मिट्टी का तेल छोड़ दिया गया और उनका सार्वजनिक रास्ते से चलना बन्द कर दिया गया। गाँव वाले अछूतों को धमका रहे हैं कि वे यह लिख दें कि हम अपने लड़कों को उन स्कूलों में भेजने को राज़ी नहीं हैं, जिनमें ऊँची जाति वालों के लड़के पढ़ते हैं। अहमदाबाद का एक सार्वजनिक कार्यकर्ता, जो अछूतोद्धार के कार्य में लगा हुआ है, गाँव वालों को समझाने के लिए गया, पर उस पर गाँव के लड़कों ने पत्थर बरसाए।

❀ ❀ ❀

अधिकार-हरण

गवर्नर-जनरल के नया बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स जारी करने से बङ्गाल के दमनकारी शासन को वह पूर्णता प्राप्त हुई है, जो अब तक कभी प्राप्त नहीं हुई थी। मिसाल के लिए चटगाँव में, जहाँ ऑर्डिनेन्स का पहला अध्याय जारी होगा, क़ानूनी शासन क़रीब-क़रीब स्थगित हो जायगा और सरकारी अधिकारी अपने मन से शासन करने लगेंगे और वहाँ मार्शल-लॉ से मिलती जुलती परिस्थिति फैल जायगी।

ऑर्डिनेन्स के दोनों अध्याय को मिला कर विचार करने से पता लगता है कि उनके द्वारा साधारण क़ानूनों का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाता है और उसके स्थान में इस प्रकार की कार्यवाही होने लगती है, जो कुछ अंशों में मार्शल-लॉ के अनुरूप जान पड़ती है। इसके फल से जनता के उन प्राथमिक अधिकारों का अन्त हो जाता है, जिनके लिए लोग हार्दिक आकांक्षा रखते हैं। यह दलील कि इनके द्वारा केवल हिंसात्मक आन्दोलन को दबाया जायगा, एक मिनट के लिए भी सच नहीं मानी जा सकती।

जनता को इस बात की बहुत अधिक आशङ्का है कि नया अधिकार दोषी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्दोषी व्यक्तियों पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। दोषी व्यक्तियों के विषय में भी अपराध और दण्ड में इतना अधिक वैषम्य होगा कि उससे न्याय का नाम-निशान भी न बचेगा। यह दोनों दोष ऐसे हैं, जो स्पेशल क़ानूनों, स्पेशल अदालतों और स्पेशल कार्यवाही में अवश्य पाए जाते हैं। जिन देशों में ऐसी स्थिति रही है, वहाँ का अनुभव निर्विवाद रूप से यही बात प्रकट करता है। ख़ासकर भारत में पुलिस और सरकारी अधिकारी साधारण जनता के प्रति सहानुभूति और विचारों की समानता से शून्य ही नहीं हैं, वरन् वे लोगों पर ज़्यादती करने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सम्राट की प्रजा की जान और स्वाधीनता के सम्बन्ध में असीम और निरङ्कुश शक्ति देना कितना भयजनक है, यह स्वयम् प्रकट है। इस समय तक भी एक बहुत बड़ी तदाद में ऐसे लोग, जिनको उनके देशवासी निर्दोष समझते हैं, या तो बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट या इससे पहले ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार करके नज़रबन्द किए जा चुके हैं। इसमें भी सन्देह नहीं कि इस नए ऑर्डिनेन्स के फल-स्वरूप उससे भी अधिक संख्या में लोगों को कष्ट सहन करना पड़ेगा। सरकार को याद रखना चाहिए कि जो सिविल या फ़ौजी अफ़सर नए ऑर्डिनेन्स के अनुसार प्राप्त अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, उनको अपने अपराध के कारण कुछ भी हानि न उठानी पड़ेगी। वरन् इसका फल यह होगा कि जनता और सरकार के बीच में जो चौड़ी खाईं अभी मौजूद है, वह बेहद बढ़ जायगी। परिस्थिति इस कारण और भी ख़राब हो गई है कि एक तरफ़ तो गवर्नमेण्ट ने उन्नति-विरोधी दल की बातों पर ध्यान देकर ऐसा अभूतपूर्व कठोर उपाय तैयार कर दिया और दूसरी तरफ़ हिजली और चटगाँव में जनता के निर्दोष व्यक्तियों पर जो घोर अन्याय किया गया था, उसके लिए किसी तरह की सज़ा नहीं दी गई। इन अन्यायों की निन्दा बङ्गाल ही नहीं, भारत भर के नेक और सत्यप्रेमी लोगों ने की है। डॉ० रवीन्द्रनाथ जैसे व्यक्ति ने भी, जिनको कोई पेशेवर आन्दोलनकारी नहीं कह सकता, इस सम्बन्ध में दोषी लोगों को कड़ी सज़ा देने की माँग की है।

—ट्रिब्यून (लाहौर)

❀ ❀ ❀

फ़ौजी शासन

इस नए ऑर्डिनेन्स का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि बङ्गाल प्रान्त में और ख़ासकर चटगाँव में मार्शल-लॉ क़ायम हो जायगा। अब से आगे बङ्गाल का शासन-कार्य सिविल ढङ्ग से न होगा, वरन् खुल्लमखुल्ला फ़ौजी ढङ्ग से होगा। यहाँ तक कि 'स्टेट्समैन' को भी कहना पड़ा है कि "यह फ़ौजी क़ानून के ही अनुरूप है और इसके अनुसार सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सेना का उपयोग किया जायगा।" यही जनता के लिए सब से ख़राब बात है; क्योंकि सिविल शासन के पर्दे के भीतर फ़ौजी शासन फैल जायगा और उसका पूर्ण रूप से सैनिक अधिकारियों तथा उन लोगों के इशारे पर सञ्चालन होगा, जो 'मज़बूती के साथ हुकूमत' की पुकार मचा रहे हैं। जनता का जीवन, स्वाधीनता और सम्पत्ति पूर्ण रूप से सैनिक अधिकारियों के हाथ में ही रहेगी।

अगर हम इस बात का ख़्याल छोड़ भी दें कि साधारण जनता पर शासन का भार पुलिस और सेना के हाथ में दे डालने का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भी हमको इस बात में सन्देह है कि यह हिंसात्मक क्रान्तिकारियों को दबाने में सफल हो सकेगा। यह ठीक है कि कुछ दिनों के लिए यह एक ख़ास तरह के हिंसात्मक आन्दोलन को दबा देगा, पर दबाने का अर्थ उसका नाश कर देना नहीं है। इसके साथ ही यह दबाना तब सम्भव होगा, जब कि उससे भी बढ़ कर कठोर हिंसावाद को प्रधानता दे दी जायगी, इसलिए जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है, वहाँ तक न किसी को आराम से बैठने को मिल सकेगा और न शान्तिमय दशा लौट सकेगी। इसके बजाय उनको गुप्त हत्याकारियों के कभी-कभी प्रकट होने वाले आतङ्कजनक कार्यों की जगह सैनिक अधिकारियों का खुल्लमखुल्ला और निरन्तर आतङ्कवाद सहन करना पड़ेगा, जो कि क़ानून द्वारा वैध माना जायगा। यह बहुत सम्भव है कि 'मज़बूत गवर्नमेण्ट' का यह कार्य इस शक्ति को क़ायम रखने की अन्तिम चेष्टा हो, क्योंकि अब यह शक्ति नौकरशाही के हाथों से बड़ी शीघ्रता से निकलती जाती है। आयर्लैण्ड में जब 'ब्लैक एण्ड टैंक्स' दल वालों का शासन जारी हुआ, तो उसके दो साल बाद ही उस देश को पूर्ण स्वाधीनता मिल गई। यह समझने का कोई कारण नहीं कि भारतवर्ष में इतिहास दूसरी तरह का उदाहरण पेश करेगा। बङ्गाल में जो फ़ौजी क़ानून जारी किया गया है और अन्य प्रान्तों में भी उस तरह के क़ानूनों की जो सम्भावना है, उसके परिणाम-स्वरूप कोई आश्चर्य नहीं कि भारत को अपनी इच्छित स्वाधीनता प्राप्त हो जाय। इस निगाह से हम बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स की निन्दा करने के बजाय उसका स्वागत करना चाहते हैं।

—सर्चलाइट (पटना)

❀ ❀ ❀

'फ़ौलादी पञ्जे' की नीति

नौकरशाही अपने ज़ुल्मों के प्याले को भर रही है और उसका प्रमाण बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स है, जिसमें जुर्म के पहले गिरफ़्तारी, तकलीफ़ दूर किए बिना नज़रबन्दी, प्रकाश के बिना मुक़दमे की सुनवाई, अपील के बिना सज़ा होती है। उसको किसी आदमी और किसी चीज़ पर अधिकार जमाने की शक्ति है। यह शुरू से आख़ीर तक फ़ौलादी पञ्जे का शासन है।

यह ऑर्डिनेन्स या तो भयभीत होने अथवा द्वेष रखने का फल है। हिंसात्मक आन्दोलन वालों के विरुद्ध यह बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मौत या नज़रबन्दी हिंसावादियों को नहीं डरा सकती। जो लोग हिंसावादी नहीं हैं, उन्हीं को यह तङ्ग कर सकता है और इससे सद्भाव का वह बचा-खुचा भाव भी नष्ट हो जायगा, जिसके सहारे बङ्गाल-सरकार टिकी हुई है।

—फ़्री प्रेस जर्नल (बम्बई)

❀ ❀ ❀

पुलिस-राज्य

बङ्गाल इस समय पुलिस वालों का स्वर्ग बना है। उनको आवश्यकता नहीं कि वे किसी सन्दिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध कोई जुर्म साबित करें। वे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह, किसी भी स्थान के लिए भेज सकते हैं और उसके साथ जिस तरह चाहें, व्यवहार कर सकते हैं। इसका आशय है सब क़ानूनों को उठा कर ताक पर रख देना। यह शासनकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली सज़ा है, यह रूस की ज़ारशाही के ज़माने का वापस आ जाना है।

वायसरॉय के इस नए ऑर्डिनेन्स के जारी हो जाने के बाद क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि अब पाँच करोड़ प्राणियों के निवास-स्थल बङ्गाल में राई भर भी व्यक्तिगत या सामाजिक स्वाधीनता शेष है? यह बात गवर्नमेण्ट के हित की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उसका विश्वास बिल्कुल उठ जायगा। नौकरशाही शासन ज़रूरत से अधिक समय तक टिक चुका है और अब कड़वे तथा हानिकारक फल उत्पन्न कर रहा है। अगर वायसरॉय एक ऑर्डिनेन्स निकाल कर नौकरशाही को हटा दें और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शासन की ज़िम्मेदारी भारतीय मन्त्रियों को सुपुर्द कर दें, तो इस देश में हफ़्ते भर के भीतर शान्ति हो सकती है। यही असली इलाज है और बाक़ी सब अताईपन की बातें हैं, जिनसे सब पक्ष वालों की दशा दिन पर दिन बिगड़ती जायगी।

—सिन्ध ऑब्ज़र्वर

❀ ❀ ❀

क्या टोंक के नवाब मुसलमान नहीं हैं ?

महाराज काश्मीर के विरुद्ध जब आन्दोलन आरम्भ हुआ था, तो मुस्लिम समाचार-पत्रों ने अधिकार, न्याय और काश्मीर की प्रजा के उत्पीड़न का नाम लेकर आन्दोलन को चमकाया। फलतः हम मुसलमानों की माँगों से सौ प्रतिशत सहमत थे। परन्तु इन लोगों के न्याय और ईमानदारी के दीवाले का इससे बढ़ कर क्या प्रमाण हो सकता है कि जो समाचार-पत्र उस समय काश्मीर की प्रजा के अधिकारों के नाम पर काश्मीर के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, अब जब हिन्दुओं ने हैदराबाद और भूपाल पर चोट का श्रीगणेश आरम्भ किया तो ये चिल्ला उठे हैं। और उन्होंने शोर मचाना आरम्भ कर दिया है कि यह इस्लामी रियासतों को मिटाने के मनसूबे हैं। और मुस्लिम शासकों को बदनाम करने की साज़िश की जा रही है। मानो, अगर कोई हिन्दू नरेश अत्याचारी है तो वह फाँसी के योग्य है, परन्तु अगर कोई मुस्लिम नरेश अत्याचारी हो तो उसकी हिन्दू प्रजा के सम्बन्ध में आवाज़ उठाना इस्लाम पर आक्रमण करने के बराबर है।

उपर्युक्त विचार-धारा के साथ यह और भी दिलचस्पी से देखा जा रहा है कि जब मुस्लिम राज्यों की हिन्दू प्रजा के पक्ष में आवाज़ उठाई जाए, तो इन अख़बारों की नज़रों में वह अपराध है और ख़ुद ये लोग इन मुस्लिम नरेशों के अत्याचारों का वर्णन करें तो वह पुण्य (सवाब) है। उनके चाल-चलन पर आक्रमण करें तो वह उचित, और उनको गालियाँ दें तो भलमनसाहत है। बहुत दिन हुए एक मुस्लिम अख़बार ने टोंक के नवाब की बदचलनियों का ऐसा परदाफ़ाश किया कि नवाब को उस पर मुक़दमा चलाना पड़ा। और आधे दर्जन से अधिक अख़बार वर्तमान नवाब के ज़ालिम, सौतेली माता के साथ दुराचार करने वाला, नापाक, सुअर, डाकू और मक्कार आदि होने का इलज़ाम लगाते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई अमुसलमान अख़बार मुसलमान नरेशों को बेपरदा करे तो वह अपराधी है और अगर मुस्लिम अख़बार उसकी पगड़ी उछाले तो वह बिल्कुल उचित है।

हम मुस्लिम अख़बारों से पूछते हैं कि क्या यह न्यायपरता और ईमानदारी है ?

—रियासत (दिल्ली)

❀ ❀ ❀

काश्मीर में मुग़ल-राज्य

आज काश्मीर से जो समाचार आए हैं, उनमें यदि कुछ सत्यता है, तो हमें कहना चाहिए कि एक बार फिर काश्मीर में मुग़लों की वह स्पिरिट आ गई है, जिसके वशवर्त्ती होकर मुग़ल बादशाहों ने हिन्दू-तीर्थों, हिन्दू-मन्दिरों और हिन्दुओं के पवित्र स्थानों को मटियामेट कर डाला था अथवा उन पर अधिकार करके उन्हें अपवित्र कर डाला था। आज भी श्रीनगर से आवाज़ें आ रही हैं कि मुसलमान श्री० शङ्कराचार्य के मन्दिर और पहाड़ी पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। अनन्त-नाग के बड़े सोते पर क़ब्ज़ा करने का षड्यन्त्र हो रहा है। इसी तरह काली-मन्दिर पर भी छापा मारा जाएगा और दूसरे हिन्दू-मन्दिरों पर भी क़ब्ज़ा किया जायगा। यही नहीं, बल्कि अब तो काश्मीर के मुसलमानों ने हिन्दुओं के प्राइवेट मकानों पर भी जबरन अधिकार जमा लेने की साज़िश आरम्भ कर दी है। एक प्रतिष्ठित वकील के मकान पर कई मुसलमान चढ़ दौड़े और यह कहते हुए कि यहाँ हमारा कोई मज़ार था, उस पर क़ब्ज़ा करना चाहा। आख़िर यह सब क्या हो रहा है ? काश्मीर में हिन्दू-राज्य है या मुग़ल-राज्य ? इन ख़बरों का तो साफ़ अर्थ यह है कि काश्मीरी मुसलमानों ने क़ानून को अपने हाथ में ले लिया है और वे जहाँ चाहते हैं, अपनी अधिकता के घमण्ड में आकर धावा बोल देते हैं। प्रजा पर अत्याचार करना बहुत बुरा है, परन्तु प्रजा के बहु-संख्यक दल को अल्प संख्यकों पर अत्याचार करने देना और भी बुरा है। अवस्था ऐसी शोचनीय हो गई है कि अब हिन्दुस्तान के हिन्दुओं का चुपचाप बैठे रहना आत्म-हत्या करने के तुल्य होगा। इस शोचनीय अवस्था में भारत के अट्ठाईस करोड़ हिन्दुओं का कर्तव्य है कि वे अपने काश्मीरी हिन्दू-भाइयों को इन अत्याचारों से बचाने की चेष्टा करें। और अगर काश्मीर के हिन्दू अपने धर्मस्थानों की रक्षा नहीं कर सकते, तो भारत के हिन्दू वहाँ पहुँच कर उनकी रक्षा करें। रियासत की वर्तमान सरकार को मुसलमानों ने अपाहिज बना डाला है, इसलिए न उसको कोसने की आवश्यकता है और न उससे कोई आशा रखने की। अगर हिन्दू स्वयं अपने धर्म-स्थानों की रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।

—उर्दू मिलाप (लाहौर)

* * *

भयङ्कर षड्यन्त्र

वस्तुतः काश्मीर के विरुद्ध मुसलमानों ने जो आन्दोलन किया है और जिस ढङ्ग से किया है, सारे ऐङ्गलो-इण्डियन पत्रों ने इसका जिस तरह समर्थन किया है, इसके सम्बन्ध में सरकार की अब तक जो नीति रही है, इन सब बातों पर अलग-अलग और एक साथ विचार कर देखने से कहना ही पड़ता है कि यह एक व्यापक आन्दोलन का अङ्ग-मात्र है और बड़े-बड़े मुस्लिम नेता इसमें लिप्त हैं। एक ओर तो यह मुस्लिम योजना का अङ्ग है, जिसके अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत पर इस्लामी राज्य क़ायम करना आजकल की मुस्लिम-नीति का अङ्ग हो गया है। सिन्ध को पृथक् प्रान्त बनाना भी इसी नीति का दूसरा अङ्ग है। अब तक वे सब बातें सिर्फ़ ख़्याली समझी जाती थीं, पर काश्मीर पर जो आक्रमण किया गया है और उसे जिस ओर से सहायता मिली है, इसका विचार राष्ट्रीय भारत को और विशेषकर हिन्दू-संसार को अस्थिर किए बिना नहीं रह सकता। सम्प्रदायवाद और विशेषतः "पैन-इस्लाम" अब तक एक हौआ था, अब वह ऐसी बला हो गई है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रश्न केवल काश्मीर का ही नहीं, समस्त देशी राज्यों का है। महाराज बीकानेर ने बिना कारण इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। काश्मीर-नरेश महाराज हरिसिंह बिना कारण दिल्ली नहीं बुलाए गए। भीतर ही भीतर अवस्था बहुत ख़राब हो रही है। बीकानेर को धमकी दी जा चुकी है। ख़बर है कि जयपुर में भी जत्थे भेजने का विचार किया जा रहा है। राजाओं को हम उनका कर्तव्य नहीं बता सकते, पर हमें मालूम हो रहा है कि चान्सलर नवाब भोपाल के भारत लौट आने पर नरेन्द्र-मण्डल की कार्य-समिति को इस पर विचार करना चाहिए। प्रश्न एक-दो राज्यों का नहीं, सब राज्यों का है। कोई मूर्ख ही यह समझ कर सन्तोष मान सकता है कि सिर्फ़ कुछ हिन्दू राज्यों के विरुद्ध आन्दोलन हो रहा है। भाव उत्पन्न हो गया है और निश्चय ही मुस्लिम राज्यों पर भी इसी तरह के हमले किए जायँगे। अवश्य ही हिन्दुओं को ऐङ्गलो-इण्डियन पत्रों की सहायता न मिलेगी और सरकार भी उदासीन न रहेगी।

—आज (बनारस)

❀ ❀ ❀

ख़तरनाक नोटिस

भोपाल के नवाब, अपने शासन में व्यवस्था और सुधार लाने के लिए देश में काफ़ी कीर्ति पा चुके हैं। आज वे लन्दन में हैं ; और उनकी ग़ैर-हाज़िरी में भोपाल में बुराइयाँ फैलाने के जो प्रयत्न चल रहे हैं, उसकी एक झलक इस नोटिस में मिलती है, जिसकी नक़ल हमारे एक गश्ती सम्वाददाता ने भोपाल से हमारे पास भेजी है :—

"बिसमिल्ला रहमान रहीम

"एलान नम्बर ४।

"बिरादरान इस्लाम ! क्या तुम्हारी रगों में हज़रत अली और हज़रत उमर का ख़ून बाक़ी नहीं रहा ? क्या ख़ुदा रसूल से तुम्हारा क़ल्ब ख़ाली हो गया, जो काश्मीरी मुसलमानों की कुत्तों जैसी मौत और काफ़िर हरीसिंह का चन्द मुरब्बा गज़ ज़मीन में बन्दगान इस्लाम को घेर-घेर कर जलवाया जाना पढ़ व सुन कर भी ख़्वाब ग़फ़लत में मख़मूर हो ? क्या इस्लाम की आइन्दा नमूद के यही आसार हैं ? काश्मीर जैसे अफ़सोसनाक वाक़यात सुन कर भी तुम्हारे कानों पर जूँ तक न रेंगी। यह बुज़दिलापन और कमज़ोरी कहाँ से आ घुसी ?

"मुसलमानो ! शर्म, शर्म ! बड़े शर्म की बात है कि तुम अन्जुमन नसरते इस्लाम को सिर्फ़ चन्द हज़ार रुपया भेज कर ख़ामोश हो गए, तुमको चाहिए कि सन्दूक़ें फिरा-फिरा कर चन्दा जमा करो और ज़्यादा से ज़्यादा रक़म भेज कर सवाब कमाओ। क्योंकि अब क़ाफ़िरों का दायरा-शरारत शुद्धि से बढ़ कर काश्मीरी हिन्दुओं को इमदाद तक वसीह हो गया है; इसलिए हमारी अन्जुमन ने काफ़िर हरीसिंह और दीगर कुफ़्फ़ार को जहन्नुम-रसीद कर, दुनिया को निजात दिलाने का तहैया कर दिया है। चूँकि हस्ब ज़ैल कुफ़्फ़ार हमारी तरक़्क़ी-राह में रोड़े बने हैं, इसलिए हमने उनको मौत के घाट उतारने का मुसम्मिम इरादा कर लिया है। राजा अवधनारायण, पं० प्रेमनारायण, शिवनारयण वैद्य, मुख़्कराज बृजमोहनदास।

सेक्रेटरी, अन्जुमन—औरङ्गज़ेब, भोपाल।"

हम भोपाल में उदार प्रजा-प्रिय नवाब साहब का राज्य मानते हैं। परन्तु यह देख कर दुखी हैं कि वहाँ औरङ्गज़ेबी जमाअत काम कर रही है। हमें भय है कि इस तरह का साम्प्रदायिक पागलपन कहीं भोपाल पर सङ्कट बरसाने का कारण न हो। पञ्जाब के कुछ मुसलमानों का पागलपन ही, भोपाल और हैदराबाद के लिए सङ्कटों का काफ़ी आमन्त्रण था, तिस पर अब अन्जुमन औरङ्गज़ेब काम करने लगी ! यदि भोपाल का शासन ऐसी जमाअतों को अपने लिए भूषण समझता है, तो फिर हमें कुछ भी नहीं कहना।

—कर्मवीर (खण्डवा)

* * *

१४ दिसम्बर, सन् १९३१

रोग की जड़

संयुक्त-प्रान्त में इस समय बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। अनाज के सस्ते हो जाने और कितने ही स्थानों में फ़सल के ख़राब हो जाने के कारण, किसानों की आर्थिक दशा सदा की अपेक्षा भी बहुत अधिक ख़राब हो रही है। उन लोगों ने और उनकी तरफ़ से कॉङ्ग्रेस ने सरकार से आग्रह किया कि लगान केवल उतना लिया जाय, जितना कि किसान वास्तव में दे सकते हैं। सरकार ने भी आर्थिक दशा की ख़राबी को माना और लगान में कुछ कमी की। पर जनता ने उसे काफ़ी न समझा। इससे दोनों दलों में मतभेद हुआ, वादविवाद होने लगा और अन्त में यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि किसान तथा कॉङ्ग्रेस लगान-बन्दी की तैयारी करने लगे और सरकार अपनी पुलिस तथा सेना को तैयार करने लगी।

सरकार के पक्षपातियों का कहना है कि किसानों की दुरवस्था की बात को कॉङ्ग्रेस ने जानबूझ कर तूल दिया है, ताकि इसके बहाने उसे आन्दोलन उठाने का बहाना मिल जाय और किसानों की एक बड़ी संख्या उसके झण्डे के नीचे खड़े होकर लड़ने को तैयार हो जाय। क्योंकि यह प्रकट है कि साधारण जनता आर्थिक प्रश्न पर, जिसमें उसका कुछ स्वार्थ हो, जितनी जल्दी और जितनी दृढ़ता से उठ सकती है, उतनी दूसरे उपाय से नहीं।

अभी इस आन्दोलन का श्रीगणेश ही हुआ है, और यह कहा जा सकता है कि यह कहाँ तक सफल अथवा असफल होगा, असम्भव है। इसके सिवाय म० गाँधी ने इङ्गलैण्ड के शासकों को झुकाने का जो प्रयत्न किया है तथा प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड तथा भारत-मन्त्री मि० सैमुअल होर ने चलते समय उनसे जो बातचीत की है, उसके फल से सम्भव है कि अभी परिस्थिति में कोई नया परिवर्तन हो और यह आन्दोलन शीघ्र ही समाप्त हो जाय। इसलिए इस बात का ख़्याल छोड़ कर कि यह आन्दोलन कब तक क़ायम रहेगा और इसका क्या फल होगा, हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि वास्तव में इसमें कितनी सचाई है और इसका मूल कारण क्या है।

सबसे पहली बात तो हम यह कहना चाहते हैं कि किसानों की दुरवस्था का कारण किसी विशेष व्यक्ति का अथवा इस प्रान्त वालों का कोई दोष नहीं है। वरन् यह अवस्था संसार-व्यापी समस्या का अङ्ग है और संसार-व्यापी कारणों द्वारा ही उत्पन्न हुई है। इस समय संयुक्त-प्रान्त अथवा भारत में ही आर्थिक हलचल नहीं फैली है, वरन् संसार के सब देशों पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। यही कारण है कि इङ्गलैण्ड जैसे धनिक देश को अपने यहाँ सोने के सिक्के का प्रचार रोकना पड़ा और बाहरी माल पर १०० प्रति सैकड़ा कर लगाना पड़ा। यह याद रखना चाहिए कि इङ्गलैण्ड सदा से मुक्त-वाणिज्य का सबसे बड़ा पक्षपाती था और कई वर्षों से चेष्टा होने पर भी वहाँ विदेशी माल पर चुङ्गी का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सका था। पर संसार-व्यापी विकट अवस्था ने उसका भी आसन हिला दिया और उसे उस कार्य के लिए लाचार कर दिया, जिसे वह बहुत वर्षों से छोड़ चुका था। अमेरिका, फ़्रान्स आदि अन्य देश भी, जिनमें सोने का भण्डार भरा हुआ है और जहाँ एक-एक व्यक्ति के पास अरबों की सम्पत्ति है, अपनी रक्षा के लिए ऐसे ही उपायों का अवलम्बन कर रहे हैं। ऐसी दशा में अगर भारत के समान ग़रीब देश उस आर्थिक समस्या के असर से व्याकुल हो जाय और उससे परित्राण पाने के लिए छटपटाने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

इस आर्थिक हलचल का कारण क्या है, इस पर लोग तरह-तरह की सम्मतियाँ प्रकट करते रहते हैं। हमारे यहाँ तो अधिकांश साधारण पढ़े-लिखे व्यक्ति लक्षण को ही कारण समझ बैठे हैं। उनकी राय में अनाज का सस्ता हो जाना या बेकारी का बढ़ जाना ही इस हलचल का कारण है। पर ये असल में रोग के लक्षण हैं, उसका कारण कुछ और ही है।

इस हलचल का मूल कारण वर्तमान युग का पूँजीवाद है। उसके फल से संसार की सम्पत्ति जनता के पास से निकल कर कुछ बड़े-बड़े व्यापारियों और बैङ्कों के मालिकों के पास इकट्ठी हो गई है। आजकल की एक मशहूर कहावत है कि 'रुपए से रुपया कमाया जाता है।' जब कि न्यायोचित नियम यह होना चाहिए था कि मेहनत द्वारा रुपया उपार्जन किया जाय, तब आजकल यह देखने में आता है कि अगर एक व्यक्ति किसी कारबार में कहीं से प्राप्त करके दस-बीस लाख रुपया लगा दे, तो वह बिना हाथ-पैर हिलाए तथा दिमाग़ी मिहनत किए बैठा हुआ हर तरह के ऐश-आराम भोग सकता है और साथ ही उसके धन का परिमाण भी बढ़ता जाता है। सुनने में यह बात बड़ी अद्भुत मालूम पड़ती है कि एक चीज़ को ख़र्च किया जाय, पर वह घटने के बजाय उल्टी बढ़ती रहे। पर पूँजीवाद ने इस असम्भव को सम्भव करके दिखला दिया है और इस प्रकृति-विरुद्ध प्रथा के फल से ही संसार भर में आर्थिक हलचल मचती रहती है।

जब कारख़ाने वाले बड़े-बड़े व्यापारी तथा ज़मीन और खानों के मालिक आदि अपने मूलधन के द्वारा लाभ उठा कर धन को जनता के पास से खींचते चले जाते हैं, तो अन्त में एक दिन ऐसा आता है कि लोगों के पास आवश्यक चीज़ें, जैसे अन्न-वस्त्र आदि ख़रीदने के लिए भी काफ़ी पैसा नहीं रहता। इसलिए चीज़ों की बिक्री घट जाती है और ग्राहकों की कमी से वे सस्ती हो जाती हैं। उधर कारख़ानों के मालिक आदि जब देखते हैं कि चीज़ों की बिक्री नहीं होती और उनके गोदाम भरते चले जाते हैं, तो वे कारबार को ढीला कर देते हैं या बिल्कुल स्थगित कर देते हैं। इसके फल से और भी अनेक लोग बेकार हो जाते हैं और जनता की आमदनी पहले से भी कम हो जाती है। अन्त में दशा यह हो जाती है कि जनता तो कहती है कि अगर हमको काम करने को मिले और उसकी मज़दूरी अथवा वेतन पाएँ, तो हम माल को ख़रीदें और पूँजीपति कहते हैं कि जब हमारा माल बिक जाय और गोदाम ख़ाली हो जायँ तो हम लोगों को नौकर रक्खें तथा नया माल तैयार कराएँ। इस तरह स्थिति जहाँ की तहाँ रुकी रहती है और दिन पर दिन जनता के कष्ट बढ़ते जाते हैं। चीज़ों का भाव बेहद सस्ता कर दिया जाता है, पर रुपए की कमी से लोग पहले की अपेक्षा आधा चौथाई माल भी नहीं ख़रीद सकते।

यही आजकल भारत में फैली हुई बेकारी और आर्थिक हलचल का कारण है। संसार भर के पूँजीपतियों की प्रतियोगिता के कारण चीज़ों का दाम सस्ता होता जाता है और उसके फल-स्वरूप अन्न भी सस्ता बेचना पड़ता है। इधर बेकारी से बहुसंख्यक लोग उस भाव में भी उसे नहीं ख़रीद सकते और इसलिए कितना ही अन्न बिक भी नहीं सकता। इसलिए किसानों की आमदनी बहुत घट जाती है और वे अपना लगान चुका सकने में असमर्थ हो जाते हैं।

इन बातों से स्पष्ट है कि किसानों की इस समय जो दुर्दशा हो रही है, उसका कारण वे आप नहीं हैं, वरन् संसार-व्यापी कारणों का फल उनको भुगतना पड़ रहा है। दो-तीन वर्षों से देश में यही दशा हो रही है और उसके फल से किसानों का एक-एक बूँद रक्त बहा जा रहा है। इस परिस्थिति का असली उपाय तो पूँजीवाद का अन्त होना ही है, पर वह सर्वसाधारण की शक्ति से बाहर है और न किसी एक देश की सरकार ही उसका प्रबन्ध कर सकती है। पर सरकार यह अवश्य कर सकती है कि आर्थिक हलचल के कारण उसे जो हानि उठानी पड़ती है या उसके काम में जो अड़चन पड़ती है, उसका भार वह ग़रीबों पर न डाल कर धनवानों पर ही डाले। अगर सरकार इस परिस्थिति में ऐसी नीति अख़्तियार कर ले कि किसानों की पैदावार में से चौथाई या तिहाई हिस्सा माल या उसकी क़ीमत लेकर उनको मुक्त कर दे, तो यह न्यायोचित मार्ग समझा जायगा और इससे किसानों के पास अपने पेट भरने के लिए भी कुछ बच जायगा। पुराने ज़माने में, जिसे आजकल अर्द्ध-सभ्य काल के नाम से पुकारा जाता है, बादशाह और राजागण इसी तरीक़े से काम लेते थे और इसके फल से उनकी प्रजा खाने-पहिनने की निगाह से अब की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी रहती थी। पर आजकल के अधिकारी केवल शासन ही नहीं करते, वरन् बनियों का काम भी करते हैं, और इसीलिए जनता दिन पर दिन भूखी और नङ्गी बनती चली जाती है।

* * *

मि० लॉयड जॉर्ज की भविष्यवाणी

एक समय मि० लॉयड जॉर्ज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक माने जाते थे और यूरोपीय महा-युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की जीत का सेहरा उन्हीं के सर पर बाँधा गया था। आजकल समय के फेर से उनकी वह शान नहीं है और वह इङ्गलैण्ड की पार्लमेण्ट में एक छोटे से दल के नेता हैं। तो भी लोगों को उनकी राज-

नीतिज्ञता और विद्वत्ता में सन्देह नहीं है और उनकी बातें सब देशों में ध्यानपूर्वक सुनी जाती हैं। विलायत में म० गाँधी आप से मिले थे और दोनों में भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हुई थीं। अब ये ही लॉयड जार्ज लङ्का जाते हुए एक दिन के लिए बम्बई ठहरे थे और वहाँ के कॉरपोरेशन के स्वागत के उत्तर में आपने एक भाषण दिया था। उसमें आपने म० गाँधी में बहुत-कुछ श्रद्धा और विश्वास प्रकट करते हुए कहा है कि मैं भारत की स्वाधीनता का अभिनन्दन करता हूँ और यदि भारतवासी ग्रेट-ब्रिटेन के सामने संयुक्त रूप से माँगें पेश करेंगे, तो वह उससे इन्कार नहीं कर सकेगा। आपने यह भी कहा कि राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स दो बार असफल हो चुकी है, तीसरी बार वह सफलता प्राप्त करेगी। इसमें सन्देह नहीं कि जिस समय मि० लॉयड जॉर्ज इङ्गलैण्ड के शासन के कर्ताधर्ता थे, वे भी वर्तमान शासकों की तरह उस पर फ़ौलादी पन्जे से हुकूमत करने का दम भरते थे, पर आज वे सरकार के विरोधी दल के नेता हैं और उन्हें उसके विरुद्ध बात कहने में कोई चिन्ता नहीं है। हम मि० लॉयड जॉर्ज के इस परिवर्तन को स्वाभाविक समझते हैं और हमारा अनुमान है कि उन्होंने जो कुछ कहा है, वह इस देश की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करके ही कहा है। राजनीतिक दृष्टि में वे उन चिकित्साशास्त्र के आचार्यों की तरह हैं जो रोगों की शकल देखते ही या उसकी नब्ज़ छूते ही रोग का निदान और इलाज जान लेते हैं। उन्होंने भारत की तीसरी राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स द्वारा स्वराज्य मिलने का जो अनुमान लगाया है, उसका सत्य सिद्ध होना असम्भव नहीं है। लक्षणों को देखने से यही जान पड़ता है कि सरकार एक बार अपनी पूरी ताक़त लगा कर दमन करेगी और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने की चेष्टा करेगी। इस अवसर पर यदि भारतवासियों ने इस सङ्कट का मुक़ाबला संयुक्त भाव से किया और अपनी सङ्घ-शक्ति के बल से यदि वे सरकारी दमन को सह सके, तो फिर इङ्गलैण्ड के लिए इसके सिवाय कोई रास्ता ही न रहेगा कि वह भारतवासियों की माँगों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले।

❀ ❀ ❀

पुरी कॉङ्ग्रेस में अड़ङ्गा

मालूम नहीं कि पुरी के तीर्थ-स्थान होने से वहाँ के अधिकारी तथा पुलिस अधिक उजड्ड, शक्तिशाली और राजनीतिक ज्ञान से शून्य हैं अथवा उच्च अधिकारियों ने उनको गुप्त रूप से कुछ इशारा कर दिया है, जिसके फल-स्वरूप वे पुरी-कॉङ्ग्रेस की तैयारी में शुरू से ही झञ्झट पैदा कर रहे हैं। आज तक कॉङ्ग्रेस के ४५ अधिवेशन हुए हैं और वे सब भारत के बड़े से बड़े नगरों में किए गए थे, पर किसी स्थान के अधिकारियों ने कॉङ्ग्रेस के प्रति ऐसा भाव प्रकट नहीं किया, जैसा कि पुरी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट और पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट आदि दिखला रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वालण्टियरों को क़तार बना कर और लाठियाँ लेकर रास्ते में होकर निकलने से रोका। इस हुक्म को वालण्टियरों ने मान लिया। इसके बाद ही पुलिस सुप० ने एक दूसरा हुक्म निकाल कर सब प्रकार के जुलूसों और जमातों का सार्वजनिक रास्तों में होकर गुज़रना रोक दिया। इन हुक्मों के निकलने से पहले ह पुरी के वालण्टियर एक लम्बे 'मार्च' पर चले गए थे। जब वे वापस लौटे तो रायफल और लाठियों से लैस १०० कॉन्सटेबिलों ने उनको रास्ते में रोक लिया और हिरासत में ले लिया। बाद में उनके नेता के सिवाय बाक़ी छोड़ दिए गए। तब से पुरी के अधिकारी दो या तीन वालण्टियरों के एक साथ चलने पर भी आपत्ति करते हैं और हथियारबन्द पुलिस उनके कैम्प की निगरानी करती है। शहर में डुग्गी पिटवा दी गई है कि जनता कॉङ्ग्रेस की सभाओं और जुलूसों में भाग न ले और न कॉङ्ग्रेस के साथ किसी तरह का वास्ता रक्खे। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आज्ञा देकर कॉङ्ग्रेस-वालण्टियरों को कार्तिकी पूर्णिमा के मेले के प्रबन्ध में सहायता देने से भी रोक दिया था। इन सब बातों से लोगों का अनुमान है कि पुरी के अधिकारी कॉङ्ग्रेस के आगामी अधिवेशन में बाधा डालना चाहते हैं और उसीके लिए इस तरह की पेशबन्दी कर रहे हैं। श्री० जवाहरलाल नेहरू ने कॉङ्ग्रेस के सेक्रेटरी और वालण्टियर दल के एक प्रधान नेता की हैसियत से इस प्रकार की अन्यायपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया है और कहा है कि यह कॉङ्ग्रेसमैनों और वालण्टियरों को जान-बूझ कर भड़काना है। हमको भी आश्चर्य है कि आख़िर पुरी में क्या विशेषता है, जो वहाँ वह नई कार्रवाई की जा रही है। इस तरह वालण्टियरों की शिक्षा और क़वायद-परेड प्रत्येक कॉङ्ग्रेस के अधिवेशन के पहले होती है और उसका इतना ही उद्देश्य होता है कि वालण्टियर सुशिक्षित तथा सुसङ्गठित होकर अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधि तथा दर्शकों और भीड़ का यथोचित प्रबन्ध कर सकें। यह सच है कि कॉङ्ग्रेस इस समय स्वराज्य के लिए सरकार के विरुद्ध आन्दोलन कर रही है और पुरी-कॉङ्ग्रेस में भी सम्भव है कुछ ऐसे ही प्रस्ताव पास हों, पर इसके कारण वालण्टियरों से छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता है अथवा इस कार्य को किस तरह सम्मानयुक्त कहा जा सकता है? यह तो कहा नहीं जा सकता कि वे वालण्टियर सरकारी फ़ौजों का मुक़ाबला करने के लिए क़वायद-परेड करते हैं अथवा वे लाठियों के द्वारा अङ्गरेज़ी राज्य को छीन लेंगे। वालण्टियरों के इस प्रकार के दल प्रत्येक शहर में क़ायम हैं और हर जगह उनके जुलूस आदि निकलते हैं। ऐसी हालत में, और जब कि भारतीय नेताओं तथा लन्दन के ब्रिटिश अधिकारियों में समझौते की बातें चल रही हैं, वालण्टियरों की क़वायद-परेड में बाधा डालना अथवा लाठियाँ लेकर निकलने में आपत्ति करना निस्सन्देह सरकारी अधिकारियों के अन्याय और साथ ही बुद्धिहीनता का द्योतक है।

❀ ❀ ❀

बङ्गाल में बॉयकॉट

बङ्गाल ने फिर उसी शस्त्र का सहारा लिया है, जिसके द्वारा उसने सन् १९०५ में अपने ऊपर किए गए अन्याय का प्रतिकार किया था। उस बार जब लॉर्ड कर्ज़न ने पाँच करोड़ बङ्गालियों की प्रार्थना को ठुकरा कर पूर्वी और पश्चिमी बङ्गाल को अलग-अलग प्रान्त बना दिया तो बङ्गालियों ने दृढ़-प्रतिज्ञ होकर ज़ोर-शोर से अङ्गरेज़ी माल का बॉयकॉट किया और इसके फल-स्वरूप छः-सात वर्ष में ही सरकार को अपना निर्णय रद करना पड़ा। इस बार भी सरकार बङ्गाली जनता की पुकार पर ध्यान न देकर एक के बाद दूसरा दमनकारी क़ानून बना कर उस प्रान्त के राष्ट्रीय आन्दोलन को दबा डालना चाहती है तथा उसने वहाँ के नवयुवकों को एक बड़ी संख्या में बिना विचार के बन्द कर रक्खा है, जिसके कारण हज़ारों परिवारों को भयङ्कर कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब नए बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स के कारण इस परिस्थिति के अत्यन्त भयङ्कर रूप धारण करने की सम्भावना प्रतीत हो रही है। साथ ही हिजली, चटगाँव और ढाका में निर्दोष व्यक्तियों पर जो अत्याचार किया गया है, उसके सम्बन्ध में भी सरकार ने दोषी कर्मचारियों को प्रकट रूप में अब तक कोई दण्ड नहीं दिया। इन सब बातों से व्यथित होकर बङ्गाल-निवासियों ने समझ लिया है कि इन बातों का तब तक कोई प्रतिकार नहीं हो सकता, जब तक वे इसके विरुद्ध सङ्गठनपूर्वक आन्दोलन न करें और उसके फल-स्वरूप जो कुछ कष्ट सर पर आवें, उनको शान्तिपूर्वक सहने को तैयार न हों। उन्होंने बरहमपुर में होने वाली बङ्गाल-कॉन्फ्रेन्स में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक प्रस्ताव पास किया है, जिसका तात्पर्य सब तरह के अङ्गरेज़ी माल, अङ्गरेज़ों द्वारा सञ्चालित बैङ्कों, बीमा कम्पनियों और जहाज़ी कम्पनियों, विदेशी वस्त्र और शराब तथा दूसरी नशीली चीज़ों का बॉयकॉट करना है। इसके सिवाय कॉन्फ्रेन्स ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी किया है कि अन्य चीज़ों की तरह अङ्गरेज़ों द्वारा सञ्चालित अख़बारों का भी बॉयकॉट किया जाय। क्योंकि ये भारतीयों की स्वराज्य-आकांक्षा के सबसे बड़े विरोधी हैं और ये ही प्रायः सरकार को दमनकारी उपायों से काम लेने के लिए भड़काया करते हैं। सच पूछा जाय तो जनता और सरकार के वैमनस्य के एक बड़े कारण ये पत्र भी हैं। कॉन्फ्रेन्स ने बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी से प्रार्थना की है कि वह इस सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी तथा ऑल इण्डिया कॉङ्ग्रेस कमिटी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करे और आन्दोलन आरम्भ करने की चेष्टा करे। इसमें सन्देह नहीं कि कॉन्फ्रेन्स ने बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली निर्णय किया और यदि वह कार्यरूप में परिणत हो सका तो दमन के पक्षपातियों और समर्थकों को शीघ्र ही अपनी करनी पर पश्चात्ताप होने लगेगा। वर्तमान युग में आर्थिक चोट शारीरिक चोट की अपेक्षा कहीं अधिक भयङ्कर सिद्ध हो चुकी है और यह उपाय भी ऐसा है, जिसमें क़ानून द्वारा अथवा सरकारी कोप के कारण कुछ बाधा भी नहीं पड़ सकती। सरकार ज़बर्दस्ती किसी को किसी विशेष देश का माल ख़रीदने के लिए विवश नहीं कर सकती। यदि लोग निजी तौर से समझाने के द्वारा इस तरह के बॉयकॉट की आवश्यकता को समझ जायँ और उसके अनुसार आचरण करने लगें, तो हमारी समझ में प्रत्यक्ष पिकेटिङ्ग की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। उस समय बॉयकॉट का प्रचार व्याख्यानों, पर्चों और घर-घर प्रचार द्वारा ही हो सकेगा। इस समय स्वदेशी माल भी इतनी तरह का और इतनी मात्रा में बनने लगा है कि विलायती माल के बिना देश का काम मज़े में चल सकेगा। इस उपाय से सरकार कुछ ही दिनों में झुकाई जा सकती है और तब उसे लाचार होकर जनता की इच्छा को पूर्ण करना होगा।

❀ ❀ ❀

—कलकत्ता पुलिस कोर्ट में मिसेज़ रैशल नाम की स्त्री ने वकालत करने की आज्ञा प्राप्त की है।

—सर चुन्नीलाल मेहता की अध्यक्षता में बम्बई प्रान्त के कितने ही व्यवसायियों का एक डेपुटेशन वायसरॉय से मिला और उनसे अदन के भावी शासन के सम्बन्ध में बातचीत की। डेपुटेशन के मत से अदन का बम्बई के साथ ही रखना आवश्यकीय है। डेपुटेशन में दो प्रतिनिधि अदन के भी थे।

—बनारस में जनवरी के पहले सप्ताह में एक स्वदेशी प्रदर्शिनी खोलने का विचार किया गया है जिसमें रासायनिक, यन्त्र विद्या-सम्बन्धी शिल्प-कृषि और बाग़बानी की वस्तुएँ प्रदर्शित की जायँगी। इस अवसर पर एक सङ्गठित कॉन्फ्रेन्स का भी आयोजन किया गया है।

पाप का फल

[श्री० क्रान्तिकुमार जैन]

वह हाट के बीचोबीच खड़ी थी। दोनों ओर दूकानों की क्रमबद्ध श्रेणियाँ दूर तक चली गई थीं। पास ही पटरियों पर जहाँ-तहाँ भीड़ थी। उस भीड़ में कुछ सभ्य, कुछ दुष्ट, कुछ दिखाऊ और कुछ उच्च परिस्थिति के पुरुष थे—वे थे दर्शक, जो अपनी एकाग्र-दृष्टि से कुछ देख रहे थे। न जाने क्या ?

मैं बड़ी देर तक उस गोलाकार खड़ी हुई स्त्री-पुरुषों की भीड़ के आस-पास घूमता रहा। परन्तु भीतर का कुछ भी भेद मेरी समझ में नहीं आया। अन्त में विवश हो, एक बन्द दूकान की छाया में बैठ गया और उस भीड़ के हटने पर, उस रहस्य से परिचित होने की उत्कण्ठा लेकर, उसे देखने लगा।

मेरे आगे एक ऐसा विषय था, जिसे मैं जितना अधिक सोचता था, उतना ही और उसमें उलझता जाता था। मेरे जीवन में पहली बार आने वाली यही समस्या थी ?

मैं सोचता रहा, भीड़ खड़ी रही।

"रबड़ी-मलाई का बरफ़ !"—एक ठिगने क़द का दुबला-पतला आदमी, बग़ल में पेटी दबाए, चिल्लाता हुआ निकला—"पिस्ते बादाम वाली।"

उस समय कुछ खाने की न तो मुझे आवश्यकता ही थी और न इच्छा। परन्तु अपनी विचार-धारा के पटाक्षेप के लिए—उत्सुकता से, इच्छा से, लज्जा से और प्रसन्नता से छटाँक भर बर्फ़ तोलने की मैंने उसे आज्ञा दी।

फिर मैंने पूछा—यहाँ, यह भीड़ क्यों है ?

परन्तु मुझे मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। सम्भव है, वह मेरे इस प्रश्न को सुन न सका हो।

"लो, बाबू !" उसने बर्फ़ का पत्ता मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा।

बर्फ़ तो मैंने ले ली, किन्तु तुरन्त पैसे इसलिए नहीं दिए, कि मैं उसे कुछ देर रोक कर, इस भीड़ के सम्बन्ध में कोई बात पूछूँ, अथवा उसका कुछ वास्तविक ज्ञान प्राप्त करूँ। सच तो यह था कि इसी के लिए मैंने उससे बर्फ़ ली थी।

उसके बोलने से पहिले ही मैं बोला—जानते हो ?

"क्या बाबू !"

"यहाँ यह भीड़ कैसी है ?"

"आख़िर बाज़ार ठहरा। बाज़ार में भीड़ तो होती ही है।"

मैंने समझा, वह कुछ छिपा रहा है। इसलिए उसके उत्तर पर कुछ ध्यान न देकर, बात बदल कर मैंने फिर कहा—यहां, सामने देखो, जहाँ वह आदमी सिर पर टोकरा लिए खड़ा है।

"हाँ-हाँ, ठीक अब समझा।" उसने उँगली से सङ्केत करके कहा—"यही न ?"

"हाँ।"

"यह तो वही पगली है, आप नहीं जानते ?"

"नहीं !"

"कहीं बाहर से आए हैं क्या ?"

"नहीं, रहने वाला तो यहीं का हूँ। लेकिन, इधर ज़रा कम आता हूँ।"—मेरे सङ्कोच का बाँध टूट गया।

"यह तो रोज़ इसी तरह यहाँ बैठा करती है।"

"क्यों ?"—मैंने आग्रह से पूछा।

"यह अब उसी से पूछिएगा ! मुझे देर होगी। पैसे दे दीजिए।"

"बैठो, चले जाना।"

"बरफ़ गल जाएगी। उल्टा घाटा हो जाएगा बाबू ! आप जल्दी मेहरबानी करें।" उसने यह ऐसा प्रश्न किया, जिसके आगे मुझसे कोई उत्तर न बना। रुपया उसे दिया। बाक़ी पैसे देकर वह चला गया।

अब भीड़ धीरे-धीरे हटने लगी थी और मैं अटल भाव से बैठा, भीड़ वालों के वहाँ से चले जाने की राह देख रहा था !

जब सब चले गए, तब मैं उठ कर वहाँ गया। देखा, मैले चिथड़ों से लिपटी हुई एक तरुणी बैठी थी। उसकी गोद में प्रायः तीन मास का एक बच्चा था, जिसे वह छाती से लगाए थी। उसका शरीर काँप रहा था, मानो दुर्दिन की भयावनी आशङ्का से उसका कलेजा धड़क रहा हो। एक सरल और करुण आकृति में वह अपने जीवन के रूपपूर्ण सौन्दर्य को समेटे शान्त, स्थिर और गम्भीर मुद्रा से अपने बच्चे के सूखे ओठों को देख रही थी।

मैं आगे बढ़ा। उसने एक दृष्टि में मुझे और दूसरी में मेरे सतृष्ण हृदय को देखा। फिर मुँह फेर कर धीरे-धीरे बड़ी वेदना भरी ध्वनि में बोली—बाबू जी, ईश्वर के नाम पर मुझे दो पैसे दे दो।"

"क्यों.........?"

"कई दिन से बच्चे को दूध नहीं मिला। आज चौथा दिन है, जब देवी के मन्दिर से प्रसाद के रूप में घूँट भर दूध लाई थी और रूई का फाया भिगो कर अभागे के ओंठ गीले कर दिए थे। अब......!"

इतना कहते-कहते उसकी आँखों में आँसू आ गए ! उन आँसुओं की बूँद-बूँद में मैंने उसके असीम और अज्ञात भाग्य को क्षीण और मलिन देखा।

"अपना परिचय दोगी ?"

"संसार मुझे पगली कहता है। और यही मेरा परिचय है।"—उसने रुँधे हुए गले से कहा।

"तुम्हारे और कोई नहीं है ?"

फटी चादर के खूँट से उसने अपनी आँखें पोंछीं। खखार कर गला साफ़ किया और बोली—आप, जो हैं।

मुझे आश्चर्य हुआ। एक निर्धन और मैली-कुचैली भिखारिणी ने इतनी ऊँची बात कैसे कह दी ?

"कैसे.....?"

"दस वर्ष के बीते हुए जीवन में ऐसी बात केवल तुम्हीं ने आज पूछी।"

गोद के रोते हुए बच्चे को पुचकारती हुई वह फिर कहने लगी—बाबू जी, हज़ारों और लाखों मिले, बहुतों ने पैसे दिए, किसी ने समवेदना दिखाई और किसी ने गालियाँ और झिड़कियाँ सुनाईं ! और यहाँ वाले आज पाँच दिन से जब मैं इस बच्चे को रोता देख कर हँसती हूँ, मुझे पगली कहने लगे हैं।

मेरी आँखें भर आईं। जेब से एक रुपया निकाल कर मैंने उसके आगे के फैले हुए कम्बल के टुकड़े पर फेंक दिया। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। हाथ की घड़ी में ग्यारह बज गए थे। दूसरे दिन पुनः मिलने का वचन देकर मैं चला आया।

२

बहिन न भाई, न बाप और न माँ, मेरे आज कोई नहीं है। वह घर-द्वार, जो कभी बाल-बच्चों से भरा-पूरा था, आज उसमें चिड़िया की चूँ भी सुनाई नहीं देती। हवा के सरसराते झोंके में दीवारों का नीरव-अट्टहास सुनते-सुनते जिस दिन जी ऊबा था, उस दिन से अब तक वहाँ पैर नहीं दिया। गाँव के दस-पाँच हमजोली हैं, तीन वर्षों के वियोग में भी उनके स्नेह में कमी नहीं आई है। महीने में दो-चार की चिट्ठियाँ आ जाती हैं, पर मेरा वहाँ जाने का जी नहीं होता।

यहाँ आरम्भ में स्वभाव-परिवर्तन तथा जल-वायु के कारण कुछ कष्ट अवश्य हुआ था। परन्तु अब, सब कुछ अनुकूल है। इतना अनुकूल कि अब घर को याद नहीं आती। फिर याद आए किसकी—घर-बार जो भी है, यही तो है।

दो वर्ष पहिले, महीनों बेकार रहने के बाद, २०) की नौकरी मिली थी, वह भी दो मास से अधिक न चली। और ऐसा क्रम न जाने कितनी बार जीवन में आया है और आता रहेगा, इसे तो विधाता ही जानें।

साहित्य-सेवा मेरा जन्म-व्यसन है। अवकाश में कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता हूँ। पढ़ते-पढ़ते ही आज इतना कल्पनाशील हो गया हूँ कि लोग मुझे पागल कहते हैं। सच है या झूठ ? मैं दुखी हूँ और इस दुख में इस 'पागल' के कथन का मैं क्या अर्थ निकालूँ, कुछ समझ में नहीं आता। न कोई समझाता है, न पास आता है। पागलों के साथ सिर खपाने में कौन ख़ुश होगा ?

नौकरी से महीने में ३०) मिल जाते हैं। चौक के परले-सिरे पर ६) महीने का नीला-नीला कमरा मेरे ही पास है। अकेला रहता हूँ, जिससे मेरी सुकुमार और नीरव कल्पना को कोई ठेस न लगे। आशा की मनोहारिणी थपकियों से पोस-पोस कर सुलाई हुई अतीत की दारुण-वेदना कहीं जग न पड़े।

उस पगली पर मुझे बड़ा तरस आता है। उसे न देखने से जी दुखता है, और देखने से आँखें दुखती हैं। दोनों की अनुपस्थिति में कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ, कभी-कभी कल्पना का प्रकाश, उस अँधेरे में भी, मेरी आँखें खोल जाता है।... ....इस असार विश्व की लाञ्छना और भर्त्सना से मेरी कल्पना का साम्राज्य हिल भी तो नहीं सकता !

जिस दिन से उसे देखा है, बड़ा अन्तर आ गया है। परन्तु मैं चिन्ता नहीं करता, जब तक कल्पना का सौभाग्य सुरक्षित है।

कल जब अमावस्या के भय से चन्द्र-ज्योति प्रकट नहीं हुई थी, अँधेरा ही अँधेरा था। अँधेरे को छोड़ कुछ भी दिखाई नहीं देता था, परन्तु उसने मुझे देख लिया।

जब मैं उसकी खोज में उसके पास से होकर निकल गया था। वह बोली नहीं, देखती रही। न जाने क्या सोचा और क्या कर दिया, जो बच्चा चीख़ कर रो उठा। मैंने सुना और उल्टे पैरों लौट आया। पूछा—आज इसे दूध नहीं पिलाया, रुलाती क्यों हो?

"दूध के लिए नहीं रोता।"

"और........?"

"तुम्हें बुलाने के लिए रो उठा था। देखो न, तुम्हारे लौटते ही चुप हो गया।"—बच्चे की ओर सङ्केत करके उसने कहा।

मैंने चुटकी बजा कर बच्चे को पुचकारा। बच्चे ने मेरी ओर देखा और हँसा। मानो पगली का उज्ज्वल भविष्य हँस रहा हो।

पगली एकाग्र-दृष्टि से बड़ी देर तक मेरी ओर देखती रही। मेरी कल्पना का बाँध बँधा नहीं था। पगली के अक्षय-स्नेह की धार भी बँधी न थी। साथ ही बच्चे के फूल-से हाथ-पैर धनिकों के बच्चों की भाँति आभूषणों से बँधे नहीं थे।

उसी समय उस फैले हुए अँधेरे में पगली ने आँखें फैला कर मुझे देखा। पूछा—एक बात पूछूँ?

"पूछो!"

"आपका शुभ नाम?"

"पागल!"

पगली के अरुण अधरों पर मुस्कान की क्षीण रेखा छलक आई!

"क्यों?"—मैंने सङ्केत से कहा।

"तुम पागल हो तो मैं पगली हूँ!"

पगली ठठा कर हँस पड़ी और आप ही आप कहने लगी—कितना सुन्दर सम्बन्ध है! आज तुम्हारे घर चलूँगी। ऐसे मधुर सम्बन्ध के होते हुए हमें कुछ सङ्कोच नहीं करना चाहिए।

मुझे हँसी आई। उसमें मेरी अनुमति की छाप थी!

मैंने पूछा—कब?

वह बोली—जब कहो।

मैं बोला—जब चाहो!

उस फटी हुई चादर में उसने बच्चे को लपेटा और मेरे पीछे-पीछे चल दी।

३

"लखनऊ के अवधेशनारायण तिवारी का नाम आपने सुना होगा। बड़े प्रतिष्ठित पुरुष हैं! लक्ष्मी की कृपा है, किसी बात की कमी नहीं। धन और सम्मान ने उनके अस्तित्व को उज्ज्वल कर दिया है, अथवा वे योंही प्रतिष्ठा के पात्र हैं, इसमें सन्देह है!"

"उनसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है?"—मैंने पूछा।

"वे, मुझ अभागी के पिता हैं।"

पगली एक दीर्घ-निश्वास लेकर कहने लगी—गुलाब की अधखिली कली में जितना अधिक आकर्षण होता है, उससे कई गुना अधिक आकर्षण मुझमें उस दिन था, जब मैं आठ बरस की थी। मेरे पिता मुझे पढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि तीन किताबें छः वर्ष की अवस्था में मैंने घर पर ही पढ़ीं। बाद में दो वर्ष तक स्कूल जाती रही। फिर पढ़ना छोड़ दिया। और.........?

इसके बाद पगली रुकी। और छाती पर हाथ रख कर कुछ सोचने लगी। मानो किसी कठिन पीड़ा का अनुभव कर रही हो।

मैंने कहा—हाँ-हाँ, और......?

पगली कुछ देर चुप रही। फिर धीरे-धीरे बोली—योग्य पात्र न मिलने के कारण समय पर मेरा विवाह न हो पाया। परन्तु मेरे पिता-माता बहुतेरा सिर पटकने के बाद भी इस चिन्ता से निश्चिन्त नहीं हो गए थे। उन्हें खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते-जागते-प्रतिक्षण मेरे ब्याह की चिन्ता थी। एक बात कहती हूँ, पिता जी जातीय बन्धन के विरोधी नहीं थे। वे कट्टर सनातनी थे और थे, "अष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिणी" की विषैली प्रथा के अनुयायी।

बहुत दिनों के पीछे, बड़े-बड़े दुख उठा चुकने के बाद, एक वृद्ध और कृषकाय वर के साथ मेरी ठह-रौनी हो गई। यह वर का छठा ब्याह था और मेरा पहिला। पहिला और अन्तिम—दोनों! दोनों एक साथ। हाँ! पिता-माता के अनुचित लोभ ने, कुप्र-थाओं के अग्नि-कुण्ड में मेरे सुकुमार सर्वस्व की आहुति दे दी। थोड़े से रुपयों के लोभ ने परम्परागत रूढ़ियों के द्वारा मेरा सङ्कल्प करा लिया! मेरा भाग्य?

वह दिन आया, जब मैं अपने पति की वामाङ्गिनी होकर मण्डप के नीचे पूरी गई चौक के कोने पर बैठी! परन्तु मेरे हृदय का, प्रेम, प्यार और भोग के लिए सेंता हुआ विस्तृत और ख़ाली कोना, उल्लास और लज्जा की मस्तानी गन्ध से फूला नहीं समाता था। वह सब कैसा था, क्या था, मैं नहीं जानती।

सब स्वप्न की तरह बीत गया। बाहर से आए निकट सम्बन्धी निमन्त्रण की भेंट देकर विदा हुए। सारे घर में मेरे विवाह की दारुण-स्मृति प्रतिध्वनित 'हो-हो' चिल्लाने लगी। रो-धोकर मेरी भी विदाई हुई। पति के पास पालकी में बैठी अपने आशातीत भविष्य की जाने कितनी आशापूर्ण, सुखपूर्ण और सन्तोषपूर्ण कामनाएँ सोच रही थी। तभी पिता के सन्तोष की साँस ली!

यह समाज रूढ़ियों और प्राचीन प्रथाओं का दास है। उसकी सङ्कीर्ण बुद्धि में ऊँचाई की राह ढूँढ़ने को स्थान नहीं! भले ही परदे के भीतर दुराचरण के परि-णाम फलते रहें। भले ही मूर्ति-पूजा आदि के सम्बन्ध की घृणित विडम्बनाओं में उनका व्यक्तित्व, पुंसत्व और मनुष्यत्व मिटता रहे और भले उनकी सुकुमारी कन्याएँ, 'दहेज़' (दैजो) आदि के अमानुषिक नियम के बल से, बीस-बीस और पचीस-पच्चीस वर्ष की अवस्था तक पारस्परिक लाञ्छना और भर्त्सना का ग्रास बनती रहें, बहिन और भावज के ताने सुनती रहें, यौवन-काल में गुलाब से लजाए हुए जीवन को कामाग्नि की असाध्य, अशान्त, तप्त और विकराल ज्वाला में झुलसती रहें। विष-पान करती रहें, और—और, अन्त में वही—वही बालिकाएँ प्राणों के मोह और वासना के अनुताप से व्यभिचारिणी होकर इन्हीं—इन्हीं समाज के नाक-धारियों से कृपा की भीख माँगती फिरती रहें।

इसके बाद सहसा ही उसका स्वर बन्द हो गया! मैंने करुण और कातर-दृष्टि में उसे देखना चाहा। परन्तु मेरे नेत्र नहीं उठे।

स्नेह का आभास न पाकर बच्चा रो उठा। उसने, उसका मुँह चूमा और धीरे-धीरे कहा—सुन तो सही अभागे। तेरे अँधेरे जीवन की बात कहती हूँ—जैसे बाबू (मेरी ओर सङ्केत करके) सुनते हैं, तू भी सुन न।

मैंने पूछा—फिर?

उसने कहा—सुनिए—

मेरे एकान्त की निर्मल दृष्टि ने उसे देखा। वह कहने लगी—अभी पूरा वर्ष बीता न था कि सहसा विधाता ने मेरे माथे का गुलाबी सिन्दूर पोंछ लिया। ऐसी ही रात थी, उस रात में ऐसा ही कालापन, ऐसा ही वायु बह रही थी, उसमें भी ऐसी ही गन्ध। ऐसा ही समय था, क्रूर, अन्यायी और निठुर, जब मैं अपने एकमात्र धन को खो बैठी।

ऐसे मैं विधवा हुई।

मेरी आँखें भर आईं! परन्तु उसकी आत्मा के अनिहित-विश्वास से मैंने उस वैधव्य की दारुण छाप देखी?

उसने कहा—आप रोते हैं? छिः!

"क्यों...? क्या रोने की बात नहीं?"

"है। परन्तु मेरे लिए। आपके लिए नहीं।"

मेरे हृदय का आवेग बन्द नहीं हुआ। आवेग में दोनों गाल मेरे ही ठण्डे-ठण्डे आँसुओं से भीज गए थे। मेरा स्वर टूट रहा था, नेत्र मुँदे जा रहे थे। शरीर गिरा जा रहा था। मैंने उसी अवस्था में कहा—तुम मुझे रोने तक का भी अधिकार न दोगी?

अपने पतले-पतले ओंठों पर सन्तोष की धुँधली मुस्कान समेटते हुए उसने कहा—अधिकार! और फिर रोने का अधिकार? इतना बड़ा, इतना महान........ आप ही कहें, कैसे दूँ?

"जैसे, दे सकों!"

वह चुप थी।

मैं देख रहा था। कितनी सुन्दर, कितनी सलज्ज और कितनी लावण्यमयी थी, वह। जी नहीं भरता था।

बचा रोया। मैंने पूछा—क्यों.........?

"अब सोएगा।"

"और तुम?"

"मैं भी।"

".........!"

"आप.........?"

"मैं भी।"

सवेरे सब से पहले मेरी आँख खुली।

४

रात को समय पर घर पहुँचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। वह कमरे में अपना उदास और निस्तेज मुख लिए मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। जाने कितनी हृदय-धाराएँ, एक और फिर अनेक होकर, एक पर एक होकर टूट रही थीं। इन्हीं में अपने को भुलाए वह बह रही थी। कितनी शान्त और सजीव गति से। बच्चा सो रहा था। उसी सोए हुए बच्चे के साथ बचपन के सोए हुए परिहास की बात सोच-सोच कर जब उस पर आँखें उठाती (!) तब?

घर आया। बाहर का द्वार खुला था और भीतर का बन्द। किवाड़ों से ओंठ लगा कर छेद से मैंने उसकी अवस्था देखी। उसे भान हुआ। वह बच्चे की चौड़ी छाती पर हाथ धर कर पड़ रही। आँखें बन्द कर लीं, मानो सो रही हो। मैंने अपने बाएँ हाथ से किवाड़ को थपथपाया। उसने सुना या नहीं, कह नहीं सकता।

मैंने बच्चे का नाम लेकर पुकारा—प्रकाश!

मैंने देखा, उसने आँखें खोलीं। दीपक के प्रकाश में चुपके से मुँह फेर कर उसने आँखें पोंछीं। फिर किवाड़ों के पास आई। बोली—कौन?

"मैं।"

मेरा स्वर पहिचान कर उसने साँकल खोल दी।

अन्दर गया। कपड़े उतारे। जेब से घड़ी निकाल कर देखा तो बारह बज गए थे।

बच्चे के पास ही पलँग पर मैं बैठ गया। वह पानी लाई। मैंने हाथ धोए, मुँह धोया, फिर पैर धोए और अपनी चादर पैरों पर डाल, पलँग पर सिमट कर बैठ गया। तब बच्चे के मुँह पर अपना गरम-गरम हाथ फेरा। फिर उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी। उस देखने में कितना स्नेह था, जो मेरे लिए अन्तिम था।

बोली—भोजन ले आऊँ?

मैंने भोजन की कल्पना भी न की थी। उसका

प्रश्न सुन कर मैंने उत्तर दिया—"नहीं !" इस उत्तर में मेरे जीवन की सारी मिठास मिली हुई थी।

"क्यों......?"—उसने साग्रह निवेदन किया।

"आज एक मित्र के निमन्त्रण में गया था, भोजन कर चुका हूँ।"

उसने नम्र स्वर में कहा—मुझे बताया नहीं।

"यह कोई निश्चित बात नहीं थी !"

"फिर......?"

"अचानक...!"

"अच्छा हाँ !"

"तुम सोओ !"

"तुम......?"

"मैं भी !"

"मैं तो सो चुकी !"

"कब ?"

"सरे साँझ से ही......?

अपने पलँग पर पड़ा धीरे-धीरे नींद की प्रतीक्षा कर रहा था। दो बज रहे थे, वह दीपक के प्रकाश में कोई काग़ज़ पढ़ रही थी।

मैंने सुना —

अब, मैं कैसे तुम्हें भुलाऊँ।
कैसे तुमसे हृदय हटाऊँ॥
पाई शरण तुम्हारी जब से।
निठुर, न मुझसे भूले तब से॥
जाने दो, अब मुझे भुलाओ,
इस प्रकाश के तुम हो जाओ॥
अब, भविष्य के क्षण-क्षण रोना।
सह न सकोगे तुम अनहोना॥

सहसा ही वह चुप हो गई। कमरे में सुहावनी नीरवता व्याप्त थी—हमारे चारों ओर, सरस वायु-स्रोत उमड़ रहा था।

क्षणिक प्रतीक्षा के पश्चात् मैंने कहा—आगे......?

"अरे! अभी तक तुम जाग रहे हो। मैंने जाना, सो चुके होगे।"

मैं मुस्कुराया। बोला—तुम, तुम जो न जानो, थोड़ा है।

"नहीं, सच..."

मैंने कहा—अच्छा आगे......?

"आगे—आगे, कुछ नहीं, यहीं तक।"

मेरे आरक्त अधरों की अर्द्धविकसित मुस्कान मेरे देखते-देखते उड़ गई। उसने आँखें खोलीं। मानो किसी कठिन यन्त्रणा का अनुभव करके उठी हो। नेत्रों में शुष्क-परिहास की आभा छलक रही थी। पालने में बालक सो रहा था। उसने उसके कच्चे गालों पर हाथ फेरा, फिर चूमा और विरक्त भाव से कहने लगी—अभागे! आज महतारी का मुँह और देख ले। केवल—केवल एक बार, और अन्तिम।

उन्निद्रित नेत्रों से मैंने उसे देखा। बड़ी देर तक देखता रहा।

वह बोली—क्यों.........?

"वह बात बताओ ?"

"कौन सी ?"

"तुम्हें याद नहीं ? तुमने कहा था न, फिर कहूँगी!.........इसी (बच्चे) के सम्बन्ध की।"

उसका मुख निस्तेज हो गया। शायद उसे अपने बचपन का पश्चात्ताप हो रहा था।

"कहो, कहो न ?"

"नहीं !"—उसके स्वर में आग्रह था।

"क्यों ?"

"समय रहने नहीं देता।"

"क्या ? समय ! समय की बात जाने दो।"

फिर वह कुछ कहने को हुई। दो वर्ष का उसका पहला ही बच्चा "माँ-माँ" कहता उठ बैठा।

"यह क्या ?"—मैंने पूछा।

"पाप का फल।"

बालक रोने लगा। मैंने देखा—माँ के हृदय में छिपी हुई कोई विकट पहेली वह पढ़ रहा था।

उसने बच्चे के ओठ चूमे और प्रेम में डूबती हुई बोली—मेरे लाल.........!

बालक मुस्कुराया।

वह रोई।

मैंने देखा !

तीनों सोए।

× × ×

सवेरे देखा—

वही मरा हुआ बालक, ख़ून में डूबा पड़ा था। पगली का कहीं पता नहीं था। झरोखे से सूर्य की प्रभात-किरणें उतर-उतर कर मेरे दुर्भाग्य के अन्तिम आँसू पोंछ रही थीं।

मैं रो उठा—कड़क कर, तड़प कर, चीख़ कर। मेरा स्वर दीवारों से टकरा कर लौटा और उस मरे हुए बच्चे के कानों में गूँज गया।

बच्चे के गुलाबी शरीर से ख़ून की छींटें फूट रही थीं।

मैं काँप रहा था।

वह सो रहा था।

और—वह, वह नहीं थी। थी तो, जाने कहाँ ?

× × ×

तकिए के नीचे वही काग़ज़ मिला, जिसे उसने पिछली रात पढ़ा था। और—और कुछ नहीं, उसकी छाया भी नहीं, उसकी बातें भी नहीं, उसका बच्चा भी नहीं, वह भी नहीं।

किवाड़ों के पास दौड़ा। वह बन्द थे। इस कथा के सारे पृष्ठ मेरी आँखों में नाच गए।

मैं काँप गया।

किसी ने पूछा—यह क्या ?

कोई बोला—पाप का फल।

मैंने नहीं सुना। मुझे होश नहीं था।

❀ ❀ ❀

तरक़्क़ी की दौड़

[श्री० ज्ञानमल्ल हंसराज जैन]

(१) डॉक्टरों ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि जगह-जगह अस्पताल हो गए और लोग स्वाभाविक जीवन छोड़ कर बेमौत मरने लगे। तन्दुरुस्ती की परवशता में परतन्त्र हो गए!

(२) विद्या ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि विद्या और अविद्या का भेद उठ गया। बिना योग्यता के ही लोगों को उपाधियाँ मिलने लगीं, और विद्वान उपाधियों को उपाधि समझ कर उनसे घृणा करने लगे।

(३) बुद्धि ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि विद्या और अविद्या का भेद उठ गया। पढ़त मूर्ख मिलने लगे और मूर्ख विद्वानों के कान काटने लगे।

(४) मज़हब ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि एक-एक घर में कई-कई मत हो गए और नास्तिकता बढ़ गई और सनातनी विचारों पर से विश्वास उठ गया।

(५) मुल्की इन्तज़ाम ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि जब्र, ज़ुल्म और अन्याय इत्यादि अब शान्ति और व्यवस्था में सम्मिलित हो गए और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब रिश्वत लेने लगे।

(६) सचाई ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि अदालतों में झूठ चल गया और दग़ा करने का नाम पॉलिसी हो गया।

(७) पाश्चात्य सभ्यता ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि ऐब हुनर हो गए और दुनिया में कोई पाप, पाप न रह गया।

(८) परहेज़गारी ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि हर एक क़ौम शराब पीने लगी और कुलीन ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि शराब की दूकानें रखने लगे।

(९) व्यापार ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि बेटियाँ बिकने लगीं और लोग दग़ाबाज़ी से लाभ उठा कर समाचार-पत्रों में प्रसिद्ध होने लगे।

(१०) इत्तफ़ाक़ ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि भाई-भाई में प्रेम न रहा और फूट हर फ़सल में मज़ा देने लगी।

(११) कारीगरी ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि लाखों रुपए चल गए और जाली काग़ज़ और नोट बनने लगे।

(१२) दौलत ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि बेरोज़गारी धन्धा हो गया।

(१३) ईमानदारी ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि बेईमानी ईमानदारी हो गई और लोग छल-बल को अपना धर्म-ईमान समझने लगे।

(१४) वैद्यक ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि चरक-सुश्रुत का नाम उठ गया और दो लटकों में लोग कविराज और भिषगाचार्य बनने लगे।

(१५) खेती ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि ज़मींदार काश्तकार हो गए और घरों में खेती होने लगी।

(१६) कविता ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि गद्य और पद्य में अन्तर न रहा और बेतुके कवि-भूषण बनने लगे।

(१७) साहित्य ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि अश्लील लिखना साहित्य-सेवा हो गई और बाज़ारी दुकानों में "साहित्य-भूषण" और "साहित्याचार्य" की उपाधि बिकने लगी।

(१८) सहयोग ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि राजा और प्रजा में विश्वास न रह गया और जेल और पुलिस के मुलाज़िम असहयोगी हो गए।

(१९) सफ़ाई ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि मैला, बाज़ारों और सड़कों से निकलने लगा और म्युनिसिपलटी का कूड़ा सरे आम बिकने लगा।

(२०) असहयोग ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि बाप-बेटे में सहयोग न रहा और लोग न्याय और व्यवस्था से स्वाधीन होकर उद्दण्ड होने लगे।

(२१) सभ्यता ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि बेटा बाबा हो गए और लोग खड़े-खड़े धार छोड़ना सभ्यता समझने लगे।

(२२) जातीयता ने यहाँ तक तरक़्क़ी की कि आठ कनोजिए नौ चूल्हे हो गए और हर एक अपनी डफली अपना राग अलापने लगे।

हद तेरी तरक़्क़ी की ! घटते-घटते रहने हिज्र में हम, यह तरक़्क़ी हुई तनज़्ज़ुल की।

❀ ❀ ❀

[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

सोवियट रूस का शासन-विधान

(शेषांश)

अखिल रूसी सोवियटों की कॉङ्ग्रेस ख़ास रूस के लिए (सङ्घ के लिए नहीं) अन्तिम क़ानून बनाने वाली संस्था है । इस कॉङ्ग्रेस में एक ही चैम्बर होता है, जिसमें शहरों और सूबों के सोवियटों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके सदस्यों की संख्या विधान द्वारा निश्चित नहीं है। कुल मिला कर इसमें कई हज़ार सदस्य होते हैं। इसकी बैठक मास्को में, वर्ष में दो बार होती है। इसको क़ानून बनाने के पूरे अधिकार हैं, केवल उन अधिकारों को छोड़ कर, जो सङ्घ कॉङ्ग्रेस को दे दिए गए हैं। जब कॉङ्ग्रेस की बैठक नहीं होती, तो उसका कार्य एक बड़ी कार्यकारिणी कमिटी करती है। कॉङ्ग्रेस के सदस्यों की संख्या इतनी अधिक होने के कारण तथा कार्य की अधिकता के कारण कार्यकारिणी कमिटी की बैठकें साल भर तक होती रहती हैं। यहाँ तक कि कॉङ्ग्रेस के अधिवेशन के समय भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं बन्द होती। कार्यकारिणी कमिटी की एक उपसमिति भी होती है, जो उसका बहुत सा काम कर देती है।

सङ्घ की भाँति ख़ास रूस में भी शासन करने के लिए मन्त्रियों की एक कैबिनेट होती है, जिसे वहाँ की जनता के कमीसरों की कौन्सिल कहते हैं। इस कौन्सिल में १२ सदस्य होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य के अन्तर्गत एक शासकीय विभाग रहता है। इन सदस्यों का निर्वाचन कार्यकारिणी द्वारा होता है, जिसके प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। इनका सम्बन्ध अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस से भी होता है। कमीसरों की कौन्सिल अपने प्रत्येक निश्चय से कार्यकारिणी कमिटी को सूचित करती है, पर ज़रूरी काम आ जाने पर कौन्सिल अपनी ज़िम्मेदारी पर भी काम कर सकती है। प्रत्येक शासकीय विभाग के साथ एक सलाह देने वाला बोर्ड (Advisory Board) रहता है। कौन्सिल अपने सदस्यों में से ही एक को अपना सभापति चुन लेती है।

सोवियट शासन के सम्बन्ध में पाठकों को दो बातें याद रखनी चाहिए। प्रथम यह कि संसार की अन्य प्रतिनिधि सरकारों में भौगोलिक प्रतिनिधित्व (Geographical Representation) होता है। एक गाँव, तहसील, ज़िला या शहर आदि अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। एक ज़िले के रहने वाले एक साथ वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इन चुनने वालों के पेशे अलग-अलग भले ही हों। और जो प्रतिनिधि चुना जाता है, वह उस ज़िले के तमाम रहने वालों का प्रतिनिधि होता है—अर्थात् वह एक साथ ही ज़िले के तमाम व्यापारियों, सौदागरों, किसानों, ज़मींदारों, मज़दूरों, वकीलों तथा डॉक्टरों आदि का प्रतिनिधि होता है। सारांश यह कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व में स्थान को विशेष महत्व दिया जाता है, पेशे को महत्व नहीं दिया जाता। यह अनुमान किया जाता है कि मताधिकारों की भलाई-बुराई पर स्थान का अधिक प्रभाव पड़ता है, और पेशे का उतना नहीं पड़ता। फलतः एक ज़िले में रहने वाला वकील उस ज़िले के तमाम रहने वालों का प्रतिनिधि हो सकता है। यद्यपि ज़िले में किसानों की संख्या अधिक होती है, परन्तु एक दूसरे ज़िले का रहने वाला किसान उन किसानों का प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

रूस में भौगोलिक प्रतिनिधित्व को नहीं माना गया है। वहाँ पेशेवार प्रतिनिधित्व (Vocational Representation) को अधिक महत्व दिया गया है। यह सही है कि भौगोलिक वर्गक्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है, पर केवल पेशेवार प्रतिनिधित्व को सफल बनाने के लिए। पृथक-पृथक पेशे के लोग पृथक-पृथक वोट देते हैं। खानों में काम करने वाले एक साथ वोट देते हैं। लोहे का काम करने वाले एक साथ पृथक वोट देते हैं। सैनिकगण एक साथ पृथक वोट देते हैं। प्रत्येक पेशे के लोग एक साथ पृथक वोट देकर अपने ही पेशे के किसी आदमी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस में लोहे का काम करने वाला कीव, ओडेसा या जिस स्थान से वह आया है, उस स्थान का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह तमाम लोहे के काम करने वालों का प्रतिनिधि होता है।

यह सोवियट प्रतिनिधित्व का मूल सिद्धान्त है। इसके समर्थकों का कहना है कि यह भौगोलिक प्रतिनिधित्व या किसी अन्य प्रतिनिधित्व से कहीं अच्छा है। क्योंकि लोगों की भलाई-बुराई उनके जीवन पर निर्भर करती है और उनका जीवन उनके पेशे पर निर्भर करता है, न कि उनके रहने के स्थान पर।

सिद्धान्तः पेशेवार प्रतिनिधित्व के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जा सकता है। भौगोलिक प्रतिनिधित्व में दोष भी है, क्योंकि इस प्रणाली के समर्थक इस बात को भूल जाते हैं कि प्रत्येक मताधिकारी केवल उस स्थान में रहता ही नहीं, बल्कि किसी एक श्रेणी तथा पेशे का सदस्य भी है तथा सम्भव है कि उसके पेशे का असर उस पर स्थान की अपेक्षा अधिक पड़ता हो।

व्यापारी, मज़दूर तथा किसान सब अपने पेशे की उन्नति करना चाहते हैं। चूँकि व्यापारी तथा किसान एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन का दृष्टिकोण एक नहीं हो जाता न उनकी भलाई-बुराई एक बात पर निर्भर करती है। फलतः सब बातों पर विचार करने के पश्चात् यह कहना ही पड़ता है कि पेशेवार प्रतिनिधित्व भौगोलिक प्रतिनिधित्व से कहीं अच्छा है।

पर इसी प्रश्न पर दूसरे ढङ्ग से विचार कीजिए तो आप दूसरे ही परिणाम पर पहुँचेंगे। क्या तमाम पेशे के लोगों में राजनीतिक अधिकार बाँट देने से तमाम जनता की भलाई की जा सकती है? सोवियट का प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त इस सिद्धान्त पर निर्भर करता है कि आम नीति के प्रति लोगों की मनोवृत्ति उनके पेशे पर निर्भर करती है। बहुधा ऐसा होता भी है। पर क्या यह अच्छी बात है और क्या इसे उत्साहित करना चाहिए? अन्य देशों में यह बात मानी जाती है कि लोग नागरिक पहिले हैं, व्यापारी तथा मज़दूर पीछे तथा लोगों को अपनी श्रेणी तथा पेशे की भलाई की अपेक्षा राष्ट्र की भलाई का ध्यान पहिले होना चाहिए। पार्लामेण्ट की छोटी सभा का सदस्य किसी एक ज़िले से अवश्य चुना जाता है, पर केवल ज़िले का प्रतिनिधि ही बनने के लिए नहीं। उसे तमाम जनता के राष्ट्रीय कोष से व्यय दिया जाता है। वह तमाम जनता का प्रतिनिधि है। जब वह तमाम जनता का प्रतिनिधि होता है, तब भी हमें बहुधा यह शिकायत होती है कि बहुधा वह तमाम राष्ट्र की भलाई का विचार न करके अपने ज़िले की भलाई का अधिक विचार करता है। और यदि कहीं वह किसी एक श्रेणी या पेशे का प्रतिनिधि हुआ तब तो उसका यह कर्तव्य ही होगा कि वह तमाम राष्ट्र की भलाई का विचार न करके अपने श्रेणी या पेशे का अधिक विचार करे। फलतः हमें शिकायत करने की गुञ्जाइश न रहेगी। क्या यह तमाम राष्ट्र की दृष्टि से उचित होगा?

सोवियट शासन के सम्बन्ध में दूसरी स्मरणीय बात यह है कि शासकों और जनता के बीच में बहुत फ़ासला रहता है। अन्य देशों में जनता अपने शासकों को स्वयं सीधे तौर से चुनती है। और शासकों और जनता में केवल एक सीढ़ी का अन्तर रहता है। पर रूस में यह अन्तर कई सीढ़ियों का हो जाता है। रूस के किसान अपने गाँव की सोवियट को चुनते हैं। गाँवों की सोवियटें ज़िले की सोवियटों को अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। ज़िले की सोवियटें प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती हैं। अन्त में प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस तथा सङ्घ कॉङ्ग्रेस में होते हैं, जो अपने-अपने लिए केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटियाँ चुनते हैं। तत्पश्चात् प्रत्येक कार्यकारिणी कमिटी एक उपकमिटी चुनती है तथा कमीसरों की एक कौन्सिल नियुक्त करती है, जो शासकीय विभागों का सञ्चालन करती हैं। किसान और कमीसरों के मध्य में इतना अधिक फ़ासला होता है कि तमाम उत्तरदायित्व मार्ग में ही नष्ट हो जाता है। यों तो रूस के शासन पर जनता ही का अधिकार होता है, पर इस अधिकार को कार्यान्वित करने का ढङ्ग इतना पेचीदा है कि वास्तविक अधिकार नहीं के बराबर होता है। बोलशेविकों ने उत्तरदायी सरकार इस ढङ्ग से स्थापित की है कि उत्तरदायित्व का कहीं पता ही नहीं चलता। अस्तु।

ऊपर सोवियटों, कॉङ्ग्रेसों, कमिटियों तथा कौन्सिलों का ज़िक्र किया जा चुका है। इनके अलावा नाना प्रकार के स्थायी तथा अस्थायी, साधारण तथा विशेष कमीशन भी होते हैं। समय समय पर भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए इनकी स्थापना की गई है। बहुधा उनके अधिकार तथा कार्य अन्य संस्थाओं के अधिकार तथा कार्यों से टकराते हैं। कुछ कमीशन डिग्रियाँ जारी करते हैं, उन्हें कार्यान्वित करते हैं तथा जो उन डिग्रियों को तोड़ते हैं, उन्हें सज़ा देते हैं। ऐसे कमीशनों में सब से प्रसिद्ध कमीशन 'चेका' (Cheka) था, जिसका कार्य था, सरकार के विरुद्ध अपराधों को रोकना और अपराधियों को सज़ा देना। यह कमीशन मृत्यु-दण्ड तक दे सकता था। रूस में आम क़ानूनी अदालतें होती हैं, पर 'चेका' कमीशन अपना कार्य उन अदालतों द्वारा नहीं कराता था। बल्कि वह स्वयं ही जाँच करता, मुक़दमे सुनता, सज़ा देता तथा सज़ा को कार्यान्वित करता था। सन् १९२२ में इस कमीशन का अन्त कर दिया गया और इसके जाँच के कार्य सङ्घ के एक

शासकीय विभाग को सौंप दिए गए। अब ऐसे मुक़दमे भी आम अदालतों में ही होते हैं। इन तमाम अदालतों के न्यायाधीश तथा असेसर चुने जाते हैं।

ऐसे गोरखधन्धी शासन का अन्त क्यों नहीं हो जाता और सङ्घ तथा प्रजातन्त्रों के अधिकारों तथा प्रजातन्त्र और प्रान्तों के अधिकार एक-दूसरे से टकरा कर एक-दूसरे को नष्ट क्यों नहीं कर देते ? इसका प्रधान कारण यह है कि एक ही राजनीतिक पार्टी का सर्वत्र बोलबाला है। सब कमीसर बोलशेविक हैं, वे सब कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। वे ही सोवियटों, कॉङ्ग्रेसों, कमिटियों तथा कौन्सिलों का सञ्चालन करते हैं। फलतः इन सबका सञ्चालन एक ही ढङ्ग से होता है। इनमें से किसी में भी विरोधी दल नहीं पाया जाता। कम्यूनिस्ट पार्टी का विरोधी सरकार का शत्रु समझा जाता है। जब कभी कोई झगड़ा खड़ा होता है, तो बोलशेविक पार्टी में वह तय कर दिया जाता है। रूस में सर्वत्र बोलशेविक दल का सर्वेसर्वा होना ही सोवियट शासन की सफलता का सबसे बड़ा कारण है।

सन् १९१८ के सोवियट विधान में स्पष्ट कहा गया है कि तमाम नागरिकों के अधिकार समान हैं। पर उसके पश्चात् ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी नागरिक किसी ऐसे अधिकार का दावा नहीं कर सकता, जिसका प्रयोग सोवियट के विरुद्ध किया जा सके। फलतः नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा नहीं की गई है। सोवियट शासन के विरुद्ध नागरिक के कोई अधिकार नहीं हैं। सामाजिक शासन (Social State) ही साध्य है, व्यक्तिगत नागरिक केवल साधन है। पत्रों की स्वतन्त्रता (Freedom of the Press), बोलने की स्वतन्त्रता (Freedom of the speech) आदि स्वतन्त्रताएँ जो संसार के अन्य सभ्य तथा स्वतन्त्र देशों में मानी जाती हैं, रूसी शासन में इन स्वतन्त्रताओं का कोई अटल स्थान नहीं है। सोवियट शासन में इन स्वतन्त्रताओं को तभी तक स्थान मिलता है, तथा सरकार इन्हें तभी तक मानती है, जब तक इनका प्रयोग सोवियट सरकार के विपरीत न होकर उसके पक्ष में होता है। सोवियट के अर्थ में यह उचित भी है, क्योंकि साधन को कभी भी साध्य के विपरीत न जाना चाहिए। साधन का अस्तित्व ही साध्य के लिए होता है।

सोवियट शासन की आर्थिक नीति क्या है ? सन् १९१७ में रूसी क्रान्ति ने बोलशेविकों के हाथ में आते ही आर्थिक जामा पहिन लिया था। क्रान्ति का लक्ष्य था, व्यक्तित्व का अन्त करके कम्यूनिस्ट सरकार की स्थापना करना तथा ग़रीबों के हाथों में तमाम सांसारिक शक्तियाँ सौंप देना। सन् १९१८ के विधान ने भूमि की निजी सम्पत्ति का अन्त कर दिया तथा रूस की प्रत्येक इञ्च भूमि सरकार को सौंप दी गई। तत्पश्चात् यह राष्ट्रीय भूमि किसानों में बाँट दी गई थी। जो किसान जितनी भूमि जोत-बो सकता था, उसे उतनी भूमि दी गई। किसानों का भूमि पर क़ानूनी अधिकार मान लिया गया था, वैसे तो किसानों ने पहिले ही ज़मींदारों को निकाल कर भूमि अपने अधिकार में कर ली थी। एक किसान के मर जाने पर उसका वारिस उस भूमि को जोतता-बोता है। पर वह उसे बेच नहीं सकता।

शहरों में जिन फ़ैक्टरियों के मालिकों ने अपनी फ़ैक्टरियों को सरकार को सौंपने से इन्कार कर दिया, वे बलपूर्वक फ़ैक्टरियों से निकाल दिए गए। तमाम उद्योग-धन्धे सरकार द्वारा नियुक्त कमीसरों के अधिकार में कर दिए गए। ये लोग इन उद्योग-धन्धों का सञ्चालन मज़दूरों की इच्छा के अनुसार ही करते हैं। प्रत्येक फ़ैक्टरी में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मज़दूरों की कौन्सिल या सोवियट होती है। मज़दूरों को वेतन के रूप में एक काग़ज़ का टुकड़ा मिलता था, जिसके दिखाने से मज़दूरों को सरकारी दूकानों से भोजन-कपड़ा आदि आवश्यकीय वस्तुएँ मिल जाती थीं। क्योंकि इन वस्तुओं की निजी दुकानें न रह गई थीं। पर यह योजना सफल प्रमाणित नहीं हुई। फ़ैक्टरियों की पैदावार कम हो गई, क्योंकि मज़दूर मनमाना काम करते थे और उन्हें आवश्यकीय वस्तु काफ़ी नहीं मिलती थी, अतएव उनकी योग्यता घट रही थी। फ़ैक्टरियों को कच्चा सामान (Raw material) काफ़ी तादाद में नहीं मिलता था और जो लोग फ़ैक्टरियों का सञ्चालन करते थे, उनका फ़ैक्टरियों के सम्बन्ध का ज्ञान बहुत परिमित था। सरकार मज़दूरों को अपनी दुकानों द्वारा काफ़ी खाद्य पदार्थ नहीं दे सकती थी। क्योंकि किसान शहरों में उस समय तक ग़ल्ला नहीं भेजना चाहते थे, जब तक उन्हें ग़ल्ले के एवज़ में बनी हुई वस्तुओं के मिलने का आश्वासन न मिल जाता था और सरकार आश्वासन देने में असमर्थ थी।

फलतः सन् १९२१ में उपर्युक्त योजना में अनेक परिवर्तन किए गए। उद्योग-धन्धों का निजी सञ्चालन पुनः होने लगा। निजी व्यापार भी थोड़ा-थोड़ा होने लगा। कुछ लोग मिल कर फ़ैक्टरी चला सकते थे, पर उन्हें सरकार को साझीदार बनाना पड़ता था। सरकारी लाइसेन्स पर दुकानें आदि खुल सकती थीं। विदेशी पूँजीपतियों के साथ रियायतें की गई और उन्हें वहाँ आकर व्यापार करने तथा मिल खोलने का न्योता दिया गया। जब तक देश की हालत सुधर न जाय, तब तक के लिए कम्यूनिस्ट सिद्धान्त ढीला कर दिया गया है। लोगों का अनुमान है कि हालत सुधरते ही पूर्ण कम्यूनिज़्म स्वयं क्रमशः सब क्षेत्रों में फैल जाएगा।

सोवियट रूस के सिलसिले में पाठकों ने तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय का नाम बहुधा सुना होगा। कम्यूनिस्ट-प्रचार के सम्बन्ध में इसका नाम प्रत्येक दिन सुनाई पड़ता है। यह तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International) क्या है ? पाठकों ने साम्यवाद के आचार्य कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक 'पूँजी' (Capital) साम्यवाद की बाइबिल समझी जाती है। कार्ल मार्क्स की शिक्षा ने ही रूस के नवयुवकों को साम्यवादी बनाया था। इसी कार्ल मार्क्स ने सन् १८६४ में संसार के मज़दूरों की एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था को आगे चल कर प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय के नाम से पुकारा जाने लगा। इस संस्था द्वारा कार्ल मार्क्स संसार के तमाम देशों के साम्यवादियों को एक सूत्र में बाँधना चाहता था। इस प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय की कई एक कॉङ्ग्रेसें समय-समय पर हुईं। संसार भर के साम्यवादियों के प्रतिनिधि इन कॉङ्ग्रेसों में इकट्ठा होकर संसार भर के साम्यवादियों के लिए एक नीति तथा कार्य-शैली निर्धारित करते थे। यह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पैरिस कम्यून (Paris Commune) का ज़ोरों से समर्थन करता था। फलतः पैरिस कम्यून के पतन होते ही प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय को ज़बरदस्त धक्का लगा। यहाँ तक कि वह इस धक्के से बच न सका और अन्त में १८७६ में, यह संस्था तोड़ दी गई। अपनी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को नष्ट होते देख कर संसार के साम्यवादियों को बहुत दुख हुआ। अतः १३ वर्ष बाद सन् १८८९ में उन्होंने पुनः पैरिस में अपनी एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। इसे द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कहते थे। इस द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के उद्देश्य भी वही थे, जो प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय के थे। सन् १८८९ से लेकर सन् १९१४ तक द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय की सात कॉङ्ग्रेसें हुईं। इन कॉङ्ग्रेसों में संसार के तमाम देशों की साम्यवादी संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेते थे। ऐसी ही एक कॉङ्ग्रेस सन् १९०० में पेरिस में हुई थी, जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इस ब्यूरो का काम था, संसार में साम्यवाद का प्रचार करना। सन् १९१४ में महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही अनेक देशों की साम्यवादी संस्थाएँ छिन्न-भिन्न हो गईं। तमाम साम्यवादी संस्थाएँ साम्यवाद को ताक़ पर रख कर युद्ध में अपनी-अपनी सरकारों की तन, मन और धन से सहायता करने लगीं। फलतः द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय का भी अन्त हो गया।

महायुद्ध के समाप्त होते ही नरम-दल के साम्यवादियों ने सन् १९१९ में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय को पुनः सङ्गठित किया। पर गरम दल के साम्यवादी इस संस्था में नहीं आना चाहते थे। अतः उन्होंने मास्को में रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपनी एक अलग अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की। इसी मास्को वाली गरम दल के साम्यवादियों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के नाम से पुकारते हैं। इस तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय में संसार के तमाम देशों की कम्यूनिस्ट संस्थाएँ शामिल हैं तथा इसकी बैठकों में उन सबके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसका प्रधान दफ़्तर मास्को में है और रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी ही इसका अधिकतर सञ्चालन करती है। इस तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय का उद्देश्य है, "संसार के मज़दूरों की तमाम क्रान्तिकारी पार्टियों के प्रयत्न को एक सूत में बाँध कर संसार भर में कम्यूनिस्ट क्रान्ति की तैयारी करना" (To unite the efforts of all revolutionary parties of the world-proletariate and thus facilitate a communist revolution on a world-wide basis)। रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी का वैदेशिक प्रचार बहुत-कुछ इसी संस्था द्वारा होता है।*

* लेखक द्वारा लिखित तथा इस संस्था से शीघ्र प्रकाशित होने वाली 'विश्व-शासन-विधान' नाम की पुस्तक का एक अंश।

* * *

यह मतलब है अलग सब से हो एक अपनी जथा क़ायम !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

हर बड़े-छोटे के दिल में आरज़ू फ़ैशन की है
बैठते, उठते, हमेशा गुफ़्तगू फ़ैशन की है।
हज़रते "बिस्मिल" यह कहता है हमारा तजरबा
इस ज़माने में बहुत कुछ आबरू फ़ैशन की है।

❀ ❀ ❀

किया करते हैं नाहक़ दुश्मने अहले वफ़ा क़ायम,
कहीं एक अञ्जुमन[1] क़ायम, कहीं पर एक सभा क़ायम
निकलता है नतीजा ऐसी बातों से यही "बिस्मिल"
यह मतलब है अलग सब से हो एक अपनी जथा क़ायम।

❀ ❀ ❀

कोई पूछे न यह हमसे कि कैसे आम भेजे हैं
बहुत उमदा, बहुत नायाब, अच्छे आम भेजे हैं।
बड़े ख़ुश ज़ायक़ा हैं, और हैं ख़ुश रङ्ग "बिस्मिल"
हमें तो रायसाहब[2] ने बस ऐसे आम भेजे हैं।

१—सभा, २—रायसाहब धनवन्त नारायण साहब चड्ढा, रईस, इलाहाबाद से मतलब है।

महान एशियाई-संघ

[श्री० वीरेशदत्त सिंह, विशारद, बी० एस्-सी०, एम० ए०, बी० एल० ;
श्री० प्रसिद्धनारायण सिंह, विशारद, एम० ए०, बी० एल०]

"यूरोपियन तथा अमेरिकन जातियों की व्याघ्र-वृत्ति ही—साम्राज्यवाद की समक्ष और उद्देश्य के अनुसार—गोरी जातीयता तथा सभ्यता की नीति का सार-तत्व है। इन लोगों ने सारे वासोपयोगी भू-मण्डल के पाँच हिस्से में से चार हिस्से के कुछ स्थल को तो अपना अधीन स्थल (Dependencies), कुछ को संरक्षित-स्थल (Protectorate), कुछ को शासित स्थल (Mandatories) और कुछ को अपने प्रभाव-स्थल (Spheres of influence) के रूप में परिणत कर डाला है, और जहाँ तक उनसे हो सका है, उन्होंने संसार की काली, भूरी एवं भोली जातियों के विकास को रोका है। गोरी जातियों में यह नीति बड़े ज़ोरों से बढ़ती जा रही है, जिसके फल-स्वरूप संसार के कुछ महादेशों में से पाँच में, यहाँ तक कि छठे महादेश के भी कुछ हिस्से में एशियावासी प्रवेश करने से रोक दिए जाते हैं। गत ७० वर्षों के अन्दर गोरी जातियों ने १,३०,००,००० वर्गमील भूमि, जिसका क्षेत्रफल यूरोप के साढ़े तीन गुना के बराबर है, अपने साम्राज्य में मिला लिया है। इसका स्पष्ट परिणाम यही है कि एशियाई आधिपत्य अब एशिया के बाशिन्दों में फ़ीसदी दो ही के अधिकार में रह गया है।"

—"फ़ारवर्ड" एनिवर्सरी अङ्क १९२६ ई०

उपर्युक्त अवतरण के पढ़ लेने के बाद, यह स्पष्टतः मालूम होने से बाक़ी नहीं रह जाता कि आधुनिक युग में रङ्ग-भेद अथवा जाति-भेद के आधार पर ही, संसार की राजनीतिक चालें चली जा रही हैं। जब हम आँखें खोल कर देख रहे हैं कि संसार की गोरी जातियाँ अपना एक गुट्ट बना कर संसार में ऊधम मचा रही हैं, संसार की अन्यान्य जातियों को पृथ्वी के कोने-कोने में अपमानित और तिरस्कृत कर रही हैं, तब हमारा एक ही कर्तव्य रह जाता है, और वह यह कि हम भी एशिया में बसने वाली काली, भूरी तथा पीली जातियों का एक सङ्घ बनावें, और अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करने का यत्न करें। आगे चल कर 'फ़ारवर्ड' के उसी लेख में बतलाया गया है कि एशियावासियों को सताने में, उनकी सम्पत्ति लूटने में तथा उन्हें तरह-तरह के धोखे देने में सभी गोरी जातियाँ प्रायः एकता-बद्ध हो रही हैं। उनकी इस एकता का कारण यह है कि उनके रङ्ग, उनकी जाति, उनका इतिहास, उनकी सभ्यता तथा उनका धर्म आदि सभी प्रायः एक ही हैं। साम्राज्यवाद के सिद्धान्त ने अमेरिका को भी यूरोप का सहयोगी बना दिया है, और ऊधम मचाने के नए-नए स्थान चुने गए हैं।

उसी लेख में कहा गया है कि "कनाडा और अमेरिका के संयुक्त-राज्य में एशिया वालों को अनेक प्रकार की असुविधाओं का शिकार बनना पड़ता है। इसके अलावा, अमेरिका ने तो जापानियों को वहाँ से निकल जाने के लिए खुली विज्ञप्ति भी दे दी है। परन्तु एशिया जॉनबुल और शाम काका के मनोरञ्जक शिकार के लिए खुला हुआ मैदान बना है। ग्रेट-ब्रिटेन को भारत में अपना उद्देश्य (Mission) पूरा करना है। चीन को ज़रूर ही अपना दरवाज़ा खुला हुआ रखना चाहिए, क्योंकि 'विदेशियों का जो अधिकार है, वह मनुष्यता के आदेशानुसार छोड़ा नहीं जा सकता।' इन महा-शक्तियों की आज्ञा के मुताबिक़ एक समय के ऑटोमन-साम्राज्य को टुकड़े-टुकड़े होना पड़ेगा।"

इसका साफ़ मतलब तो एक ही है कि गोरे लोगों के लिए तो एशिया के सभी घरों के दरवाज़े किसी न किसी बहाने खुले रक्खे जायँ, ताकि वे वहाँ जाकर मनमाना लूट-पाट मचावें, गुलछर्रे उड़ावें। परन्तु एशिया वालों के लिए गोरे देशों के सभी दरवाज़े बन्द रहें और इन बेचारों का उन देशों में प्रवेश तक भी निषिद्ध रहे। क्या इससे भी बढ़ कर कोई स्वेच्छाचारिता, कोई ज़्यादती हो सकती है? परन्तु इस एशियावासियों की आँखों के सामने यही भयङ्कर परिस्थिति है।

जैसा कि उपर्युक्त लेख के लेखक ने बतलाया है, हम गोरों की तरह किसी को अपने देश से निकालना नहीं चाहते। हमारा तो यह अभीष्ट ही नहीं। हम तो आत्म-सम्मान चाहते हैं, अपने देश में सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ों की रक्षा करना चाहते हैं। एशियाई-सङ्घ के निर्माण और उद्देश्य के सम्बन्ध में लेखक ने लिखा है :—

"एशियाई-सङ्घ के जिस सिद्धान्त पर हमने ज़ोर डाला है, जिसका श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर समर्थन करते हैं, जिसे ओकाखुरा और काउण्ट ओकुमा ने अपने व्याख्यानों में बतलाया है, उसका मतलब किसी सङ्कीर्ण व्यापारिक-सङ्घ से अथवा सांग्रामिक एकता से नहीं है। भारत का ख़िलाफ़त आन्दोलन, जापानी भूकम्प के बाद चीनियों का जापानी वस्तुओं के बहिष्कार के आन्दोलन को बन्द कर देना और जापानियों के प्रवेश क़ानून (Immigration laws) पर एशिया के समस्त देशों में विस्तृत क्रोध आदि बातें एशिया की एकता प्रदर्शित करती हैं। एशिया की सभी जातियाँ अपने पैरों पर, शलाके (Dominoes) के वृत्त की तरह खड़ी हैं, यदि उनमें से एक को भी किसी तरह छेड़ा जाय अथवा ठुकराया जाय, तो उसका असर शीघ्र ही दूसरों के पास पहुँच जाता है। प्राच्य वालों का सामान्य मत है, सामान्य स्थिति है और सामान्य आदर्श है। इसलिए एशिया के हरेक नौजवान का प्रधान उद्देश्य है कि वह उन अधिकारों को फिर से प्राप्त करे, जिन्हें प्राच्य को सदा काम में लाना चाहिए था। प्राच्य और पाश्चात्य में समता स्थापित करे और विश्व की शान्ति को क़ायम करने वाली एशियाई स्वाधीनता की पूर्ण सफलता के लिए प्रयत्न करे।"

आज प्रायः सारा एशिया गोरों के चङ्गुल में फँसा हुआ है। एशिया आज परवश है। इसकी सन्तान अपने ही घर में गुलाम है। इसके उद्धार का एक ही मार्ग है, एशिया के नौजवानों का एक ही कर्तव्य है कि वे एशिया के भिन्न-भिन्न देशों में कर्मशील सम्बन्ध स्थापित करें।

एशियाई-सङ्घ के निर्माण में भारत उदासीन नहीं रह सकता। भारतीय नेताओं के सामने एशियाई-सङ्घ का प्रश्न कितना महत्व रखता है, यह स्वर्गीय देशबन्धु चितरञ्जन दास के गया में (१९२२ ईस्वी) कॉङ्ग्रेस के सभापति की हैसियत से, दिए हुए भाषण के अवतरण से मालूम होता है। आपने कहा था—

"जिस महान एशियाई-सङ्घ का निर्माण हो रहा है, उसमें भारत का भाग लेना...... अधिक ज़रूरी है। इसमें हमको अणु-मात्र भी सन्देह नहीं, कि पैन-इस्लामिक आन्दोलन ने, जो कुछ सङ्कीर्ण आधार पर चलाया गया था, सब जातियों के महान एशियाई-सङ्घ के लिए स्थान दे दिया है, अथवा देने को तैयार है। क्या भारत इस सङ्घ से अलग रहेगा? मैं स्वीकार करता हूँ कि हमें अपनी स्वतन्त्रता स्वयं प्राप्त करनी होगी, परन्तु भारत और एशिया के बीच—नहीं, नहीं—भारत और संसार की सभी स्वतन्त्रताप्रिय जातियों के बीच, मित्रता और प्रेम का सहानुभूति और संयोग का बन्धन विश्व-शान्ति को स्थापित करने में अवश्य समर्थ होगा। मेरे विचार में विश्व-शान्ति का मतलब हरेक राष्ट्र की स्वाधीनता से है और मैं तो इससे भी आगे कहता हूँ कि इस पृथ्वी-मण्डल में कोई भी जाति यथार्थतः स्वाधीन नहीं हो सकती, जब तक दूसरी जातियाँ पराधीनता की ज़ञ्जीर में बँधी हुई हैं।"

देशबन्धु दास ने, अपने राजनीतिक जीवन में, एशियाई-सङ्घ की आवश्यकता की ओर देशवासियों के चित्त आकर्षित करने में बहुत परिश्रम किया था। एशियाई-सङ्घ का निर्माण उनकी राजनीति का एक प्रधान अङ्ग था।

एशिया की वर्तमान जागृति की आलोचना करते हुए, मिलार्ड साहब ने अपने "कॉनफ़्लिक्ट ऑफ़ पॉलिसीज़ इन-एशिया" में इलेनर फ़्रैंकलिन इगैल का एक अवतरण दिया है। इगैल कहता—

"आज एशिया में वे वस्तुएँ मौजूद हैं, जो तीक्ष्ण मद तैयार करने में लगी हैं। यदि समय पर विचारशील सन्धि की वायु से इसे शान्त नहीं किया जायगा, तो यह अवश्य ही, सर्वव्यापी ज्वाला के रूप में धधक पड़ेगा।"

एशिया-वासियों के सामने, अब गोरों की क़लई खुल गई है, उनमें अब इनका तनिक विश्वास नहीं रह गया है। एशिया अपने अधिकारों को ख़ूब समझता है, और जब तक यूरोप और अमेरिका के हाथों से अपने लुटे हुए स्वत्व को छीन न लेगा, तब तक उसे चैन नहीं। घृणा एवं विद्वेष का जो भाव यूरोपियनों के प्रति एशियाइयों का बढ़ता जा रहा है, उसका उपाय गोरों के ही हाथ में है।

संसार की जातियों के विषय में अध्ययन करने के बाद लोथ्रौप स्टोडार्ड नाम के एक लेखक ने कुछ अनुमान निकाले हैं। मिलार्ड ने उनमें से कुछ वाक्यों को अपने उपर्युक्त ग्रन्थ में उद्धृत किया है; उन्हें हम यहाँ लिखते हैं :—

"इस गम्भीर एशियाई जागृति का बड़ी अन्तिम परिणाम होगा कि अण्टोलिया से लेकर फ़िलीपाइन तक जो गोरों का राजनीतिक प्रभुत्व फैला हुआ है, उसका सम्पूर्ण रूप से विनाश हो जायगा। × × × परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि एशिया से गोरों को अपना बोरिया समेट कर चल देना पड़ेगा। वरन् इससे बिलकुल भिन्न परिणाम होगा। तथापि जो यथार्थ बातें हैं, उनका शुद्ध भाव से सामना करना और पक्षपात अथवा दुराग्रह का त्याग कर, यथार्थ नीति को स्थापित करना ही इसका अर्थ है। × × × इसलिए हमारा जातीय कर्तव्य स्पष्ट है। गोरे लोगों का जो वासस्थान है, उसमें एशिया वालों के प्रवेश का, और जो स्थान न तो गोरे लोगों के हैं, और न एशिया वालों ही के हैं, पर वास्तव में हीन जातियों के वासस्थान हैं, ऐसी

जगहों में भी एशिया वालों की बाढ़ का—दोनों ही का—हम लोग ज़रूर, दृढ़तापूर्वक विरोध करेंगे। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में एशिया वालों की जो माँग है, उसके प्रति विचारशीलता एवं सुलह के भाव को स्थापित करने से, हम लोगों के प्रति एशिया वालों की जो वर्तमान शत्रुता है, उसके नैतिक अंशों को हम लोग नष्ट कर सकेंगे।"

एशिया और यूरोप के बीच पारस्परिक वैमनस्य को हटाने के लिए, स्टौडार्ड का उपर्युक्त नुसख़ा अमल में लाने पर अवश्य ही कामयाबी हासिल हो सकती है। एशिया की भावी जागृति के सम्बन्ध में इसकी भविष्य-द्वाणी भी अवश्य ही होगी। एशिया अवश्य ही अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। परन्तु गोरों को अन्त में यहाँ से अपना डेरा-डण्डा भी उखाड़ना पड़ेगा।

एशिया वालों में जो लोग अमेरिका की नेकनीयती तथा स्वतन्त्रप्रियता पर मुग्ध होकर आशा का पुल बाँधने लगते हैं और अमेरिका से यूरोप के विरुद्ध कर्मशील सहायता की उम्मेद रखते हैं, उनके भ्रम-निवारण के लिए हम मिलार्ड के कुछ वाक्यों को यहाँ उद्धृत कर देना उचित समझते हैं। यूरोपीय महायुद्ध के सम्बन्ध में मिलार्ड कहता है:—

"आज अमेरिका के लोग जानते हैं कि उन्होंने लड़ाई को जीतने के लिए सहायता दी; परन्तु वे यह नहीं जानते कि जीतने के बाद संयुक्त-राज्य अथवा संसार किस स्थान पर पहुँचा है।

"एशिया की परिस्थिति के कारण यदि युद्ध छिड़ जाय, तो यह असम्भव है कि संयुक्त-राज्य उसमें न घसीटा जाय। यदि और कोई कारण न भी हो, तो भी जाति का सवाल ही ऐसा है, जो पराजय के ख़तरे में पड़ जाने पर यूरोप की सहायता के लिए युद्ध में सम्मिलित होने को अमेरिका को लाचार करेगा।"

यदि उपर्युक्त नीति ही वस्तुतः, अमेरिका के संयुक्त-राज्य की नीति हो, तो एशिया का कोई भी देश, यूरोप के पञ्जे से निकलने के लिए, अमेरिका की सकर्मक सहायता कैसे पा सकता है? इस सम्बन्ध में मिलार्ड लिखता है:—

"अमेरिका की नीति का मूल-सिद्धान्त यह है कि गोरे राष्ट्र, जो गोरे या दूसरे रङ्ग की जातियों के देशों में एशिया वालों के प्रवेश को रोकते हैं, और रोकना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि एशिया में एशिया वालों के सब से प्रधान अधिकारों को ज़रूर ही उन्हें दे दें, इसके लिए उन्हें उत्साहित करें, उत्तेजित करें और उनका सम्मान करें।"

एशिया में एशिया वालों के सब से प्रधान अधिकार क्या हैं? एशिया वालों को यूरोप वालों की तरह ही, अपने घर के ख़ुद प्रबन्ध करने का सब से पहला अधिकार है। एशिया वालों के इस अधिकार में गोरों ने दस्तन्दाज़ी कर रक्खी है और सारा एशिया आज गोरों की ज़बरदस्त अधीनता में तड़प रहा है। क्या अमेरिका की नीति गोरों की प्रवृत्ति में थोड़ा भी परिवर्तन कर सकती है?

संसार के स्वतन्त्र राष्ट्र अर्थात् संसार की गोरा जातियाँ एशिया वालों को अपने अधीन रखने के लिए कितनी धूर्तता करती हैं, एशिया को अपने पैरों के बल खड़ा होने देने में किस तरह एकमत होकर रोड़े अटकाया करती हैं, इसका पता मिलार्ड के इन शब्दों से अच्छी तरह चलता है:—

"चीन में शस्त्रास्त्र न भेजने के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका एक कारण यह है कि इससे देश के अभ्यन्तरीन कलह और लूट आदि में उत्तेजना मिलती है। दूसरी तरफ़ इस स्थिति से जो बैर-विरोध उत्पन्न होते हैं और लड़ाइयों में प्राच्य को अपने अधिकारों की स्थापना का अवसर मिल सकता है, इससे गोरों के आधिपत्य विस्तार में बाधा पड़ती है।"

बात यह है कि अभ्यन्तरीन कलह और लूट-पाट से चीन को बचाने के बहाने वहाँ अस्त्र-शस्त्र नहीं भेजना चाहिए, अन्यथा चीन वाले अस्त्र-शस्त्र का व्यवहार सीख कर गोरों को कभी अपने देश से निकाल बाहर कर देंगे। मतलब यह ठहरा कि एशिया को गोरों की ज़मींदारी बनाए रखने के लिए, सभी उचित एवं अनुचित साधनों से काम लेना चाहिए। ऐसी तो गोरों की कलुषित मनोवृत्ति है। मिलार्ड कहता है कि चीन में अकाल के समय एक बार जब सहायता के प्रबन्ध का विचार हो रहा था, तब सभा में एक अनुभवी अङ्गरेज़ सज्जन कह उठे—"इसकी क्या ज़रूरत है, इनका मर जाना ही अच्छा है।" यही तो अङ्गरेज़ों का मनुष्यत्व और उनकी सभ्यता है! ऐसी कलुषित मनोवृत्ति पर टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है।

गोरी जातियों के आधिपत्य के प्रति एशियावासियों का जो सङ्कल्प है—और जिस दृढ़ता से वे विदेशियों के हस्तक्षेप को दूर करना चाहते हैं, उसका थोड़ा-बहुत अनुमान अपटौन क्लोज़ के निम्न-लिखित अवतरण (एशिया की क्रान्ति) से हो सकता है:—

"एशिया की जातियों ने गोरों से डरना छोड़ दिया और अपने कार्यक्रम को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ा रही हैं। विघ्न-बाधाएँ अब उन्हें रोक नहीं सकतीं। इउजेन चेन कहता है कि 'सारे विदेशियों के विरुद्ध ज़ोरों से भड़की हुई क्रोधाग्नि के मारे हमारा देश धधक उठा है। अब की बार चीन को विदेशियों के अस्त्र-शस्त्र का बिल्कुल डर नहीं है। जब विदेशी राष्ट्र हमारे पास समझौते के लिए आवें, तब उन्हें अपने पुराने ख़्यालात को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि चीन एक शान्तिप्रिय देश है और इस कारण वह चापलूसी अथवा घुड़की के फेर में पड़ जायगा। किसी तरह का समझौता तब तक नहीं हो सकता, जब तक विदेशी पहले यह नहीं मान लेते कि हमारे देश में उनका कभी भी कोई अधिकार नहीं था और उनके जो कुछ भी स्वार्थ यहाँ हैं, वे सभी दबाव से प्राप्त किए गए थे और हम लोग भी अपनी तरफ़ से उन सभी सुविधाओं के औचित्य को मान लेंगे, जिन्हें हमारे कायर अथवा निस्सहाय पूर्व पुरुषों ने मञ्ज़ूर किए थे। तभी इस औचित्य का निस्तार न्याय में हो सकता है।'"

एशिया के भिन्न-भिन्न देश, जो गोरों के अधीन रहते-रहते ऊब गए हैं, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। मिलार्ड ने अपने "कॉनफ्लिक्ट ऑफ़ पॉलिसीज़ इन एशिया" में लिखा है—

"एशिया में जो कुछ हो रहा है, उसको स्थूल दृष्टि से देखने पर भी मालूम हो जाता है कि पश्चिमी शासन के विरुद्ध क्रान्ति जैसी कोई चीज़ पूर्वी लोगों के अन्दर सञ्चारित हो रही है। किसी देश में तो यह माँग पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए है, दूसरी जगहों में, जैसे कि चीन में, यह माँग राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं अखण्डता के लिए है, फिर जैसे कि भारत में यह माँग साम्राज्य-शासन (Imperial Federation) की अधीनता में स्वायत्त-शासन के लिए है, दूसरे-दूसरे स्थानों में, जो छोटे-छोटे और अधीनस्थ स्थल-समूह हैं, यह माँग अस्पष्ट आत्म-विकास (Self-expression) ही तक सीमाबद्ध है। और उस राष्ट्र के विषय में जो पाश्चात्य राजनीतिक प्रवेश को रोकने में समर्थ हुआ है, जैसे कि जापान, यह माँग, प्राच्यवालों के साथ, पाश्चात्य देशों में जो व्यवहार होता है, उसको बदलने के लिए, आग्रह के सम्बन्ध में है।"

इस प्रकार हम एशियावासी पराधीनता रूपी दुःख से किसी न किसी प्रकार दुखी हैं। हमारे लिए निहायत ज़रूरी है कि हम सभी एकता के स्वर्ण-सूत्र में बँध जाएँ और अपनी खोई हुई आज़ादी को, कन्धे से कन्धा मिला कर प्राप्त करें। "एशिया की क्रान्ति" में महात्मा गाँधी के ये वाक्य भी अपटौन क्लोज़ ने उद्धृत किए हैं:—

"मुझे विश्वास नहीं है कि मैं चीन वालों को इस बात की प्रतीति करा सकता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता के उपद्रव के विरुद्ध क्रान्ति के लिए पशु-बल को सब से अच्छा उपाय समझना उन्हें छोड़ देना चाहिए। परन्तु कम से कम मैं उन्हें उस उपाय को अच्छी तरह से समझा दे सकता हूँ, जिसे हमने भारत में सफल पाया है। उनसे यह बतलाने के लिए, भारतीय होने के नाते, मैं कम से कम इतना कर सकता हूँ कि हम लोगों का कार्य सामान्य है और अपने विद्रोह के अस्त्रागार में हमें उन सब साधनों को सम्मिलित कर लेना चाहिए, जो सभी एशियाई जातियों के मिश्रित लाभ के ख़्याल से, एशिया की स्वाधीनता के उद्देश्य की ओर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।"

महात्मा जी चीनियों तथा अन्य एशियावासियों से कहते हैं कि हम सभी यूरोप की मातहती में दुःख भोग रहे हैं। इसलिए यूरोप की अधीनता से मुक्त होना हमारा प्रधान कर्तव्य है। अतः हम लोगों को चाहिए कि मिल कर उन सभी अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करें जो एक वा दूसरे देश में सफलता हासिल करने के लिए व्यवहार में लाए गए हैं। सारांश यह है कि जब एशिया के अन्यान्य देश हिंसात्मक अस्त्रों के द्वारा, अपने जन्म-सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने में लगे हैं, तब भारत अहिंसात्मक शस्त्र के द्वारा ही सफलता प्राप्त करने पर तुला हुआ है, और इसे सफलता भी मिली है। अतएव चीनियों एवं अन्य एशियावासियों को चाहिए

उद्गार

[श्री० रमाशङ्कर जैतली 'विश्व', बी० एस्-सी०]

(दीवाने 'मख़फ़ी'* की एक रुबाई का छायानुवाद)

कर्तव्य पूर्ण कर अपना,
भर दे न मयङ्की प्याला।
रवि सम दैदीप्य सुनहरी,
हाँ, हाँ, उड़ेल दे हाला।
मेघों के गर्भों से ज्यों,
बहती प्रिय प्रभा सुनहली।
प्रातः समीर झोंकों में,
जब जग करता रँगरेली।
हाँ उसी तरह मेघों सा
धुँधला पैमाना तेरा—
मदिरा से भर दे साक़ी
ऊपर तक सागर मेरा।
मेरे अबोध मानस को,
देखो पीड़ा में घुलते।
आँसू में परवर्तित हो,
पलकों में से यों बहते।
पर कौन जान सकता है,
क्षण में कब क्या हो जावे?
अति दुदृढ़ नींव इस जग की
क्या जाने कब हिल जावे।

*मख़फ़ी=छिपा हुआ। मुग़ल बादशाह औरङ्गज़ेब की पुत्री ज़ेबुन्निसा फ़ारसी की एक अच्छी कवि हुई है। उसका दीवान कोमल पदावली के लिए विख्यात है। औरङ्गज़ेब के भय के कारण उसने अपना उपनाम 'मख़फ़ी' अर्थात् छिपा हुआ रक्खा था। साहित्य और गायन से औरङ्गज़ेब को बहुत चिढ़ थी। —कवि

कि वे अपने हिंसात्मक अस्त्रागार में अहिंसा-रूपी अस्त्र को भी स्थान दें और उसका प्रयोग करें।

गत यूरोपीय महायुद्ध के कारण एशिया अथवा सारे संसार की राजनीतिक परिस्थिति में जो कुछ उलट-पुलट हुआ है, उसकी आलोचना करते हुए अपटौन क्लोज़ अपनी "एशिया की क्रान्ति" नाम की पुस्तक में लिखता है—

"तब महायुद्ध का आगमन हुआ, जिसने इस परिस्थिति (पाश्चात्य शक्ति) पर दो तरह से मर्म-स्पर्शी प्रभाव डाला। पहली बात यह हुई कि यूरोप की सभी शक्तियाँ बेतरह कमज़ोर पड़ गईं और दूसरी यह कि पाश्चात्य राष्ट्र-समूह से रूस निकाल बाहर कर दिया गया। और अन्त में जान-बूझ कर एशिया के साथ सम्मिलित होने के लिए उसे एशिया में आना पड़ा।"

रूस के एशिया में आ मिलने के नतीजे के विषय में यही लेखक लिखता है—

"………किन्तु उसको (इतिहासज्ञ को) इस बात से विशेष दुःख होगा कि रूस को एशिया से निकाल बाहर कर देने से जातियों तथा महादेशों की शक्ति-तुला (Balance of power) में बिलकुल परिवर्तन हो गया है, और 'गोरे आदमी के संसार का अन्त' आ गया है।" महायुद्ध के कारण रूस के अन्त-रङ्ग और बहिरङ्ग दोनों ही परिस्थितियों में क्रान्ति हो गई। स्वेच्छाचारी ज़ार के शासन का अन्त हुआ और देश में लोकमत का शासन आरम्भ हुआ। उधर निर्बल जातियों के अपने स्वत्वों के अपहरण करने में रूस यूरोप का सहायक बना चलता था, सो अब वैसी बात नहीं रही। वहाँ से निकाले जाने के कारण उसे एशिया का पक्ष लेना पड़ा और आज एशिया के पराधीन देशों की आज़ादी को प्राप्त कराने में रूस भी तहेदिल से ज़ोर लगा रहा है। यूरोप की शक्ति तो साफ़ ही साफ़ घट चली और ये गोरे बेचारे, जो सारे संसार को गोरों का जायदाद बना डालने का स्वप्न देख रहे थे, उसका सहसा अन्त भी हो गया।

एशिया के अभ्युत्थान का क्या फल हो सकता है, इस बारे में लेखक लिखता है—

"संसार के इतिहास में एशिया के उत्थान का यह स्पष्ट परिणाम है कि 'संसार का केन्द्र' अटलाण्टिक महासागर से सरक कर पैसिफ़िक (प्रशान्त) महासागर में चला आवेगा।………इसका मतलब यह है कि साम्राज्य का अन्त और नए युग का आगमन होगा। जब प्रत्येक जाति अपने-अपने घरेलू विषयों पर पूर्ण अधिकार रक्खेंगी और अखिल मानव जाति से सम्बन्ध रखने वाले विषयों में समान रूप से बोल सकेंगी।" और तभी तो संसार की प्रत्येक जाति सुख की निद्रा ले सकेगी। मानव जाति का प्रत्येक शुभेच्छु ऐसे 'राम-राज्य' का हृदय से स्वागत करेगा।

फ़िलीपाइन-द्वीप में अमेरिका के संयुक्त-राज्य का शासन है। फ़िलीपाइन के रहने वाले भी आज़ादी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। परन्तु स्वातन्त्र्यप्रिय अमेरिका एशिया से अपना प्रेम इतनी जल्द कैसे छिन्न कर दे? मतलब यह ठहरा कि द्वीप हो अथवा देश हो—एशिया के सभी स्थान विदेशियों के पैरों के नीचे हैं। फ़िलीपाइन का वर्णन "एशिया की क्रान्ति" में इस प्रकार किया गया है—

"फ़िलीपाइन का स्वतन्त्रता-आन्दोलन अब इने-गिने नेताओं का हो-हल्ला नहीं रह गया, वरन् उस अवस्था को पार कर, रॉक्सेज़ के कथनानुसार, 'शान्ति-मय-क्रान्ति' में पहुँच गया है, जिसका एक उद्देश्य तो राष्ट्र का निर्माण और फिर पूर्ण स्वाधीनता तथा अपने भाग्य-निर्णय का अधिकार प्राप्त करना है।" इस तरह फ़िलीपाइन के दिन भी आज़ादी की लड़ाई में व्यतीत हो रहे हैं।

तूफ़ानी ग़ज़ल

[नाख़ुदाय-सख़ुन हज़रत 'नूह' नारवी]

तेरी तुन्दख़ोई[1] तेरी कीनाजोई,[2]
तेरी कजअदाई[3] तेरी बेवफ़ाई।
बला है, सितम है, ग़ज़ब है, क़यामत,
दोहाई, दोहाई, दोहाई, दोहाई!
उधर पास चिलमन के मौजूद थे वह,
इधर थे परेशान उनके फ़िदाई।
रहा शामो शोख़ो का दिलकश[4] तमाशा,
न जलवा दिखाया, न सूरत छुपाई।
मरम खुल गया, इससे अय्यारियों का,
खुला राज़ भी इससे मक्कारियों का।
चुराया था तुमने अगर दिल हमारा,
तो दिल को चुरा कर नज़र क्यों चुराई?
तेरी नाख़ुशी, और मेरी ख़ुशामद,
तेरा रूठना, और मेरा मनाना।
तबीयत न आती, तो शामत न आती,
तबीयत जो आई, तो शामत भी आई।
जो कहता हूँ मैं रक्खो ग़म से रिहा कर,
रिहा कर, रिहा कर, रिहा कर, रिहा कर।
तो कहता है वह भी न दूँगा, न दूँगा,
न दूँगा, न दूँगा, न दूँगा रिहाई!!
जहाँ में बशर[5] इनसे हो बेतअल्लुक़,
कोई मान ले, हम न मानेंगे इसका,
कि चारों तरफ़ हैं, यही चार चीज़ें,
मुहब्बत, अदावत, भलाई, बुराई!
जिन्हें ऐशोराहत[6] का अरमान होगा,
उन्हें ऐशोराहत का अरमान होगा।
तुम्हारी मुहब्बत में हमने बला से,

यह पाया न पाया, वह पाई न पाई।
यह बर्ताव क्या है, यह अतवार[7] क्या है?
ज़रा आप सोचें, ज़रा आप समझें।
हमीं पर किसी रोज़ चश्मे-इनायत[8],
हमीं से किसी वक़्त बे ऐतनाई[9]।
बहार आप मुज़्दा[10] मसर्रत[11] का लेकर,
धुआँधार उट्ठे फ़लक[12] पर घटाएँ।
इधर जाम छलके, उधर तोबा टूटे,
बहम ज़ाहदी[13] रिन्दों में हो हाथापाई।
किसी को रुलाओ, किसी को जगाओ,
किसी को सताओ, किसी को मिटाओ।
ख़ुदाई[14] का ग़म क्या, ज़माने का डर क्या,
तुम्हारा ज़माना, तुम्हारी ख़ुदाई!
हज़ारों बखेड़े, हज़ारों झमेले,
हज़ारों तवोहम[15] हज़ारों तरद्दुद।
मगर आप आएँ तो मेहमान रख लूँ,
मेरे दिल में अब भी है इतनी समाई।
छुपाना था इश्क़ो मुहब्बत को दिल में,
न करना था इश्क़ो मुहब्बत की चर्चा।
हमीं से हुई चूक बेशक हमीं से,
हमीं ने बताया, हमीं ने जताई।
यह अन्धेर-खाता, यह कफ़राने नेअमत[16]
ज़माने को ऐ "नूह" क्या हो गया है?
ख़ुदा के करम से तो डूबे न बेड़ा,
मगर पाप ग़ुहरत मेरी नाख़ुदाई[17]।

१—तेज़ी, २—मैल रखना, ३—टेढ़ापन, ४—दिल खींचने वाला, ५—आदमी, ६—आनन्द, ७—तरीक़े ८—कृपा-दृष्टि, ९—बेपरवाई, १०—ख़ुशख़बरी, ११—आनन्द, १२—आकाश, १३—परहेज़गार और शराबी, १४—संसार, १५—शक भरे हुए भाव, १६—नाशुकरा,—१७—खेनेवाला।

फ़िलीपाइन के सीनेट-प्रेज़िडेण्ट मैनुअल क्वेसन स्वराज्य के सम्बन्ध में कहते हैं—

"हम लोग नरक की तरह अपना राज्य स्वयं करेंगे, किन्तु स्वर्ग की तरह दूसरे के द्वारा शासित नहीं होंगे।" स्वतन्त्रता की यथार्थ क़ीमत स्वतन्त्रता ही है। रुपए-पैसे, सुख-आनन्द से स्वतन्त्रता की क़ीमत लगाना उसके महत्व को धूल में मिलाना है।

सिङ्गापूर में ब्रिटिश-सरकार का जो वृहत् जहाज़ी बेड़ा स्थापित किया गया है, उसके अन्दर बहुत से गूढ़ रहस्य छिपे हैं। सिङ्गापूर की स्कीम गोरे-काले, भूरे-पीले सङ्घर्ष की भविष्यद्वाणी है। अपटौन क्लोज़ का मत है कि ग्रेट-ब्रिटेन के सिङ्गापूर के जहाज़ी बेड़े की व्यवस्था, ऐङ्ग्लो-अमेरिकन नियत को ख़ूब सरसता से प्रकट करने वाली समझी जाती है।

आगे चल कर उसने कहा है—

"यहाँ (सिङ्गापूर) सुदूर पूर्व में ग्रेट-ब्रिटेन का महान जहाज़ी बेड़ा बनने वाला है। हमें आश्चर्य होता है कि क्या पाश्चात्य के इस क़िलाबन्दी के पहले ही एशिया की क्रान्ति नहीं शुरू हो जायगी।"

सिङ्गापूर के महान जहाज़ी बेड़े का एक ही लक्ष्य हो सकता है और वह यह कि सुदूर पूर्व में ग्रेट-ब्रिटेन के बल को मज़बूत करना। उन्नतशील जापान अथवा चीन से भारत को सुरक्षित बनाए रख कर अपनी मौरूसी जायदाद क़ायम रखना ही इस आन्दोलन का मतलब है। इसके अलावा कभी भी एशिया और यूरोप के बीच सङ्घर्ष उत्पन्न होने पर यह महान जहाज़ी बेड़ा यूरोप की मदद करेगा।

एशिया का यह महान सङ्घ किसी जाति-विशेष अथवा एक देश के हित की चीज़ नहीं, वरन् यह समस्त मानव-समाज के उद्धार की औषधि है। इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि एशिया के भिन्न-भिन्न देशों एवं जातियों के अन्दर अविश्वास और स्वार्थ का भाव मौजूद है। परन्तु इस तरह के अविश्वास और स्वार्थ यूरोप के भी सभी देशों के अन्दर सदा से वर्तमान रहते आए हैं, तथापि उनके अन्दर एकता है, और 'लीग ऑफ़ नेशन्स' इसका आज भी जीता-जागता प्रमाण है। पैन-इस्लामिक स्कीम एवं जापान की साम्राज्य-वादी नीति अवश्य ही, एशियाई सङ्घ की बख़ूबी काम-याबी में विलम्ब लगा रही हैं। एशिया के सभी देशों तथा जातियों से हमारा अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन की धुन का त्याग कर एशियाई सङ्घ को शक्तिशाली बनाने में प्रमुख भाग लें। एशियाई सङ्घ के कर्मशील निर्माण में ही एशिया का उद्धार है।

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

भस्मसात बाड़मूला (काश्मीर) का रोमाञ्चकारी दृश्य

काश्मीर में होने वाले भीषण उपद्रवों के सम्बन्ध में नियुक्त की हुई जाँच-कमिटी (ग्लेन्सी-कमीशन) के प्रधान—श्री० बी० जे० ग्लेन्सी ।

ग्लेन्सी-कमीशन (काश्मीर) के मन्त्री दीवान चरञ्जीतलाल जी ।

भाई मन्सासिंह जी—जिनका सर्वस्व गुण्डों ने जला कर ख़ाक कर डाला—बेचारे राह के भिखारी बना दिए गए हैं !

पञ्जाबी नवयुवकों का एक जत्था—जिसने आग बुझाने में प्रशंसनीय कार्य किया था ।

बाड़मूला (काश्मीर) का प्रसिद्ध 'बड़ा बाज़ार' जो एकदम जला कर ख़ाक कर डाला गया है ।

बाड़मूला (काश्मीर) के हिन्दू सेवक-दल के कप्तान श्री० कृष्णलाल मेहरोत्रा—जिन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है ।

बाड़मूला (काश्मीर) के प्रसिद्ध धनवान—लाला बोधशाह—जिनकी सारी सम्पत्ति मुसलमान गुण्डों द्वारा विनष्ट कर दी गई है ।

रोते हुए एक निर्धन हिन्दू दूकानदार—जिसके जीवन की सारी सञ्चित कमाई गुण्डों ने जला कर ख़ाक कर दी ।

['भविष्य' के आगामी अङ्कों में पाठकों को काश्मीर-सम्बन्धी कुछ दुर्लभ चित्रों की प्रतीक्षा करनी चाहिए]

शिक्षा तथा सुधार के मैदान में मद्रासी बहिनों की प्रगति

कड़प्पा (मद्रास) के ज़िला शिक्षा-बोर्ड की मद्रास-गवर्नमेण्ट द्वारा मनोनीत सदस्या—श्रीमती के० एस० पार्वती अम्मल।

बेज़वाडा की तीन सुधार-प्रिय महिलाएँ। सुफ़ेद वस्त्रों से सुशोभित बैठी हुईं श्रीमती टी० राजराजेश्वर अम्मा हैं। आपके साथ की दो अन्य महिलाएँ आन्ध्र-प्रान्तीय महिला-परिषद की मन्त्रिणी हैं।

त्रिवन्नामलम् (मद्रास) की म्यूनिसिपैलिटी की गवर्नमेण्ट द्वारा नामज़द सदस्या—श्रीमती जी० टी० अरुमैनयागम।

त्रिवेन्द्रम (मद्रास) के एकाउण्टेण्ट जनरल ऑफ़िस की सेक्रेटेरियल-क्लर्क—श्रीमती टी० बी० माधवन—कहना नहीं होगा, मद्रास प्रान्त की आप सर्व-प्रथम महिला-क्लर्क हैं।

तिनावेली (मद्रास) के महिला ट्रेनिङ्ग कॉलेज की प्रधानाध्यापिका—कुमारी लीना एडविन, बी० ए०, एल्-टी०।

१९ वर्ष की आयु में संस्कृत की 'महामहोपाध्याय' की परीक्षा पास करने वाली केरल प्रान्त की महिला—कुमारी एल० भवानी अम्मा।

पल्टूर (मद्रास) की प्रथम श्रेणी की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट—श्रीमती अपैरया, बी० ए०।

महिला इण्टरमीजिएट कॉलेज, बङ्गलोर (मद्रास) की सुपरिण्टेण्डेण्ट—कुमारी ज़ेड लॉजर्स।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

श्री० चिरञ्जीलाल झा, जिन पर अजमेर में एक बम-फ़ैक्टरी खोलने और क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध रखने के सन्देह में मुक़दमा चल रहा है।

कुमारी रमाबाई डालमिया—जो पटने के सेठ रामकृष्ण डालमिया (जिन्होंने काँग्रेस को एक लाख रुपए प्रदान किए थे) की पुत्री हैं। इन्होंने बड़ी योग्यता के साथ काशी-विश्वविद्यालय से प्रवेशिका परीक्षा पास की है।

श्री० एस० आर० एस० सिनहा, बी० एस्-सी०, एल्० एल्० बी०—आप काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय की पार्लामेण्ट के प्राइम मिनिस्टर और अच्छे व्याख्याता हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य-स्मृति में—

छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म-स्थान शिवनेरी नामक क़िले पर राष्ट्रीय झण्डा फहराए जाने का मनोरञ्जक दृश्य। 'भविष्य' के इस चित्र के ऊपर वाले घेरे (inset) में पाठक कुमारी सुशील जुवेकर को देखेंगे, जिनके नेतृत्व में झण्डाभिवादन का कार्य सम्पन्न हुआ है।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

श्री० भोलासिंह—आप नागपुर के स्वयंसेवक कोर के एसिस्टेण्ट कप्तान और एक उत्साही देश-सेवक हैं। छः मास की सज़ा भी भोग चुके हैं।

श्री ब्रजलाल बिदाणी—अभी हाल में बरार प्रान्त के देवलगाँव में जो अखिल भारतीय माहेश्वरी सम्मेलन हुआ था, आप उसके सभापति थे। इसके अतिरिक्त आप एक उत्साही समाज-सुधारक और कॉङ्ग्रेस कर्मी हैं।

भारतवर्ष के समान हमारे प्रवासी भाइयों ने भी 'गाँधी-जयन्ती' जिस उत्साह से मनाया था, उसके कई महत्त्वपूर्ण दृश्य पाठक समय-समय पर देखते रहे हैं। 'भविष्य' के इस चित्र में पाठक मोम्बासा (अफ़्रीका) प्रवासी भारतवासियों के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को देखेंगे, जिनके नेतृत्व में यहाँ गाँधी-जयन्ती मनाई गई थी।

महात्मा ईसा की पुण्य-स्मृति को अक्षुण्ण रखने के अभिप्राय से निर्मित कराची का सुविशाल गिर्जाघर, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर समस्त भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित पादरी यहाँ एकत्र हुए थे।

बेख़ुदीए शौक़ में हमको पता चलता नहीं, आगे क्या हो, पहिले क्या था और अब क्या काम है।
उस तरफ़ उक़्बा इधर दुनिया का मञ्ज़र सामने, दिल में है यादे-बुताँ लब पर ख़ुदा का नाम है।

इश्क़ में मरना, वफ़ा वालों का पहला काम है,
इब्तिदा[1] हो इन्तेहा, आग़ाज़[2] ही अञ्जाम[3] है।
चैन पावें हम ज़माने में यह मुश्किल काम है,
हर नज़र पर बदज़नी,[4] हर साँस पर इल्ज़ाम है।
बेख़ुदीये शौक़ में, हमको पता चलता नहीं,
आगे क्या हो, पहले क्या था और अब क्या काम है।
मैं किसी के इश्क़ में, राहत[5] की ख़्वाहिश क्या करूँ,
चैन है बेचैन, ख़ुद आराम बेआराम है।
चार दिन की ज़िन्दगी पर, इफ़्तेख़ारे[6] ज़िन्दगी,
मेरी चलती साँस का यह एक चलता काम है।
तीरगीए[7] बख़्त[8] ने ढाई यहाँ तक आफ़त,
शाम कैसी सुबह भी मेरी नज़र में शाम है।
अपने वादे पर मेरे घर तक कभी आते नहीं,
रोज़ कह देते हो तुम यह काम है, वह काम है।
हुस्ने साक़ी दिल में भर दे बादए[9] सरजोशे इश्क़,
और सब झूठे हैं लेकिन, यह अछूता जाम[10] है।
मैं मुहब्बत भी करूँ, तर्के मुहब्बत भी करूँ,
एक मुश्किल काम यह एक सख़्त मुश्किल काम है।
क्या तुझे कह कर पुकारूँ, मुझसे यह कैसा सवाल?
तुम जो मेरा नाम रख दो, बस वह मेरा नाम है,
सबको पाया हमने शाकी[11] इश्क़ में तक़दीर का,
मुद्दआ[12] मायूस[13] है अरमान भी नाकाम है।
नज़आ[14] में गुज़री हुई बेचैनियों का ग़म नहीं,
हश्र[15] के दिन तक बस अब आराम ही आराम है।
पासबाँ[16] से इस तरह मुझको इजाज़त मिल गई,
कह दिया मैंने, उन्हीं का एक ज़रूरी काम है।
मैं वफ़ूरे[17] ज़ोफ़ से करवट बदल सकता नहीं,
वह समझते हैं मरीज़े इश्क़ को आराम है।
जान कर उस शोख़ का अनजान बनना देखिए,
"नूह" से यह पूछना क्या "नूह" तेरा नाम है।

—"नूह" नारवी

फ़िक्रे मीना[18] क्यों है साक़ी क्यों तलाशे जाम है,
तू लगा दे मुँह से ख़ुम[19] पीना हमारा काम है।
मुझसे रौशन इन दिनों दैरो[20] हरम[21] का नाम है,
पाए बुत[22] पर है जबीं[23] लब पर ख़ुदा का नाम है।
जिनको पैग़ामे सितम[24] ख़ाली अजल[25] का काम है,
उनसे पूछे कोई इस दुनिया में क्या आराम है।

1—शुरू, 2—शुरू, 3—अन्त, 4—बुरे ख़्याल, 5—आराम, 6—घमण्ड, 7—अँधेरा, 8—तक़दीर, 9—मस्त करने वाली शराब, 10—प्याला, 11—शिकायत करने वाला, 12—मतलब, 13—निराश, 14—अन्तिम समय, 15—प्रलय, 16—चौकीदार, 17—बहुत ही कमज़ोर, 18—शीशा, 19—घड़ा, 20—मन्दिर, 21—काबा, 22—मूर्ति, 23—माथा, 24—ज़ुल्म, 25—मौत,

आशिक़ों का और रिन्दों[26] का हुजूमे आम है,
है गुनहगारों का मेला, हश्र जिसका नाम है।
सुबह को शबनम के मोती बाग़ में चोरी गए,
फूल किरनों से यह कहते हैं, तुम्हारा काम है।
देखना है हुस्न के जलवे तो बुतख़ाने में आ,
तेरे काबे में तो बस वायज़[27] ख़ुदा का नाम है।
हो गया हूँ सारी दुनिया के गुनाहों में शरीक,
जबसे मैंने यह सुना है उसकी रहमत[28] आम[29] है!
नशा में आज़ाद बैठा हूँ जहाँ की फ़िक्र से,
गर्दिशे साग़र पे सदक़े[30] गर्दिशे अय्याम[31] है।

अब हमको आबो-दाना क़फ़स में हराम है।

[महाकवि "दाग़" देहलवी]

हर मरतबा ज़बान पे दुश्मन का नाम है,
क्या यह कलाम[1] आपका तकिया-कलाम है!
क्या दिलदेही[2] के साथ जवाबे-पयाम है,
ऐ नामाबर[3] तुझे तो हमारा सलाम है।
झूठी पिऊँ रक़ीब[4] की, मुझको हराम है;
साक़ी के हाथ में तो फ़क़त एक जाम[5] है।
तुम उस पे शेफ़ता[6] हो, तो मैं भी फ़रेफ़्ता,
तुम से गरज़ नहीं, मुझे दुश्मन से काम है।
मैं उम्र भर सुनाऊँ तुम्हें अपनी दास्ताँ,[7]
पूछो अगर तो फिर यह कहें ना-तमाम है।
सय्याद[8] ने रिहा न किया अब के साल भी,
अब हमको आबोदाना क़फ़स[9] में हराम है।
आते ही क्यों पयाम है जाने का जाइए,
गर आपको है काम, तो मुझको भी काम है।
कहते हैं किसको "दाग़" यह क्या आपने कहा,
ले दिल में चुटकियाँ यह उसी का कलाम[10] है।

1—वाक्य, 2—हमदर्दी, 3—डाकिया, 4—दुश्मन 5—प्याला, 6—आशिक़, 7—कहानी, 8—घातक, 9—पिंजड़ा, 10—कविता।

तेरे दिल में और मेरे दिल में है वायज़ यह फ़र्क़,
वह चराग़े-सुबह है, और यह चराग़े-शाम है।
ले उड़ेगा नशये मय[32] आज रिन्दों को ज़रूर,
एक परी शीशे में है, या बादए गुलफ़ाम[33] है।
लुत्फ़े आज़ादी या जिनसे चल बसे वह हम-सफ़ीर[34]
अब चमन की सुबह भी मुझको क़फ़स[35] की शाम
कुफ़्र[36] है उसकी शिकायत जिसने दिल पैदा किया
दिल से जो पैदा हुई, वह आरज़ू बदनाम है।

26—शराबी लोग, 27—नसीहत करने वाला, 28—कृपा, 29—सब पर, 30—निछावर, 31—संसार-चक्र, 32—शराब, 33—लाल रङ्ग की शराब, 34—साथी, 35—पिंजड़ा, 36—ऐब,

शर्त है पीकर मुकरना पारसाई[37] के लिए,
जो सरे-बाज़ार पीता है, वही बदनाम है।
मेरे मज़हब में है वायज़ तर्के मैनोशी[38] हराम,
छोड़ कर पीता हूँ फिर तोबा उसी का नाम है।
लुत्फ़े[39] शाही की तमन्ना ग़ैर के दिल में रहे,
हम फ़क़ीरों ही से ज़िन्दा लखनऊ का नाम है।
फ़िक्रे दुनियाए दनी[40] है दुश्मने फ़िक्रे सख़ुन[41],
इस कशाकश[42] में ग़ज़ल कहना हमारा काम है।

—"चकबस्त" लखनवी

ख़ाक होकर ख़ाक में मिलने का यह अञ्जाम[43] है,
सो रहा हूँ चैन से, अब क़ब्र में आराम है।
किन बलाओं में फँसा मेरा दिले-नाकाम है,
गर्दिशे तक़दीर है, फिर गर्दिशे अय्याम है।
बायसे[44] ग़म दिलरुबा[45] है या दिले नाकाम है,
आस्माँ कहते हैं जिसको, मुफ़्त में बदनाम है!
और क्या है बस यही शग़ले दिले नाकाम है,
रात-दिन नाले हैं तो फ़रियाद सुबहो-शाम है।
पहले मैंने दिल दिया, फिर मैंने अपनी जान दी,
यह है आग़ाज़े-मुहब्बत, और यह अञ्जाम है!!
उस तरफ़ उक़बा[46] इधर दुनिया का मञ्ज़र सामने,
दिल में है यादे बुताँ लब पर ख़ुदा का नाम है।
मुझसे आग़ाज़े मुहब्बत में यह कहता है कोई,
कुछ ख़बर भी है तुम्हें क्या इश्क़ का अञ्जाम है?
हर घड़ी ज़ुल्मो सितम करने का निकला यह मआल[47],
ख़ल्क़[48] में बदनाम अब मैं हूँ, कि तू बदनाम है?
चीर कर पहलू कभी पहलू में आकर देखिए,
सीनए पुरदाग़[49] मेरा मख़ज़ने[50] आलाम[51] है।
एक है तक़दीर उसकी, एक है मेरा नसीब,
मुझको तुमसे काम है, तुमको उदू[52] से काम है,
मुझको समझाते हैं यह कह कर वह ज़िक्रे-ग़ैर पर,
उससे हम मिलते नहीं तुम को ख़याले ख़ाम[53] है।
मैकदे[54] में हज़रते ज़ाहिद कहाँ रक्खें क़दम,
हर तरफ़ मीना है, साग़र[55] है, सुबू[56] है, जाम है।
हम जो आए हैं ज़माने में तो जाने के लिए,
ज़िन्दगी ही ख़ुद हमारी मौत का पैग़ाम है।
दिल तड़प जाता है उसका जब वह सुनता है इसे,
हज़रते "बिस्मिल" तुम्हारा नाम भी, क्या नाम है!

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

37—परहेज़गारी, 38—शराब पीना छोड़ देना, 39—बादशाही का आनन्द, 40—कमीनी दुनिया, 41—कविता करना, 42—खींचातानी, 43—नतीजा, 44—सबब, 45—माशूक़, 46—परलोक, 47—नतीजा, 48—संसार, 49—दाग़ों से भरा हुआ 50—ख़ज़ाना, 51—दुःख, 52—दुश्मन, 53—धोका, 54—शराब, 55—प्याला, 56—मटका।

❀ ❀ ❀

भविष्य

विलायत की कुछ बातें

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

इङ्गलैण्ड के राजनैतिक दल

जकल भारतवर्ष और इङ्गलैण्ड के राजनैतिक सम्बन्ध के विषय में बहुत कुछ हो रहा है। कहीं कॉन्फ्रेन्स हो रही है, कहीं व्याख्यान हो रहे हैं, कहीं लेख लिखे जा रहे हैं। कभी हम पढ़ते हैं कि चर्चिल ने भारत के सम्बन्ध में अमुक बातें कही हैं, कभी हम सुनते हैं कि लान्सबरी ने भारत के सम्बन्ध में अमुक विचार प्रगट किए हैं। ऐसे समय प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि इङ्गलैण्ड की राजनीति तथा राजनैतिक दलों के विषय में कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करे। इङ्गलैण्ड में वहाँ के पत्र तथा नेता अपने देश वालों को भारत के सम्बन्ध की बातें बताने के लिए अनेक उपाय काम में लाते हैं। हम यहाँ पर उन उपायों का उल्लेख न करेंगे; क्योंकि वह तो एक स्वतन्त्र लेख का विषय है, जिसके विषय में कुछ बातें हम पाठकों को किसी आगामी अङ्क में बताएँगे। इस लेख में तो उन बातों का ही उल्लेख होगा, जो हमारे देशवासियों के जानने योग्य हैं।

यह सभी पाठकों को शायद विदित है कि आजकल इङ्गलैण्ड में राष्ट्रीय सरकार (National Government) राज्य कर रही है। परन्तु यह तो कुछ ही दिनों की बात है। इसके पूर्व इङ्गलैण्ड की पार्लामेण्ट में मुख्य तीन पार्टियाँ थीं; मज़दूर-दल या साम्यवादी दल, जिसके नेता मि० रैमज़े मैकडॉनल्ड थे; उदार-दल (Liberal Party), जिसके नेता मि० लॉयड जॉर्ज थे; तथा अनुदार दल (Conservative and Unionist Party), जिसके नेता मि० बॉल्डविन थे।

यहाँ पर पाठकों को इन तीनों दलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ बता देना असङ्गत न होगा। प्राचीन काल में, जब इङ्गलैण्ड का बादशाह एकतन्त्र शासन किया करता था और वहाँ पर कोई पार्लामेण्ट नहीं थी, तो राजनैतिक दलों की भी आवश्यकता न थी। राजनैतिक दलों की उत्पत्ति उस समय हुई, जब अङ्गरेज़ी प्रजा को अपने बादशाह से कुछ अधिकार प्राप्त हुए और बादशाह की पार्लामेण्ट में प्रजा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भी बैठने लगे। इस प्रकार पार्लामेण्ट के सदस्यों के दो दल हो गए। एक दल में तो वे थे, जो सरकारी पक्ष के थे; दूसरे दल में वे थे, जो प्रजा-पक्ष के थे, और जो समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज-पक्ष के दल का विरोध करते थे। उन दिनों राज-पक्ष के दल का नाम 'टोरी पार्टी' (Tory Party) था तथा प्रजा-पक्ष के दल का 'ह्विग पार्टी' (Whig Party)। यह घटना लगभग सन् १६८८ ईसवी की है, जबकि इङ्गलैण्ड का शासक विलियम था।

'ह्विग' तथा 'टोरी' शब्दों के वास्तविक अर्थ भी बड़े मनोरञ्जक हैं। 'टोरी' का अर्थ है Irish Ruffians (आयर्लैण्ड के गुण्डे) तथा 'ह्विग' का अर्थ है Sour Scotch Fanatics (स्कॉटलैण्ड के मतवाले)। यह कहना सरल नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग इन दोनों दलों के लिए क्यों हुआ। परन्तु इन पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि उन दिनों भी राज-पक्ष के लोगों को किस दृष्टि से देखा जाता था और प्रजा-पक्ष के दल को किस दृष्टि से।

आजकल के जितने दल हैं, उन सब की उत्पत्ति उपरिलिखित दोनों दलों से हुई है। जब सर रॉबर्ट पील अङ्गरेज़ी सरकार के प्रमुख थे, उस समय से 'टोरी पार्टी' का नाम 'कन्ज़रवेटिव पार्टी' (Conservative Party) पड़ गया। तब से अब तक यही नाम अनुदार दल के लोगों को दिया जाता है। इस नाम की उत्पत्ति से पूर्व पार्लामेण्ट में राजभक्त दल रहता था। जब इङ्गलैण्ड में 'कैबिनेट गवर्नमेण्ट' (Cabinet Government) की प्रणाली प्रचलित हुई, तो कोई भी दल राजा का दल नहीं रहा। तब से दलबन्दी राजनैतिक सिद्धान्तों के आधार पर होने लगी। जो पुराने विचारों को छोड़ने के लिए सहज ही तैयार नहीं होते थे, वे कन्ज़रवेटिव कहलाए। कुछ समय पूर्व स्कॉटलैण्ड के अनुदार दल वालों ने अपना एक दल 'यूनियनिस्ट पार्टी' के नाम से बनाया था। परन्तु फिर अनुदार दल की ये दोनों पार्टियाँ मिल गईं और तब से इस पार्टी का पूरा नाम 'दी कन्ज़रवेटिव एण्ड यूनियनिस्ट पार्टी' (The Conservative and Unionist Party) पड़ गया है।

'ह्विग' लोगों ने भी इसी प्रकार कई बार अपनी केंचुल बदली है। कुछ समय तक यह 'मॉडरेट पार्टी' (Moderates) के नाम से जाने जाते थे, फिर 'लिबरल' (Liberals) कहलाने लगे। अब तक इनकी पार्टी का यही नाम चला आ रहा है।

मज़दूर-दल (Labour or Socialist Party) अङ्गरेज़ी राजनीति में एक नया दल है। सन् १८७१ ईसवी में ट्रेड-यूनियन ऐक्ट के पास होने पर मज़दूर आन्दोलन कुछ जड़ पकड़ गया था। सन् १८६७ तथा १८८४ के सुधार-बिलों (Reform Acts) ने मज़दूरों को भी वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया। सन् १८७४ में दो कोयले की खानों के मज़दूर एलेक मैकडॉनल्ड तथा टॉमस बर्ट पार्लामेण्ट के सदस्य चुने गए। सन् १८८६ में स्कॉटलैण्ड के स्वतन्त्र मज़दूर-दल (Independent Labour Party) के प्रवर्तक मि० केरहार्डी चुनाव के लिए खड़े हुए, परन्तु सफल न हो सके। मज़दूर नेताओं में से जो पार्लामेण्ट के सदस्य हो सके थे, वे अनुदार दल से तो मिल ही नहीं सकते थे, क्योंकि अनुदार दल के व्यक्ति पूँजी के पुजारी थे। वे उदार दल में इसलिए सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि उस समय के उदार-दल के प्रमुख मि० ग्लैडस्टन से उनकी पटी नहीं। इन कारणों से उन्होंने एक स्वतन्त्र दल की रचना की और उसी दल का नाम 'मज़दूर-दल' था। धीरे-धीरे इस दल का बल बढ़ता ही गया। सन् १६०० के चुनाव में केरहार्डी, मैकडॉनल्ड, स्नोडन आदि मज़दूरों के नेता पार्लामेण्ट के सदस्य निर्वाचित हो गए। सन् १६०६ के चुनाव में मज़दूर-दल के ३० प्रतिनिधि पार्लामेण्ट के सदस्य चुने गए थे।

प्रारम्भ में तो टोरी तथा अनुदार-दल के पास ही राज्य की शक्ति रही, परन्तु पीछे से पलड़ा पलटा और शक्ति उदार-दल के हाथ में आ गई। यूरोपीय महायुद्ध के समय सारे दलों ने मिल कर अपनी सरकार बनाई थी (Coalition Government), जिसके प्रधान-मन्त्री मि० लॉयड जॉर्ज थे। लॉयड जॉर्ज का शासन लौह-शासन कहा जाता है। उन्होंने राजनैतिक चालों से उस समय इङ्गलैण्ड को बचा लिया, परन्तु पीछे से वे अपने दल को न बचा सके। धीरे-धीरे उदार-दल की प्रसिद्धि कम होती गई और अनेकों सदस्यों ने अनुदारदल या मज़दूर-दल से सम्बन्ध जोड़ लिया। भूतपूर्व भारत-मन्त्री कैप्टेन वैजवुड बेन पहले उदार-दल में थे, अब वही मज़दूर-दल की शोभा बढ़ा रहे हैं।

उदार दल के इस पतन के कारण राज-शक्ति के लिए दो दल रस्साकशी के लिए बाक़ी रह गए—मज़दूर-दल तथा अनुदार दल। सन् १६२४ में मज़दूर-दल का पलड़ा भारी हो ही गया और उदार दल की सहायता से इसने अपनी पहली गवर्नमेण्ट बनाई, जिसके प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड हुए। परन्तु यह गवर्नमेण्ट अधिक काल तक न चल सकी और अनुदार दल ने उन्हें पञ्च-वर्षीय चुनाव में बुरी तरह हराया। पाँच वर्ष तक अनुदार दल की तूती निष्कण्टक रूप से बोलती रही। अन्त में फिर पाँच वर्ष के बाद मज़दूर-दल की विजय हुई।

जिस चुनाव में मज़दूर-दल को विजय हुई थी, उस समय मैं विलायत में ही था। चुनाव के बड़े विशाल आयोजन हो रहे थे। चारों ओर प्रत्येक दल की सभाएँ होती थीं। उस समय सारे दलों के मुखों पर एक बात थी—बेकारी। प्रत्येक दल ने देश से बेकारी को भगाने के अपने उपाय जनता के सामने रक्खे थे। उनमें अपने सिद्धान्तों को ही नहीं रक्खा जाता था, बल्कि दूसरे दलों के सिद्धान्तों को गालियाँ भी ख़ूब दी जाती थीं। एक अनुदार दल के प्रतिनिधि ने छपवाया था :—

The Unionist party stand for the cause of world peace, national unity, Empire friendship etc. The Socialist party would destroy prosperity and degrade a first class Empire to a third class state. The supreme question at issue is to fight and conquer the blight, the folly and the stupidity of socialism.

अर्थात्—अनुदार दल का ध्येय है विश्व-शान्ति, राष्ट्रीय ऐक्य, साम्राज्य-मैत्री आदि। मज़दूर-दल सुख-समृद्धि को नष्ट कर देगा और प्रथम श्रेणी के साम्राज्य को तृतीय श्रेणी के राज्य में परिणत कर देगा। हमें साम्यवाद की मूर्खता के साथ युद्ध करना है।

इससे भी बुरे प्रहार एक-दूसरे के ऊपर किए जाते थे, जिनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं। इसके अतिरिक्त प्रचार के साधन भी अद्भुत होते हैं। जिस चुनाव का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसी के अवसर पर एडिनबरा में मि० लॉयड जॉर्ज का भाषण हुआ था। जिस हॉल में वह भाषण हुआ था, उसमें रेडियो का एक यन्त्र लगाया गया था, जिसके द्वारा मि० लॉयड जॉर्ज का भाषण एक ही साथ २३ नगरों में सुना गया था।

यही नहीं, प्रत्येक दल वाले अपने-अपने दल के गीत बनाते हैं और अपनी सभाओं में, जुलूसों में तथा अन्य अवसरों पर गाते हैं। ये गीत युद्ध-गीतों की भाँति होते हैं और इन्हें ये लोग 'Marching Songs' कहते हैं। पाठकों के मनोरञ्जनार्थ Liberal March Song (उदार दल का युद्ध-गीत) यहाँ दिया जाता है—

Liberals all, now rise to action,
Rise to fight the foe Re-action!
Through their ranks now spread
distraction,

Scatter all their bands!
Think of victories won already,
Keep your ranks all firm and steady,
Keep your swords all sharp and ready,
Ready to your hands,

अर्थात्—ओ उदार दल वालो, उठ कर कार्य करो। प्रतिक्रिया रूपी शत्रु से युद्ध करो। शत्रुओं की सेना में फूट डाल दो, और उन्हें छिन्न-भिन्न कर दो। अपनी सेना को दृढ़ बनाओ, अपनी कृपाणों को तीक्ष्ण और तैयार रक्खो—अपने करों में तैयार!

इसी प्रकार उदार-दल वालों ने मि० स्टेनली बॉल्डविन के प्रति एक गीत रचा था, जिसका एक अंश यहाँ दिया जाता है—

Don't you think it's time
You went, Stanley Boy, Stanley Boy?
Don't you think it' time you
Went, me Stanley Boy?
You'll be happier making sauce
Among your worcestor lads, of course.

इस गीत में मि० स्टेनली बॉल्डविन के प्रति व्यङ्ग-बाणों की वर्षा की है, और उनसे इस बात की प्रार्थना की है कि वह उदार दल को शासन की बागडोर दे दें। यहाँ पर हम लोग यह सुना करते हैं कि हमारी राजनैतिक सभाओं में बड़ा ऊधम मचता है और कभी-कभी भीड़ बड़े उपद्रव कर डालती है। परन्तु जिन्होंने चुनाव सम्बन्धी तथा अन्य राजनैतिक सभाएँ इङ्गलैण्ड में देखी हैं, वे कह सकते हैं कि वहाँ हमारे यहाँ से भी अधिक ऊधम मचता है। वक्ता को तङ्ग करना और न बोलने के लिए विवश करना, पग-पग पर शोर मचा कर बाधा उत्पन्न करना तो साधारण बात है। कहीं-कहीं तो कुर्सियों से युद्ध होता है, स्त्रियों तक की दुर्दशा बनाई जाती है और सहायता के लिए पुलिस बुलाना आवश्यक हो जाता है। प्रचार-सङ्घ की सभाएँ हाइड पार्क तथा अन्य पार्कों में होती रहती हैं। वहाँ के दृश्य भी बड़े मनोरञ्जक होते हैं। अपने-अपने प्लेट-फ़ॉर्म लेकर सभी दल के लोग वहाँ आ पहुँचते हैं और एक दूसरे के इतने पास खड़े होकर चिल्लाते हैं कि श्रोताओं की समझ में किसी की बात नहीं आती, परन्तु वे आनन्द लूटने के लिए खड़े रहते हैं। ये वक्ता कभी-कभी तो इतने ज़ोरों से चिल्लाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आग लग गई या और कोई आपत्ति आ गई। और लुत्फ़ यह कि ऐसे समय में वक्ता महाशय के सामने श्रोताओं की संख्या केवल उँगली पर गिनने योग्य होती है।

हम ऊपर इङ्गलैण्ड की तीन प्रमुख पार्टियों का विवरण दे चुके हैं। इनके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे दल भी हैं, जो किन्हीं कारणवश इन्हीं तीनों में से किसी एक के विद्रोही हो चुके हैं। स्वतन्त्र मज़दूर-दल (Independent Labour Party) का नाम ऊपर आ चुका है। यह अभी तक मज़दूर-दल के अन्तर्गत एक छोटा सा दल है, परन्तु है काफ़ी शक्तिशाली। इसके सदस्यों में से अधिकतर ग्लासगो के निकट के प्रान्त के हैं, अतः इसके सदस्यों का नाम 'Clydesiders' या 'Clyde group' भी पड़ गया है। इनके नेता हैं मि० मैक्स्टन तथा हमारे पाठकों के सुपरिचित मि० फ़ेनर ब्रौकवे भी इसके एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं। 'The new leader' नाम का पत्र इसी दल की ओर से निकलता है। इस दल की नीति बड़ी निर्भीक और पूर्ण साम्यवाद के सिद्धान्तों के अनुसार है। भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता देने के ये पक्षपाती हैं।

कुछ दिन हुए, मज़दूर-दल में से ही अलग होकर सर ओज़वाल्ड मोज़ले ने एक नए दल को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने 'The new party' (नया दल) रक्खा था परन्तु जो उन्हीं के नाम पर मोज़ले-दल कहलाता है। इसके सदस्य केवल चार-पाँच हैं। जिनमें सर मोज़ले और लेडी मोज़ले भी हैं। ये बहुत मालदार हैं, इसीलिए इस पार्टी का नाम इधर-उधर दीख पड़ता है, नहीं तो पैदा होते ही यह काल का ग्रास बन जाती। सर ओज़वाल्ड पहले मज़दूर-सरकार में भी रह चुके हैं, परन्तु कुछ मतभेद हो जाने से वहाँ से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इन्होंने अपने पर्चों में निम्न-लिखित बातें लिखवाई थीं:—

Socialist do not care
Conservative do not dare
Liberals are not there,
So
Join the new party.

अर्थात्—और दल तो कुछ कर नहीं सकते, अतः नए दल में सम्मिलित होइए। इनकी स्कीम थी कि गवर्नमेण्ट के स्थान पर पाँच आदमियों को डिक्टेटर बना दिया जाय जो शासन-भार को ग्रहण करें। दुर्भाग्य-वश सर मोज़ले की बात घर के बाहर किसी ने सुनी नहीं।

उदार दल की तो इन दिनों में बड़ी दुर्गति हुई है। अनेकों सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने दल की सदस्यता छोड़ दी है। दल बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गया है। लाग लॉयड जॉर्ज के नेतृत्व के विरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धान्तों के अनुसार इनके दो दल हैं—एक तो वह, जो बाहर से आई सभी चीज़ों पर महसूल लगाना चाहता है (Protectionists) इस दल के नेता साइमन कमीशन के सर जॉन साइमन हैं। दूसरा दल वह, जो इस प्रकार के महसूल के विरुद्ध है (Free traders); इस नेता सर हर्बर्ट सैमुएल हैं।

अनुदार दल के सिद्धान्तों को मानने वाले, परन्तु अनुदार दल के नेता मि० बॉल्डविन से विरोध करने वाले अनेक व्यक्ति इङ्गलैण्ड में हैं। इनमें से प्रमुख हैं तीन (१) लॉर्ड बीवरब्रुक, (२) लॉर्ड रौदरमियर, (३) मिस्टर चर्चिल।

मिस्टर चर्चिल से तो पाठक परिचित होंगे ही, आप पिछली अनुदार दल की सरकार के अर्थ-मन्त्री (Chancellor of Exchequer) थे। लॉर्ड रौदरमियर और लॉर्ड बीवरब्रुक, दोनों अद्भुत व्यक्ति हैं। दोनों करोड़पति हैं और दोनों ही कई समाचार-पत्रों के मालिक हैं। 'डेलीमेल' लॉर्ड रौदरमियर का है और 'डेली एक्सप्रेस' लॉर्ड बीवरब्रुक का। ये दोनों लॉर्ड अपने को ईश्वर का अवतार समझते हैं तथा समझते हैं कि इङ्गलैण्ड तथा सारे संसार के प्राणियों की रक्षा का भार अल्लाह ने इन्हीं को सौंपा है। इन दोनों के उद्देश्य ये हैं कि इङ्गलैण्ड में किसी प्रकार बाहर का बना हुआ माल न आने पावे। यदि आवे भी तो उस पर कम से कम सौ फ़ी सदी कर लगा दिया जाय। इस प्रकार इङ्गलैण्ड की औद्योगिक परिस्थिति को ये संसार में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। संसार के अन्य प्रदेशों के विषय में ये संसार भर की पीड़ित जातियों, जैसे भारत, मिश्र आदि को अपने शासन में कर लेना अपना धर्म समझते हैं, ताकि ये इन पीड़ित व्यक्तियों को उद्योग-धन्धे का कष्ट किए बिना ही उन्हें सारे आधुनिक सामान दे सकें। यदि कोई पीड़ित राष्ट्र इससे सहमत न हो तो उसे संसार के पर्दे पर से ही मिटा दिया जाय। इसीलिए ये लॉर्ड मि० चर्चिल को भारत का वायसरॉय बनाने का आन्दोलन कर रहे थे।

इनके ये विचार थे और इन्हीं का ये अपने पत्रों में प्रचार कर रहे थे, परन्तु मि० बॉल्डविन इन विचारों से सहमत न थे, अतः ये लॉर्ड उन्हें नेतृत्व के पद से हटा कर स्वयं नेता बनने की स्कीम बनाने लगे। इसके लिए इन्होंने एक पार्टी को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने रक्खा 'The Empire Crusaders' (एम्पायर क्रूसेडर्स)। इसी सेना के साथ ये मि० बॉल्डविन का मुक़ाबला करने लगे। कई स्थानों पर चुनाव के लिए इन्होंने अपने प्रतिनिधि खड़े किए, उनमें से कुछ सफल हो भी गए। इसके बाद इस पार्टी ने अनुदार दल के सामने एक बड़ा करारी हार खाई और तब से इनका उत्साह ठण्डा पड़ गया। हाँ, जहाँ भारत का प्रश्न आता है, वहाँ अब भी ये कह देते हैं कि We want a firm hand in India. (अर्थात् भारत का शासन हम दृढ़ता से करना चाहते हैं)।

जब Empire Crusaders इस प्रकार पैर पीट रहे थे, कई व्यक्तियों ने एक नई पार्टी और खोल दी, जिसका नाम रक्खा गया 'The United Empire Party' (दी यूनाइटेड एम्पायर पार्टी) इस पार्टी को इन लॉर्डों से बड़ी आशा थी, परन्तु वह पूरी न हुई और फल यह हुआ कि इस पार्टी की ओर से जो एक स्त्री को पार्लामेण्ट के चुनाव के लिए खड़ा किया था, वह इस बुरी तरह से हारी कि उसकी ज़मानत भी ज़ब्त हो गई।

यह है संक्षेप में इन राजनैतिक दलों का वर्णन। भारत के विषय में इन दलों की क्या सम्मति होती है तथा उसके विषय में ये लोग क्या करते हैं, यह सब कुछ किसी आगामी लेख में लिखा जायगा।

❀ ❀ ❀

देहली षड्यन्त्र-केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

गत सप्ताह ३० नवम्बर, सोमवार को दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्यवाही फिर आरम्भ हुई। आरम्भ में दिल्ली-जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट मियाँ सफ़दरअली ख़ाँ ने कहा कि विमलप्रसाद आज प्रातःकाल जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट के सामने पेश किए गए थे और अदालत में उनकी हाज़िरी के बारे में अदालत की आज्ञा उन्हें सुनाई गई, किन्तु मेरे प्रयत्न करने पर भी अभियुक्त ने न माना और अदालत में आने से इन्कार कर दिया।

अभियुक्त वात्सायन के जिरह करने पर गवाह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विमलप्रसाद ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट से कहा था कि वह नहीं जायँगे।

वात्सायन ने अदालत को बतलाया कि विमलप्रसाद ने आने से इन्कार नहीं किया था, बल्कि आने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। उन्होंने कहा कि जेल के अधिकारीगण उन लोगों के मार्ग में हर तरह की बाधा उपस्थित करते हैं, ताकि वे लोग अदालत में आने से इन्कार कर दें।

गवाह ने कहा कि विमलप्रसाद के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अदालत के प्रेज़िडेण्ट ने यह हुक्म सुनाया कि चूँकि मुझे इस बात का पूरा इतमीनान है कि विमलप्रसाद ने अदालत में आने से इन्कार कर दिया है, इसलिए अदालत को उनकी मौजूदगी से मैं बरी करता हूँ।

"हथियारबन्द पहरेदारों का बैठाना ज़रूरी था।"

सरकारी वकील ने अभियुक्तों की ओर से उपस्थित की गई दरख़्वास्त पर बहस करते हुए उसमें की गई शिकायतों को ग़लत बतलाया और कहा कि हमेशा मुलाक़ातें नहीं रोकी गईं, और जिन मामलों में मुलाक़ातें नहीं होने दी गईं, वे इसलिए रोकी गईं कि एक मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हिदायत आई थी और उसके बाद प्रान्तीय सरकार से हिदायतें आईं। उन्होंने कहा कि जेल-मैनुअल के नियमों की कभी अवहेलना नहीं की गई।

उन्होंने आगे चल कर कहा कि कुछ अवसरों पर अभियुक्तों का व्यवहार बहुत भीषण हो गया था। अदालत से लौटने पर उन लोगों ने कोठरियों में दाख़िल होने से इन्कार कर दिया और इस पर ज़बरदस्ती उनको कोठरियों में दाख़िल करना पड़ा था। सरकारी वकील ने यह बात स्वीकार की कि भोजन की सज़ा उन लोगों को दी गई थी। उन्होंने कहा कि कोठरियों में रहते समय अभियुक्तों को हमेशा कसरत करने दी जाती थी। सरकारी वकील ने यह बात भी स्वीकार की कि हथियारबन्द पहरेदार जेल में ज़रूर रक्खे गए थे, किन्तु वे सावधानी के उपाय के ख़्याल से रक्खे गए थे, जिसको कि जेल-अधिकारियों ने आवश्यक समझा था।

अदालत की दस्तन्दाज़ी

रायबहादुर कँवरसेन के उत्तर में उन्होंने बतलाया कि अदालत मैजिस्ट्रेट या प्रान्तीय सरकार की आज्ञाओं में हस्तक्षेप कर सकती है, अगर वह समझती है कि जेल-अधिकारियों की कार्रवाइयाँ ग़ैर-क़ानूनी और बेजा हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में अभियुक्त जेल के नियमों के अधीन हैं।

अयुभिक्तों के काग़ज़ात के सुरक्षित रूप से रहने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि अभियुक्त अपने काग़ज़ात अपने साथ रख सकते थे या उनको वे ताले में रख सकते थे, पर जेल-अधिकारी उनकी तलाशी, आवश्यकता समझी जाने पर, ले सकते हैं।

पुराने सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ एम० एल० सी०, जो गोलमेज़ के प्रतिनिधि चुने जा कर लन्दन गए थे, लौट कर दिल्ली आ गए और आज से उन्होंने प्रमुख सरकारी वकील का कार्य-भार सँभाल लिया।

"मैं सुपरिण्टेण्डेण्ट हूँ, जो चाहूँगा करूँगा"

१ दिसम्बर, १९३१ को दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्रवाई बहुत दिनों बाद ठीक समय से १० बज कर ५५ मिनट पर शुरू हुई।

कार्रवाई शुरू होने पर वात्सायन ने सरकारी वकील की बातों का जवाब दिया। उन्होंने अदालत में नारे लगाने और गाने के प्रश्न को लिया और इस प्रश्न पर दिलचस्प बहस हुई। अन्त में सब फ़रीक़ों ने एक दूसरे के भावों को समझा और अब मालूम होता है कि मुक़दमे की कार्रवाई में देर न हुआ करेगा।

वात्सायन ने आज फिर अदालत के सामने जेल-अधिकारियों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि जब सुपरिण्टेण्डेण्ट अभियुक्तों के पास आते हैं, तब हर दफ़ा वह ये दो बातें कहते हैं कि—"अब जेल का सुपरिण्टेण्डेण्ट मैं हूँ" और "मैं जो चाहूँगा, करूँगा, मैं जानता हूँ कि अदालत कुछ नहीं कर सकती।"

"जेल और पुलीस अफ़सरों के पत्र-व्यवहार की जाँच की जाय"

इसके बाद अभियुक्तों के वकील डॉ० किचलू उठे और उन्होंने कहा कि अभियुक्तों द्वारा बार-बार इस बात की प्रार्थना की गई है कि जेल-अधिकारियों और पुलीस-अधिकारियों के बीच कथित पत्र-व्यवहार की जाँच की जाय। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने साफ़-साफ़ इस बात का आरोप लगाया है कि एक्ज़ेकेटिव अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से जेल के अधिकारियों से कहा है कि अभियुक्तों को इस तरह तङ्ग किया जाय कि वे अदालत में न जा सकें।

अभियुक्तों की शिकायतों की जाँच हो

डॉ० किचलू ने कहा कि सरकारी पक्ष ने अभियुक्तों की प्रमुख शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने बहुत सहानुभूतिहीन रुख़ अख़्तियार किया, जब कि उन लोगों से निष्पक्ष होने की आशा की जाती थी। डॉ० किचलू ने अपनी इस माँग पर ज़ोर दिया कि फ़रीक़ैन और अदालत के प्रतिनिधि एक साथ बैठ कर इस बात पर विचार करें कि अभियुक्तों की शिकायतों में कुछ यथार्थता है या नहीं।

उन्होंने कहा कि सफ़ाई के वकील को कुछ सुविधाएँ मिलने का अधिकार है।

रायबहादुर कँवरसेन ने डॉ० किचलू से पूछा कि अभियुक्तों का अदालत में क्रान्तिकारी नारे लगाने और गाने का उद्देश्य क्या है और क्या यह करना उन लोगों के लिए अत्यावश्यक है?

डॉ० किचलू ने उत्तर दिया कि वे लोग राजनीतिक क़ैदी हैं और इस तरह के क़ैदियों का यह बहुत पुराना तरीक़ा है और यह स्वयं उनके सन्तोष के लिए है।

अभियुक्त ख़ामख़्वाह देर नहीं लगाना चाहते

इस पर अदालत ने अपना यह भय प्रदर्शित किया कि यह नारे आदि लगाना मुक़दमे की कार्रवाई में देर लगाने के इरादे से किया जाता है। इस पर डॉ० किचलू ने अदालत को यह विश्वास दिलाया कि अभियुक्तों का यह इरादा कदापि नहीं है और यदि उन लोगों को समय से नहाने और भोजन करने दिया जाय, तो वे अदालत में ठीक १०॥ बजे पहुँच जाएँगे।

इस पर यह तजवीज़ की गई कि बुधवार और शनिवार के दिन अदालत आधे समय तक बैठा करे और शेष समय चीज़ों की जाँच कराने और हिदायतें लेने में लगाया जाय और आख़िरी शनिवार को अदालत स्थगित रहा करे। यह भी कहा गया कि जेल में मुलाक़ातें होने दी जाएँ और मित्रों तथा रिश्तेदारों को अभियुक्तों को जलपान के समय में मिलने दिया जाय जैसा कि लाहौर में होता था।

सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा कि जलपान के समय मुलाक़तों का प्रश्न अदालत पर निर्भर है कि वह मुलाक़ात करने देगी या नहीं, किन्तु जहाँ तक जेल के अन्दर की मुलाक़ातों का सम्बन्ध है, उसका निर्णय जेल-अधिकारियों से करना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर इसमें कोई एतराज़ नहीं है।

वात्सायन ने एक बार फिर यह प्रश्न किया कि अभियुक्त जाते-आते समय जेल की हिरासत में हैं या नहीं और यह कि जेल के अन्दर अदालत का अभियुक्तों पर अधिकार है या नहीं?

इसके बाद अदालत दूसरे दिन के लिए मुल्तवी हो गई। अदालत के सामने पेश की गई दरख़्वास्तों पर कुछ दिनों में हुक्म सुनाया जायगा।

मुख़बिर कैलाशपति से जिरह

बुधवार २, दिसम्बर को अदालत में अभियुक्त लोग ठीक साढ़े दस बजे पहुँच गए और १० बज कर ५५ मिनट पर अदालत की कार्रवाई आरम्भ हो गई। डॉ० किचलू ने प्रमुख मुख़बिर कैलाशपति से जिरह आरम्भ की। कैलाशपति ने कहा—"मैं ख़्यालीराम और उनके भाइयों को जानता हूँ। वे अच्छे व्यापारी हैं। मैं नहीं कह सकता कि ख़्यालीराम इस मामले के पहिले और कभी गिरफ़्तार किए गए थे। मुझे इस बात का कोई ज़ाती इल्म नहीं है कि भगवतीचरण ने ख़्यालीराम को कब और कहाँ क्रान्तिकारी दल का मेम्बर बनाया था, क्योंकि वह मेरे सामने मेम्बर नहीं बनाए गए थे। मैंने इसके बारे में भगवतीचरण से सिर्फ़ सुना था। यशपाल अगस्त, १९३० में अपने मुक़दमे की कार्रवाई में आए थे और वह उसी दिन प्रातःकाल मुझसे मिले थे तथा मुझे उनके आने की ख़बर उसी सुबह को मिली थी। जब मैं झण्डा वाला फ़ैक्टरी गया तो मुझे मालूम हुआ कि यशपाल आए थे और ले जाए गए।

"प्रकाशो, दूसरे गिरवरसिंह या विमलप्रसाद ने मुझे यशपाल के आने की ख़बर दी। यशपाल के दिल्ली आने के एक दिन पहिले आज़ाद कानपुर गए थे और आज़ाद उसके पहले नई दिल्ली गए होंगे। जैसे ही यशपाल मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा मैं आज़ाद से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुक़दमे की सुनवाई में आया हूँ। मुझे मालूम हुआ कि दीदी और धन्वन्तरि फ़ैक्टरी में यशपाल के आने पर मौजूद हैं, किन्तु जब मैं

.फ़ैक्टरी पहुँचा, तो वे लोग नई दिल्ली चले गए थे। १२ दिसम्बर, १६३० को मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने पुलीस के सामने यह बयान दिया था कि ये दोनों आदमी यशपाल के आने से पहिले आज़ाद से मिलने के लिए नई दिल्ली चले गए थे। मैंने कदाचित उस वक़्त तक पुलीस से कानपुर का ज़िक्र नहीं किया था, किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में निश्चय नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने झूठा बयान दिया था। मुझे निश्चय नहीं है कि उस वक़्त तक मैंने पुलीस से आज़ाद का नाम लिया था। ३१ अक्टूबर, १६३० को मैंने कदाचित यह कहा था कि आज़ाद के सम्बन्ध में कानपुर हम लोगों का बड़ा दफ़्तर है। ३ नवम्बर को मैंने पुलीस से कहा होगा कि आज़ाद ग्वालियर में होंगे, यदि वह कानपुर में नहीं हैं। यशपाल पर प्रकाशो से सम्बन्ध के अतिरिक्त और बहुत से अपराध थे।

मुसम्मात प्रकाशो की दिलचस्प कहानी

"मुझे मालूम हुआ था कि यशपाल जब दिल्ली आए, तो प्रकाशो सिविल अस्पताल के सामने के एक मकान में रहती थी। मैंने प्रकाशो को यशपाल के आने के दो-तीन दिनों के दरम्यान झण्डावाला .फ़ैक्टरी में देखा था। जब तक वह .फ़ैक्टरी में नहीं आई थी, मुझे उसके उस मकान में रहने की कोई ज़ाती जानकारी न थी। मैंने प्रकाशो को पहले-पहल .फ़ैक्टरी में १६ जुलाई, १६३० के लगभग देखा था। वह .फ़ैक्टरी में १० या ११ अगस्त तक यशपाल के जाने तक स्थायी रूप से रही थी। मैं नहीं जानता कि फिर वह कहाँ चली गई और यशपाल के आने के दो या तीन दिनों पहिले कैसे आ गई। इसके बाद वह फिर यशपाल के जाने के एक या दो दिन बाद वापस चली गई। वह यशपाल द्वारा लाई गई थी, जो शायद लाहौर से आए थे। उनका मुक़दमा सिर्फ़ एक दिन २१ या २२ तारीख़ को हुआ। इसके बाद वह दिल्ली से चले गए और एक या दो दिनों बाद फिर लौट आए। प्रकाशो फिर या तो अगस्त के आख़ीर में अथवा सितम्बर के शुरू में .फ़ैक्टरी में आई और झण्डावाला .फ़ैक्टरी में ठहरी। मैं रोज़ .फ़ैक्टरी में नहीं जाता था। मगर यशपाल के मुक़दमे के बाद जब कभी मैं वहाँ गया, मैंने प्रकाशो को वहाँ पाया।"

सरकारी वकील ने कोर्ट का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि बिना वकील वाले अभियुक्त बहुत देर से डॉक में नहीं हैं और बाद में वे यह एतराज़ करेंगे कि कार्रवाई उनकी अनुपस्थिति में हो गई। परन्तु अदालत अपना काम करती रही। डॉ० किचलू ने कैलाशपति द्वारा १२ दिसम्बर, १६३० को पुलीस के सामने दिए हुए इस बयान को पढ़ सुनाया कि २६ अगस्त को आज़ाद नई दिल्ली गए और २८ को प्रातःकाल यशपाल लाहौर से लौटे और प्रकाशो को ले गए। कैलाशपति ने कहा कि—"मुझे याद नहीं है कि मैंने यह बयान दिया था। बयान में जहाँ तक वाक़यात का सम्बन्ध है, वे ठीक हैं, लेकिन तारीख़ों के बारे में मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता। मैंने यशपाल से यह ज़रूर कहा था कि मैं आज़ाद को बुलाऊँगा, किन्तु मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कोई वक़्त मुक़र्रर किया।

"कोई ग़ैर-मेम्बर या सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति यशपाल के मुक़दमे में हिस्सा नहीं ले सकता था और न उनके लिए मीटिङ्ग में रहने की आज्ञा थी। .फ़ैक्टरी में सर्वसाधारण लोग आते थे, क्योंकि उसमें साबुन और तेल का काम होता था। आज़ाद, मैं और यशपाल केन्द्रस्थ कमिटी के मेम्बर और दीदी और धन्वन्तरि साधारण मेम्बर मुक़दमे में मौजूद थे। सब लोगों ने फ़ैसले दिए।

मुख़बिर के बयान का सच-झूठ

"मैं प्रोवाश बनर्जी को, जो मेरी गिरफ़्तारी के पहले कॉङ्ग्रेस खद्दर-भण्डार में काम करता था, जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि बनर्जी कहाँ रहता था और न मैं यही जानता हूँ कि मानेन्द्रनाथ बनर्जी कहाँ रहता था, किन्तु जहाँ तक मैं जानता हूँ, वह बनारस का रहने वाला है। मैं नहीं जानता कि मैंने इन दोनों आदमियों के बारे में कोई बयान दिया था।

"मुझे यह नहीं याद है कि मैंने ३१ अक्टूबर को पुलीस के सामने ख़्यालीराम के बारे में लम्बा बयान दिया था। मुझे यह नहीं मालूम कि वह गिरफ़्तार किए गए थे। मैं नहीं कह सकता कि मुझसे उनके बारे में किसने कहा था। मुझे यह नहीं याद है कि पुलीस अफ़सरों ने मुझसे कहा था कि ख़्यालीराम गिरफ़्तार कर लिए गए हैं या यह कि उनके मकान की तलाशी में उनके मकान से कुछ चीज़ें मिली हैं। मानेन्द्रनाथ बनर्जी की फ़ोटो मेरे मकान से पुलीस को मिली थी। मुझे याद नहीं है कि कितने बक्स मेरे मकान से मिले थे, जिनमें से दो भगवतीचरण के थे। मुझे फ़ोटो .ख़्यालीराम के बक्स में से मिली थी। ३१ अक्टूबर को मेरे द्वारा पुलीस के सामने दिया गया बयान आंशिक रूप से ग़लत हो सकता है। डॉक्टर सैद द्वारा पढ़े गए बयान का कुछ हिस्सा मैंने सुना है, यह कि मैं नहीं कह सकता कि मेरे बयान को ठीक-ठीक लिखा गया है या नहीं। मैंने भगवतीचरण को अन्तिम बार मई, १६३० में देखा था। मुझे यह याद नहीं कि मैंने ३१ अक्टूबर को पुलीस से यह कहा था कि आज़ाद और भगवतीचरण .ख़्यालीराम के साथ मार्च महीने में ठहरे थे।"

३ दिसम्बर, गुरुवार को दिल्ली षड्यन्त्र-केस की कार्यवाही शुरू होने पर डॉक्टर किचलू के मुख़बिर कैलाशपति से जिरह आरम्भ करने के पहले छोटे सरकारी वकील सरदार रघुवीरसिंह ने अदालत से पूछा कि अभियुक्तों द्वारा पेश की गई पिछली दरख़्वास्त पर अदालत कब अपना हुक्म सुनाएगी। प्रधान जज ने कहा कि फ़ैसला जल्दी हो सुनाया जायगा।

दीवार में चुन देने की सज़ा

कैलाशपति ने जिरह में कहा—"मैंने भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल का अध्ययन किया है। भारत में मुस्लिम शासन का आधार मुस्लिम क़ानून था और मैं यह नहीं कह सकता कि मुस्लिम क़ानून में अपहरण का दण्ड पत्थरों से मार कर या दीवार में चुनवा कर मार डालना था। मैं जानता हूँ कि अनारकली दीवार में चुनवा दी गई थी। मुझे स्मरण नहीं है कि भगवतीचरण ने मुझसे .ख़्यालीराम को बारूद बनाना सिखाने को कहा था। मेरा .ख़्याल है कि मैंने पुलीस के सामने यह भी कहा था कि भगवतीचरण ने मुझसे कहा था कि .ख़्यालीराम फिर बारूद देंगे, जैसा कि उन्होंने वायसरॉय की गाड़ी पर बम चलाने के अवसर पर दिया था। मुझे .ख़्यालीराम के वायसरॉय की ट्रेन-दुर्घटना के लिए बारूद देने के बारे में कोई ज़ाती इल्म नहीं है और मुझे याद नहीं है कि इस सम्बन्ध में मैंने पुलीस के सामने क्या बयान दिया था। ख़्यालीराम ने मेरे सामने कभी भगवतीचरण के लिए बारूद नहीं ख़रीदी।

मुझे याद नहीं है

मुझे यह याद नहीं है कि मैंने पुलीस से यह कहा था कि .ख़्यालीराम ने बारूद एकत्र करने में भगवतीचरण की मदद की होगी। अगर मैंने ऐसा बयान दिया था, तो वह ठीक-ठीक लिखा गया होगा। मैं इसकी कोई वजह नहीं बतला सकता कि पुलीस ने मेरा बयान क्यों ग़लत लिखा होगा। यह बयान कि "ख़्यालीराम ने भगवतीचरण को मदद दी होगी" ग़लत है, क्योंकि उस वक़्त मुझे इस बात के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी कि .ख़्यालीराम ने भगवतीचरण की मदद की थी। मुझे पुलीस से यह कहने का कभी मौक़ा नहीं मिला कि उसके द्वारा लिखा गया बयान ग़लत है। यह सम्भव है कि मैंने यह बयान मि० अब्दुलसमद ख़ाँ और मि० मुमताज हुसेन को दिया हो। यह बात ठीक है कि मि० पील ने यह बयान मेरे साथ दुहराया था। मुझे स्मरण नहीं है कि उस समय भी मैंने बयान ठीक किया था। मुझे याद नहीं है कि मि० पाल द्वारा बयान के दुहराए जाते समय मुझे इस बात का .ख़्याल हुआ था या नहीं कि बयान ग़लत है। बयान को दुहराते समय मि० पील ने मुझसे कई प्रश्न किए थे, किन्तु मुझे यह भी याद नहीं है कि जहाँ कहीं मुझे बयान ग़लत मालूम हुआ, मैंने उसे ठीक कराया हो।" अदालत के प्रश्न करने पर कैलाशपति ने कहा कि मैंने कई ग़लतियाँ दुरुस्त की थीं। मि० पील ने मुझसे साफ़-साफ़ यह नहीं कहा था कि अगर बयान में कुछ ग़लत बातें हों, तो उन्हें दुरुस्त करो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस तरह का समझौता आवश्यक था।

आगे चल कर मुख़बिर ने कहा—"मुझे याद नहीं है कि मैंने पुलीस के सामने यह कहा था या नहीं कि भगवतीचरण ने मुझसे कभी रामलाल साग़र का ज़िक्र किया है। रामलाल वही व्यक्ति है, जो इस मामले में मुख़बिर है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि मैंने पुलीस के सामने यह बयान दिया था कि भगवतीचरण ने मुझसे रामलाल का ज़िक्र किया था। मैंने स्वयं कभी रामलाल का परिचय सी० आई० डी० से नहीं कराया। मैंने रामलाल को जुलाई, १६३० में सी० आई० डी० में भर्ती कराया था

रामलाल का परिचय

अदालत के प्रश्न करने पर कैलाशपति ने जवाब दिया कि "रामलाल उस वक़्त के पहिले पार्टी का मेम्बर था। वह अपने प्राइवेट मित्रों द्वारा पार्टी का मेम्बर बनाया गया था, पार्टी के किसी मेम्बर द्वारा नहीं। मेरा विश्वास है कि रामलाल, पाठक नामक एक व्यक्ति द्वारा, जो उस समय हिन्दू कॉलेज का विद्यार्थी था, भर्ती कराया गया था। मैं उस वक़्त नहीं जानता था कि पाठक कौन है और शहर में कहाँ रहता है। रामलाल रामजस कॉलेज का विद्यार्थी था। इस सम्बन्ध में मेरा कोई ज़ाती इल्म नहीं है कि पाठक ने रामलाल का परिचय किससे कराया था। मैंने पाठक का ज़िक्र अब तक पुलीस से कहीं भी नहीं किया है। मैंने यह सब रामलाल से सुना है, जिसने कि पाठक का मुझसे ज़िक्र किया है। उसने इस सम्बन्ध में मेरी गिरफ़्तारी के पहिले बतलाया था। मैंने पाठक का ज़िक्र पुलीस से कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने न तो इसे आवश्यक समझा और न यह कोई महत्व की बात थी, किन्तु मैं रामलाल का सी० आई० डी० में शामिल होना महत्वपूर्ण समझता हूँ।

"मैं आसफ़ से पहले-पहल मई, १६३० में मिला था। मैंने आसफ़ का नाम भगवतीचरण से सुना था। भगवतीचरण ने मुझसे कहा था कि आसफ़ का परिचय करा दिया जायगा। भगवतीचरण ने कहा था कि वैशम्पायन, अभियुक्त, आसफ़ को मेरे पास लाएगा, किन्तु वैशम्पायन ने मुझसे उसका परिचय नहीं कराया। आसफ़ का परिचय ख़्यालीराम ने मुझसे कराया था।"

इसके बाद डॉ० किचलू ने मुख़बिर द्वारा १ नवम्बर, १६३० को पुलीस के सामने दिए हुए इस बयान को पढ़ सुनाया कि जून महीने के शुरू में वैशम्पायन ने

आसफ़ का परिचय क्वीन्स गार्डन में कराया था। मुख़बिर ने कहा कि यह परिचय प्रथम नहीं था और यह कि बयान का यह अंश ग़लत है, पर बाद में मुख़बिर ने कहा कि "मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने यह बयान दिया है। मुझे याद नहीं है कि मैंने इस तरह का पूरा का पूरा बयान दिया था, जिसमें यह हिस्सा आया है (जो १ नवम्बर, १९३० का है)। पुलीस वाले बयान में यह भी कहा गया है कि आसफ़ प्रथम-परिचय के बाद मुझसे प्रायः मिलता था। सम्भव है, मैंने यह बात कही हो, किन्तु मुझे इसका निश्चय नहीं है।" मुख़बिर ने फिर इस बात को स्पष्ट किया कि उसने यह बयान दिया होगा और यह कि वह बयान के इस अंश से इन्कार नहीं करता।

डॉक्टर किचलू के विरुद्ध शिकायत

मुख़बिर ने इस बात की शिकायत की कि बाज़ वक्त डॉक्टर किचलू के प्रश्न बहुत सन्दिग्ध होते हैं। डॉक्टर किचलू ने कहा कि यह बात मुख़बिर ने पहले क्यों नहीं कही और उन प्रश्नों के उत्तर क्यों दिए? मुख़बिर ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि मैंने किसी ख़ास अवसर पर क्या बयान दिया। मुख़बिर ने कहा—"जून और जुलाई में दो मीटिङ्गें शाम के वक्त की गई थीं। जिनमें मेरे और आसफ़ के अतिरिक्त कुछ अन्य मेम्बर भी उपस्थित थे, किन्तु तीसरी मीटिङ्ग में अक्टूबर में केवल मैं और आसफ़ उपस्थित थे। मुझे याद नहीं है कि इन तीनों उपर्युक्त मीटिङ्गों के अतिरिक्त आसफ़ के साथ और भी कोई मीटिङ्ग हुई थी। आसफ़ के साथ ख़्यालीराम की दूकान पर जुलाई, १९३० के मध्य में कोई मुलाक़ात नहीं हुई और न मैंने इसका कभी कोई ज़िक्र पुलीस से या किसी से भी किया।"

मुख़बिर ने कहा कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में क्वीन्स गार्डेन में एक और मीटिङ्ग हुई थी। मेरा ख़्याल है कि मैंने पुलीस से यह कहा था कि ख़्यालीराम के पास से लाए हुए तीन ट्रङ्कों में से एक ट्रङ्क हज़ारीलाल को निजी काम के लिए देने को था। मुझे याद नहीं है कि मैंने ३१ अक्टूबर, १९३० को दिए गए अपने बयान में दो ट्रङ्कों का ज़िक्र किया था और यह कि इस बयान का पैरा ग़लत है। मेरा मतलब यह है कि पुलीस के बयान में "दो ट्रङ्कों" के बजाय "तीन ट्रङ्क" होना चाहिए था।

"मैं पुलीस मालख़ाना को ले जाया गया, जहाँ मि० ईसर और सरदार भागसिंह थे। सरदार भागसिंह ने अपनी फ़ाइल में की फ़ेहरिस्त में से संख्या पढ़ सुनाई, जिनमें ट्रङ्क तथा रिवॉल्वर आदि कुछ अन्य चीज़ें थीं। इन ट्रङ्कों पर पार्टी, रिवॉलवर आदि के कोई ख़ास निशान न थे, ये साधारण बने हुए थे और उन पर पार्टी का कोई निशान न था। मैं अपने रिवॉलवर को न पहचान सकता, यदि उस पर ख़ास निशान न होता। मुझे स्मरण है कि मैंने पुलीस से यह कहा था कि छैलबिहारी लाल ने मुझे ख़्यालीराम के पते से लिखा था।"

आज़ाद का कोट

शुक्रवार, ४ दिसम्बर की कार्रवाई में डॉ० किचलू को मुख़बिर से जिरह करने के पहिले उसकी इस शिकायत के सम्बन्ध में कि डॉ० किचलू के कुछ प्रश्न सन्दिग्ध होते हैं, उसे यह समझाया कि अब से वह प्रश्नों का उत्तर देने से पहिले प्रश्नों के सम्बन्ध में अच्छी तरह इतमीनान कर लिया करे।

मुख़बिर ने जिरह में कहा—"मुझे याद नहीं है कि मैंने कल ज़िक्र की गई दरख़्वास्त के अतिरिक्त उसके पहिले और कोई दरख़्वास्त दिया हो। (दरख़्वास्त इस बात की दी गई थी कि उसके पास चन्द्रशेखर आज़ाद का एक निकर है।) यह दरख़्वास्त देने के पहिले पुलीस ने मुझे लिखने का सामान दिया था। पुलीस ने मुझसे यह नहीं कहा था कि क्या लिखना चाहिए। मुझे यह स्मरण नहीं है कि जाँच-अफ़सर ने दरख़्वास्त पर उसी दावात और क़लम से हस्ताक्षर किया था।" दरख़्वास्त दिखाई जाने पर मुख़बिर ने कहा—"दरख़्वास्त पर के हस्ताक्षर से मालूम होता है कि वह 'उसी दावात और क़लम' से किया गया था। आज़ाद का निकर मुझे इत्तिफ़ाक़ से मिल गया और मैंने उसका ज़िक्र पुलीस से दरख़्वास्त देने के एक या दो दिन पहले किया होगा। जब मैंने निकर देखा, तो मुझे कोट का भी ख़्याल आया और जब मैंने निकर का ज़िक्र किया, तो मैंने पुलीस से कोट का भी ज़िक्र किया। जहाँ तक मुझे याद है, मैं जानता हूँ कि अभियुक्त ख़्यालीराम के मकान की तलाशी ली गई थी। मैं ख़्यालीराम से अपनी गिरफ़्तारी से पहले सितम्बर, सन् १९३० में मिला था। मुझे यह याद नहीं है कि मैं कहाँ मिला था। गिरफ़्तारी के पहले मैं आज़ाद से सितम्बर महीने के मध्य में मिला था। मैं वह तारीख़ नहीं बतला सकता, जब कि आज़ाद ने मुझसे कोट लाने के लिए कहा था। मैं कोट लाने के लिए कई बार गया, पर मैं तारीख़ें नहीं बतला सकता। मैं ख़्यालीराम से दूकान पर मिला, किन्तु कोट लाने के लिए उनके मकान पर नहीं गया, आम तौर से ऐसा होता था कि ख़्यालीराम कोट दूकान पर लाना भूल जाते थे। आज़ाद ने मिलने पर जब तक कोट के बारे में नहीं बतलाया था, तब तक मुझे उसके बारे में कुछ मालूम न हुआ था। आख़िरी बार उन्होंने मुझसे कोट लाने के लिए कहा। जब मैं कोट लाने के लिए ख़्यालीराम की दूकान पर गया था, उस वक्त दूकान पर जो लोग उपस्थित थे, उनके नाम मैं नहीं बतला सकता। पुलीस ने दूकान से उन लोगों की मुझसे शिनाख़्त नहीं कराई, और न उन्हीं लोगों को मेरी शिनाख़्त करने के लिए वह ले आई। मैं ख़्यालीराम से दूकान पर १७ या १८ बार समय-समय पर मिला था और वे लोग आम तौर से दूकान पर उपस्थित रहते थे। मैंने अपनी गिरफ़्तारी के बाद किसी भी पुलीस-ऑफ़िसर को दूकान नहीं पहिचनवाई। दूकान जोगीबाड़ा स्ट्रीट के पास बल्लीमाराँ में है, पर मैं उसके आस-पास की सड़कों और मुहल्लों के नाम नहीं जानता।"

क्रान्ति पर लेख

इसके बाद अभियुक्तों के वकील ने मुख़बिर के "क्रान्ति और भारतीय क्रान्तिकारी" लेख के सम्बन्ध में मुख़बिर से जिरह की। मुख़बिर ने कहा—"मुझे स्मरण नहीं है कि यह लेख मैंने कब लिखा था, पर यह मेरी गिरफ़्तारी के बहुत पहिले लिखा गया था। मैं यह नहीं कह सकता कि इसको मैंने कहाँ लिखा था और न यही कह सकता हूँ कि इसको लिखने का भाव मेरे दिमाग़ में क्यों आया था। यह बात बिल्कुल ग़लत है कि मैंने इसकी और कहीं से नक़ल की है। मैं क्रान्ति के विषय पर ६ लाइनें अभी लिख सकता हूँ।" डॉ० किचलू ने यह इच्छा प्रकट की कि मुख़बिर उसे लिखे। इस पर अदालत ने डॉ० किचलू से कहा कि मुख़बिर को लिखने के लिए कहने का उनका उद्देश्य क्या है? डॉ० किचलू ने कहा कि मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि मुख़बिर ऐसा लेख लिखने के अयोग्य है। अदालत ने इसे अनावश्यक समझा और डॉ० किचलू की यह बात स्वीकार नहीं की।

इसके बाद मुख़बिर ने फिर कहना शुरू किया। उसने कहा—"मैंने अपनी गिरफ़्तारी के एक या दो साल पहिले रूस के इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया। मैं उस समय रूस के सिद्धान्त का समर्थन करता था। मैंने रूस की वर्तमान सरकार का कोई विस्तृत विवरण नहीं पढ़ा, जोकि कम्यूनिज़्म—जो क़रीब-क़रीब वैसा ही है जैसा बोल्शेविज़्म—पर आधारित है। मैंने बोल्शेविज़्म के सम्बन्ध में अधिक नहीं पढ़ा है। मैंने सुना है कि क्रान्ति के प्रचारक बोल्शेविक हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनके उद्देश्यों द्वारा क्रान्ति का प्रचार सफलता के साथ हो रहा है। मुझे यह स्मरण नहीं है कि मैंने कभी अपनी पार्टी के मेम्बरों से कहा हो कि बोल्शेविज़्म उत्तम है और तुम लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। सोशलिज़्म का जो कार्यक्रम मैं अपनी गिरफ़्तारी के पहिले तैयार कर रहा था, वह पूरा नहीं हुआ था।"

डॉ० किचलू ने पूछा कि उस कार्यक्रम का आधार क्या था, क्या वह सोशलिज़्म था?

कैलाशपति ने कहा—"मुझे याद नहीं है। मेरा सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का कार्यक्रम इस लेख के समाप्त होने के बाद लिखा गया था। मैं रूसी क्रान्ति को सफल समझता हूँ। जब मैंने लिखा था, उस वक्त कदाचित मेरा ख़्याल यह था कि भारत में उसी तरह की क्रान्ति होनी चाहिए। मेरा यह भी ख़्याल था कि रूस के अतिरिक्त किसी भी देश में कोई सफल क्रान्ति नहीं हुई। मैंने इस प्रश्न पर पार्टी के किसी मेम्बर से परामर्श नहीं किया था। मैंने रूसी क्रान्ति का विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया। मैंने लेख बिना विशेष रूप से अध्ययन किए हुए लिखा था। मुझे याद नहीं है कि मैंने उपर्युक्त लेख के अतिरिक्त इस विषय पर और भी कोई लेख लिखा है। लेख में मेरे ही अपने विचार थे, पर मैं बिना उसे पढ़े हुए नहीं कह सकता कि विचार मेरी पार्टी के भी थे।" इस पर लेख की हस्तलिपि मुख़बिर को दी गई और उसने उसे पढ़ने के बाद कहा कि—"पार्टी का भाव भी वही है, जो मेरे लेख में प्रकट किया गया है। पर मैंने इन प्रश्नों पर कभी पार्टी में विचार नहीं किया। पार्टी ने बोल्शेविज़्म या कम्यूनिज़्म के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की थी। मेरी पार्टी ने किसी देश की क्रान्ति का तरीक़ा अख़्तियार नहीं किया था।

क्रान्तिकारी सिद्धान्त पर विचार

"मुझे यह स्मरण नहीं है कि मेरी पार्टी के मेम्बरों ने एक साथ बैठ कर क्रान्ति के सिद्धान्त पर विचार किया हो। मैंने अनेक अवसरों पर अपने लेख अपनी पार्टी के सामने पढ़े थे। मुझे याद नहीं है कि मैंने यह लेख भी अपनी पार्टी के सामने पढ़ा हो। मैं किसी ख़ास लेख का नाम नहीं बतला सकता, जिसको मैंने पढ़ा हो। मैंने गाँधीवाद पर भी लिखा है। मैंने अपना यह लेख कदाचित विशम्भरदयाल या मदनगोपाल के पास अजमेर में रख छोड़ा था। मैंने इस लेख का पुलीस से कभी ज़िक्र नहीं किया। मेरी पार्टी का एक नियम 'स्टडी सर्किल' भी सङ्गठित करना था, जिसके लिए मैंने साहित्य का संग्रह किया था, किन्तु सर्किल सङ्गठित करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। कोई पुस्तकालय ऐसा नहीं था, जहाँ सर्वसाधारण आकर पढ़ सकते थे और न मैंने कोई ऐसा दफ़्तर स्थापित किया था, जहाँ मेम्बर लोग बैठ और पढ़ सकते। पुस्तकें विभिन्न मेम्बरों के पास रहती थीं। मेरा ख़्याल है कि पार्टी के किसी मेम्बर ने कम्यूनिज़्म, बोलशेविज़्म या अन्य क्रान्तिकारी साहित्य का विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया था। मैंने जब यह लेख लिखा था, यह मेरा निजी ख़्याल था कि रूसी क्रान्ति सर्वाङ्ग पूर्ण है, किन्तु जब मैंने यह लिखा था कि "रूस में क्रान्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है और वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है" उस वक्त मेरा आशय यह था कि शोषण अभी पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ है और इसलिए वह पूर्ण नहीं है। रूस में एक

मनुष्य द्वारा दूसरे का शोषण अभी तक बन्द नहीं हुआ है। इससे अधिक मैं इसे नहीं समझ सकता और न मैं शोषण का कोई विशेष उदाहरण दे सकता हूँ। रूस में स्थान और अवसर की समानता अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई है, किन्तु मैं रूस का कोई व्यक्तिगत या सामूहिक उदाहरण नहीं दे सकता, जिसमें स्थान और अवसर की समानता अस्वीकृत की गई हो। मैं अपने उपर्युक्त भाव का कोई दृढ़ आधार नहीं बता सकता। जो कुछ मैंने पढ़ा है, उससे मालूम होता है कि रूस में कुछ मामलों में अब भी अत्याचार होता है।

मुख़बिर की सची क्रान्ति

"फ़ैसिज़्म का उद्देश्य अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बनाना है। इङ्गलैण्ड का उद्देश्य अपने देश को सर्वोपरि बनाना नहीं है। इङ्गलैण्ड का उद्देश्य वहाँ जनसत्ता स्थापित करना है। इङ्गलैण्ड साम्राज्यवादी देश है। साम्राज्यवाद और जनसत्तावाद में अन्तर है। मैं नहीं बतला सकता कि साम्राज्यवाद और फ़ैसिज़्म में क्या अन्तर है। इङ्गलैण्ड का उद्देश्य अन्य देशों पर शासन करना है, जो, मैं यह नहीं कह सकता कि फ़ैसिज़्म के विरुद्ध है।"

रायबहादुर कँवरसेन ने डॉ० किचलू से कहा—"अब आप इसे मुक्ति दीजिए।" और ख़ाँबहादुर अमीरअली ने कहा—"क्या आप राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा उससे लिया चाहते हैं?"

कैलाशपति ने जिरह में कहा—"सच्ची क्रान्ति का अर्थ मैं समझता हूँ, जनता की हालत में मूल परिवर्तन। इसका किसी शासन-प्रणाली से सम्बन्ध नहीं होता। सच्ची क्रान्ति में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार-परिवर्तन सन्निहित होना चाहिए, जो कि बिना शासन-प्रणाली में परिवर्तन के नहीं हो सकता। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं कोई व्यापक उपाय नहीं बतला सकता, किन्तु पददलित देश के लिए सशस्त्र क्रान्ति अनता, फ़ौज और पुलीस द्वारा होनी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए जहाँ आवश्यक हो, व्यक्तिगत हत्या भी की जानी चाहिए। मैं यह नहीं कह सकता कि व्यक्तिगत हत्या को सामूहिक क्रान्ति से प्रथम स्थान मिलना चाहिए। मेरे विचार में सशस्त्र क्रान्ति के बिना सुधारों से मूल अधिकार-परिवर्तन नहीं हो सकता। मेरा स्पष्ट मतलब यह है कि मेरे उद्देश्य की प्राप्ति, यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार-परिवर्तन अहिंसात्मक गाँधीवाद से नहीं प्राप्त हो सकता।"

क्रान्तिकारी परचे किसने लिखे?

शनिवार, ९ दिसम्बर की अदालत की बैठक में शुरू में ही कैलाशपति से जिरह आरम्भ हुई। डॉ० किचलू के जिरह करने पर कैलाशपति ने कहा:—

"मैं पार्टी द्वारा निकाले हुए परचों को विशेष महत्व-पूर्ण नहीं समझता। पार्टी वालों का ख़्याल था कि वे लोग इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। मैं भी यह समझता था कि देश जब स्वतन्त्र हो जायगा, तब हमारी पार्टी का सच्चा इतिहास लिखा जायगा और उस वक्त पार्टी के काग़ज़ात की आवश्यकता होगी। परन्तु हम लोगों ने असली काग़ज़ात को सुरक्षित रखने का प्रयत्न नहीं किया। जहाँ तक मुझे याद है, कर्तारसिंह एक कल्पित नाम था, पार्टी के किसी मेम्बर का नाम न था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, दो या तीन परचे कर्तारसिंह के नाम से निकले थे। इन परचों में से एक था "फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ बम और दूसरा वह था, जिसमें लाहौर कॉङ्ग्रेस के प्रस्ताव की निन्दा की गई थी। ये परचे मेरे सामने नहीं लिखे गए थे, इसलिए मुझे इसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि उसे किसने लिखा था। मैंने उन्हें छपा हुई शक्ल में देखा था। मैं जानता हूँ कि वे पार्टी द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उस व्यक्ति का नाम भी जानता हूँ, जिसने उसे लिखा था।

"मैंने भी कर्तारसिंह के नाम से प्रकाशित परचों में से कुछ को बाँटा होगा। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने किसी पुलीस-अफ़सर से यह नहीं कहा था कि मैंने परचे बाँटे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, ये परचे कई व्यक्तियों द्वारा लिखे गए थे। मैं उन व्यक्तियों के नाम बता सकता हूँ, जिन्होंने ये परचे लिखे थे।

"मैंने 'फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ बम' और 'दि रिव्यो-ल्यूशनरी' दोनों परचे पढ़े हैं।

"मेरी पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसने जनता में काम किया है और अगर कोई मेम्बर इस बात का दावा करता है, तो वह अपनी ज़िम्मेदारी पर कर सकता है। पहिले परचे का ड्राफ़्ट पार्टी की मीटिङ्ग द्वारा पास नहीं हुआ था, किन्तु एक मीटिङ्ग हुई थी, जिसमें यह निश्चय हुआ था कि एक ख़ास ढङ्ग पर एक परचा निकाला जाय।"

जनता में प्रचार-कार्य

इसके बाद डॉ० किचलू ने उस पैरे का ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया था कि गाँधी कभी ग़रीब किसानों और कारख़ानों में काम करने वाले श्रमजीवियों के बीच में नहीं बैठे और उनके सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखते। मुख़बिर ने कहा कि "पार्टी वालों को इसका अनुभव है, हालाँकि पार्टी ने किसानों आदि के बीच में कभी काम नहीं किया है। मैंने भी ऐसे लोगों के बीच में काम किया है। ग्वालियर में, जब कि मैं स्कूल में था, मुझे जनता में मिलने-जुलने का काफ़ी मौक़ा मिला था। अजमेर के आस-पास के गाँवों में भी ऐसा ही अवसर मिला था। मैं मदनगोपाल-डेरी से सम्बन्ध रखने वाले किसानों से मिलता-जुलता था। इस प्रचार-कार्य के लिए मैंने पार्टी के किसी ख़ास मेम्बर को नियुक्त नहीं किया था। इस कार्य के लिए मैंने किसी झोपड़ी में रात नहीं बिताई थी। मैंने अभियुक्त विमलप्रसाद जैन के रिश्तेदार किसानों में कुछ समय व्यतीत किया था। मदनगोपाल-डेरी पहले अजमेर के बाहर की तरफ़ थी और उसके बाद वह अजमेर शहर के अन्दर लाई गई। जहाँ तक मुझे स्मरण है, यह ग़लत है कि डेरी मेरी गिरफ़्तारी के बाद शहर के बाहर ले जाई गई थी। जब मैं पिछली बार अजमेर गया था, वह शहर के अन्दर थी, किन्तु मैं यह नहीं जानता कि मेरी गिरफ़्तारी के वक्त वह कहाँ थी।"

डॉक्टर किचलू ने अदालत के सामने यह स्पष्ट किया कि परचों के बारे में जिरह करने का यह मतलब इस बात को दिखलाना है कि मुख़बिर केवल पार्टी का सङ्गठन करने वाला बनता है, किन्तु वास्तव में वह है नहीं।

वॉयसरॉय की गाड़ी पर हमला

मुख़बिर ने कहा—"मैं परचे में प्रकट किए गए इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं था कि अगर वायसरॉय गाड़ी पर बम चला कर मार डाले गए तो भारत का एक दुश्मन चला जायगा। यह ख़ास लाइन मीटिङ्ग के सामने नहीं रक्खी गई थी, किन्तु भाव यही था। मैं उस वक्त वायसरॉय की गाड़ी पर हमला करने के विरुद्ध था। हमला होने के पहिले परचे के भाव पर विचार किया गया था।

"मैं इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ सकता कि होमरूल, सेल्फ़ गवर्नमेण्ट, रिस्पॉन्सिबिल गवर्नमेण्ट आदि शब्दों का अर्थ क्या है। जो कुछ कि मैं जानता हूँ, यह है कि भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, जोकि लाहौर कॉङ्ग्रेस में कॉङ्ग्रेस का ध्येय घोषित की गई थी।

"जहाँ तक भारत की आज़ादी के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस के ध्येय का सम्बन्ध है, मैं उससे सहमत हूँ। कॉङ्ग्रेस और मेरी पार्टी का ध्येय प्रायः एक ही है। पार्टी का ध्येय साम्यवाद है, जिसमें पूर्ण स्वतन्त्रता आ जाती है और कॉङ्ग्रेस का ध्येय भी पूर्ण स्वतन्त्रता है। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल में क्रान्तिकारियों ने स्वतन्त्रता के पद को ऊँचा कर दिया है। मैं उस वक्त के किसी क्रान्तिकारी का नाम नहीं बतलाऊँगा। मैंने (इन क्रान्तिकारी परचों को) पढ़ कर इस भाव को पसन्द किया था कि उन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है, किन्तु अब यह करना बहुत कठिन है। मैं अब उनकी सेवाओं की क़द्र करता हूँ, क्योंकि अब मेरे विचार बदल गए हैं। परन्तु यह सत्य है कि उन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उनका विचार वही है, जो मेरा है।"

इसके बाद डॉ० किचलू ने मुख़बिर से अन्य परचों के सम्बन्ध में जिरह की।

(क्रमशः)

कविता का युग

श्री० नरसिंहराम जी शुक्ल]

संसार के कुछ अनुभवी लोगों का कथन है कि ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता जा रहा है, त्यों-त्यों मनुष्य-जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक वस्तु में भी कुछ न कुछ अभिवृद्धि होती जा रही है। यही बात हम काव्य-साहित्य के सम्बन्ध में देखना चाहते हैं; परन्तु दिखाई नहीं देती, इसका क्या कारण है? कविता का जीवन से तो बड़ा गहरा सम्बन्ध है। मेथ्यू अरनोल्ड के अनुसार कविता जीवन की ही समालोचना है। कविता मनुष्य-हृदय की वह आनन्दमयी प्रवाहित धारा है, जिसमें वह अनादि काल से लहरें लेता हुआ आ रहा है और अब तक उसकी तृप्ति नहीं हुई है। तब फिर क्या कारण है कि हम इस सभ्यता के युग में कविता को पीछे की ओर खिसकते पाते हैं। हम इस लेख में इसी बात को पाठकों के समक्ष रखना चाहते हैं कि मनुष्य-हृदय-रूपी गङ्गोत्री से निकली हुई कविता-रूपी जाह्नवी की धारा क्योंकर हरिद्वार के पास आ, आधुनिक सभ्यता रूपी शिव की जटा में विलीन हो गई।

अङ्गरेज़ी भाषा में मेकॉले नाम के एक बड़े साहित्य-कार हो गए हैं। इन्होंने अङ्गरेज़ी गद्य में एक विशेष प्रकार की शैली का प्रचार किया है। यह उनके अध्ययन और विद्या-प्रेम का ही फल है। मेकॉले ने अङ्गरेज़ी के प्रायः सभी प्राचीन साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन किया है। उन पर एक से एक गवेषणापूर्ण निबन्ध लिखे हैं। उन तमाम निबन्धों से, जोकि कवियों की जीवनियों और उनको रचनाओं की आलोचना में लिखे गए हैं, एक आवाज़ निकलती है, वह यह कि शेक्सपियर और मिल्टन की तरह रचनाओं का अब जन्म होना कठिन है। आधुनिक और प्राचीन अङ्गरेज़ी कवियों की आलोचना करते हुए मेकॉले कहते हैं—"शेक्सपियर के समय का इङ्गलैण्ड अर्ध-सभ्य कहा जाता है। आज का इङ्गलैण्ड तत्कालीन इङ्गलैण्ड से कई गुना सभ्य है। परन्तु कहाँ हैं वे शेक्सपियर, कहाँ हैं मिल्टन।" मेकॉले के इस विचार ने आधुनिक कवियों में खलबली सी मचा दी है। जो कुछ हो, परन्तु कविता की कसौटी पर खरे उतरने में आधुनिक कवि अवश्य ही पीछे हैं।

मेकॉले की बातें ६,००० मील दूर की हैं। अङ्गरेज़ इतिहासकार भारतवासियों को असभ्य कहते ही हैं। उनके से विचार रखने वाले भारतीय विद्वानों के अनुसार भी प्राचीन भारत वर्तमान भारत से अधिक असभ्य था। परन्तु उस असभ्य भारत ने जो साहित्य-कार, कवि पैदा किए हैं, क्या आज वे पैदा हो सकते हैं? कालिदास, भवभूति, भारवी, वाण आदि की रचनाओं के टक्कर की रचनाएँ आज कहाँ हैं? जो बातें वे सीधी-सादी घटनाओं का उल्लेख करके कह गए हैं, वे बातें आज हमारे 'नीरव गान' और 'टूटी वीणा' के झङ्कार में छाया-मात्र भी नहीं हैं। यद्यपि आज के सभ्य युग में 'गगन छलकता जाता था चुपचाप' कहने वालों की संख्या अर्वाचीन काल के कवियों से कहीं अधिक है, परन्तु अर्वाचीन काल के कवि 'एकश्चन्द्र तमो हन्ति' के समान हैं।

इस सम्बन्ध में एक प्रसङ्ग का उल्लेख कर देना ठीक होगा। काशी के एक उत्साही नवयुवक संस्कृत के पण्डित ने संस्कृत भाषा में एक समय एक पत्र निकालना चाहा था। भारत की अन्य भाषाओं में पत्र निकलते देख कर उनका भी जी ललचा गया था। उनका कहना था कि इन भाषाओं की जननी संस्कृत में एक भी पत्र न निकले, यह संस्कृतज्ञों के लिए बड़ी लज्जा की बात है। बस उन्होंने 'कनवेसिङ्ग' आरम्भ की। जब उनसे पूछा गया कि आप संस्कृत में पत्र निकालने से किस उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं, तो उत्तर दिया कि संस्कृत भाषा की उन्नति और विकास। परन्तु प्रश्नकर्ता ने कहा—'भाई, संस्कृत ने जो उन्नति कर ली है, वह अन्य भाषाएँ सात जन्म में भी नहीं कर सकती हैं। उसकी जो उन्नति हो चुकी है, उससे अधिक हम करने की क्षमता नहीं रखते।' पर पत्र निकाला ही गया। अब तक उसके सैकड़ों अङ्क निकल चुके होंगे। परन्तु यह कहना ही पड़ता है कि ताड़-पत्र, भोज-पत्र पर लिखे हुए उस 'असभ्य कालीन' साहित्य के सामने आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई स्याही और मैशीन से निकले हुए साहित्य की दशा भानु के समक्ष खद्योत सी ही रही।

परन्तु क्या कारण है कि हम पेड़ों और पहाड़ के टीलों पर बसर करने वाले, छाल लपेटने वाले जङ्गली मनुष्यों के समान न हो सके। वे इस क्षेत्र में क्यों कर बाज़ी मार ले [illegible]। जीवन की व्याख्या जो उनकी कविताओं और रचनाओं में पाई जाती है, वह आज क्यों नहीं पाई जाती? प्राचीन और आधुनिक साहित्य की समालोचना करने के उपरान्त मेकॉले आधुनिक साहित्य के विषय में लिखता है—

Fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen from the high state.

इसी तरह हिन्दी-साहित्य के विषय में भी एक किम्बदन्ती है। इस किम्बदन्ती की भाषा देहाती है, इससे प्रकट होता है कि किसी देहाती ही की कही हुई है, परन्तु यदि आप इसके गूढ़ तत्वों पर तनिक विचारेंगे तो समझ जायँगे कि गँवार ने अपनी गँवारू बोली में कितनी मारकेदार बात कह दी है—

बढ़ियाँ रहा सो कठवा[1] कहिगा,
अन्हरा[2] कहेसि अनूठी।
बचा-खुचा सो जोलहा[3] कहिगा,
और कहे सब जूठी॥

एक दूसरी बानगी लीजिए—

सूर-सूर तुलसी शशी उडगण केशवदास।
अब के कवि खद्योत सम जहँ-तहँ करहिं प्रकाश॥

आधुनिक काल के कवियों के लिए यह कहना कि वे 'खद्योत सम जह-तहँ प्रकाश करहिं' बड़ा अपराध है। अभी यहाँ 'खड़ी बोली बनाम ब्रज-भाषा' का झगड़ा चल ही रहा है, महाकवि भूषण भाट बनाए जा रहे हैं और केशव को पालकी ढोने वाले कहार की पदवी दी जा रही है। बिहारी और देव अश्लीलता और दुराचार के प्रचारक मान लिए गए हैं। ख़ैरियत इतनी ही है कि ईश्वर की कृपा से कुछ सज्जन खड़ी और पड़ी बोली में (गाँधी-इर्विन) समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।......ख़ैर, गगन-स्पर्शी अट्टालिकाओं में, ऊँचे-ऊँचे प्रासादों में पढ़ने वाले होनहार कवि 'सूकरखेत' वालों से बढ़ने के लिए अनन्त की ओर, कितना हू दूर क्यों न जायँ, परन्तु उनकी रचनाओं में हमें वह रस नहीं प्राप्त हो सकता। उनकी कविताएँ हमारी आँखों में आँसू नहीं ला सकतीं। हाँ, शरीर में स्वेद चाहे भले ही आ जाय।

इसी भय से अङ्गरेज़ी के आधुनिक विख्यात कवि विलियम मारिस ने अपनी कविता की भूमिका में जनता को पहिले ही सूचित कर देना उचित समझा कि मैं केवल "An idle singer of an empty day"—अर्थात्—"मैं नीरस-युग का एक आलसी गायक हूँ।"

❀ ❀ ❀

महाकवि कालिदास की रचनाएँ किसी भी भाषा के लिए गौरव की वस्तु हैं। वे प्राचीन काल की रचनाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनकी रचनाओं में शकुन्तला सर्वश्रेष्ठ कही जाती है।

परन्तु कालिदास की शकुन्तला कौन थी? मातृ-परित्यक्ता, पितृ-विहीना, जङ्गल की रहने वाली, उसको लिखने के लिए क़लम और स्याही तथा पत्र के स्थान पर हरे पत्ते व नख का प्रयोग करना पड़ता है। यदि किसी इतिहासकार को यह सब प्रमाण किसी 'पत्थर के टुकड़े पर' मिल जाय, तो वह अमुक जाति वा देश को असभ्य प्रमाणित करने में दस-पाँच पृष्ठ रङ्ग डालेगा; परन्तु कालिदास के उस पात्र से तथा आधुनिक नाट्य-कारों की उन पात्रियों से, जो ऊँची-ऊँची आकाश-चुम्बन-कारी कोठियों में रहती हैं, टेलीफ़ोन 'बेतार का तार' और अनेक आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति में पली हुई होती हैं; तनिक तुलना तो कीजिए! कहना पड़ता है कि उसकी और इनकी तुलना में लाखू और भीखू का अन्तर है। सभ्यता की जलती ज्वाला में क्या सचमुच कविता की धारा बुझ जाती है? क्या सचमुच उसकी आनन्दमयी नीरवता नष्ट हो जाती है? इसका इससे बढ़ कर और दूसरा क्या प्रमाण होगा? इस हाय-तोबा के युग में यदि वास्तव में देखा जाय तो कविता की धारा स्वच्छ नहीं रह सकती। उसमें बम्बे का गन्दा जल, पनाले का कीचड़ अवश्य ही मिल जायगा। जो कुछ बचा रहेगा वह भी इस 'खटपट' में साफ़-साफ़ सुनाई नहीं देगा।

इसी खटपट से घबड़ा कर, अङ्गरेज़ी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान वर्ड्सवर्थ ने कहा था—

The world is too much with us.
Getting and sleeping.
We lay waste our power.

सभ्यता के दिखावटीपने से कविता का घोर विरोध है। वर्ड्सवर्थ प्रकृति-प्रेमी था। उसने प्रकृति के सम्बन्ध में अच्छे-अच्छे काव्य लिखे हैं। इस 'खटपट' से उसके प्रकृति-निरीक्षण में बाधा पड़ती थी। परन्तु इसी 'खटपट' को तो 'सभ्यता' कहते हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है—"अच्छा होता, मैं असभ्य ही पड़ा रहता, क्योंकि मैं प्रकृति के आनन्द का रसास्वादन तो कर सकता।"

A pagan suckled in a creed outworn.
So might I, standing on this pleasant sea have glimpses. . . . .

१—तुलसीदास, २—सूरदास, ३—कबीर।

सभ्यता के विकास के सम्बन्ध में अब तनिक विचार कीजिए। बाह्य-संसार, जिसका विशेष सम्बन्ध प्रकृति से ही है, हमारे पूर्वजों के लिए एक तरह से छिपा था। विद्युत भी थी, अन्य वे सभी वस्तुएँ वर्तमान थीं, जिसको खोज कर आधुनिक वैज्ञानिकों ने संसार के अँधेरे को हटाया है। पर वे प्रकृति के गूढ़ रहस्य समझ कर छोड़ दिए जाते थे। ऊँची पर्वत-मालाओं से बहते हुए स्वच्छ निर्झर केवल निर्झर समझे जाते थे। उस समय मनुष्य ने इन पर अधिकार नहीं जमाया था। प्रकृति का ही उस पर अटल अधिकार था। कालान्तर में मनुष्य ने इन गूढ़ रहस्यों का पता लगाया। उसके पुर्ज़े-पुर्ज़े जान लिए, बस उस वस्तु के सम्बन्ध में उसका जो कुछ कौतूहल था, वह सब उसी जगह समाप्त हो गया। किसी अपढ़ गँवार को केवल यही मालूम रहता है कि पत्थर की बनी हुई मूर्ति ही ईश्वर है। बस इसी से समझ लीजिए—ईश्वर के अस्तित्व के अनुभव का आनन्द जो उस गँवार और अपढ़ को होगा, क्या एक अनीश्वर-वादी को कभी हो सकता है!

विज्ञान ने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का भण्डा फोड़ कर, जीवन के आनन्द को सच्चा आनन्द न बना, उसे मशीन बना दिया है। आपके गाँव में भयङ्कर गर्मी पड़ रही है, आप आकुल हो उठे हैं, अब अधिक सहन करना आपके लिए असह्य है। आप शीघ्र ही बदरिका-श्रम की तैयारी करते हैं। वहाँ पहुँचने के पश्चात् शीत-लता का आप अनुभव करते हैं। निदाघ के आतप से आप मुक्त होते हैं। परन्तु वैज्ञानिक लीला देखिए। आपको गरमी अधिक मालूम दे रही है, तो शीघ्र ठण्डे कमरे में चले जाइए, वहाँ का टेम्परेचर (तापमान) शीत-बिन्दु (Freezing point) के समान बनाया गया है। दोनों आनन्द का अनुभव कीजिए।

इस प्रकार धीरे-धीरे विज्ञानवाद ने मनुष्य-जीवन के प्रकृति सम्बन्धी गूढ़ रहस्यों का विच्छेद करना आरम्भ किया। इस सम्बन्ध-विच्छेद को सभ्यता का विकास कहा जाता है। जितने छिपे भेद थे, वे एक-एक कर 'बायस्कोप' के परदे पर आने लगे।

इस सम्बन्ध-विच्छेद से कविता को बड़ा गहरा धक्का लगा। बुलवर लीटन ऐसे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि—

Is life to love religion and poetry?

अर्थात्—क्या जीवन का तात्पर्य केवल धर्म और कविता से प्रेम करना ही है? कविता तो थके-माँदे प्राणी को आराम देने के लिए बनी थी। आजकल विभिन्न प्रकार के सवारी के युग में थकावट आती ही किसको है?

भारतीय साहित्यकारों का कहना है कि वह कविता ही क्या, जिसे सुन कर श्रोता अपने को भूल न जाय? पाठक-वृन्द, आपने देखा भी होगा कि कभी-कभी प्राचीन कवियों की कृतियों को सुनते समय लोग अश्रुपात करने लगते हैं। यदि आजकल के बाबुओं के समाज में भला कोई कविता सुन कर रोने लगे तो देखिए उसकी कितनी खिल्ली उड़ाई जाती है? रोने वाले को लोग अशिक्षित कहने लगते हैं। यही नहीं, वरन् उसे आदि-कालिक (Primitive-age) समझने लगते हैं।

❀ ❀ ❀

कवि कौन हो सकता है? जिस पर सरस्वती की कृपा हो। वाह! महाशय जी, सरस्वती की कृपा कैसी? कवि वह हो सकता है, जो छन्द, पिङ्गल, अलङ्कार पढ़े हो। कविता के सम्बन्ध में यह बात भी विशेष महत्व की है। प्राचीन समय में सौ में एक मेधावी आशु-कवि होते थे, आज के कवियों की संख्या देखिए। बिजली के प्रकाश में बैठे हैं, क़लम को स्याही में बार-बार डुबो रहे हैं, रात के बारह का घण्टा बजा, तब कहीं ध्यान हुआ कि अभी तो चौथा पद बाक़ी ही है। अच्छा इसे भी पूरा कर लें। सूर्य-वंश के कितने ही राजाओं के प्रयत्न करने पर गङ्गा की धारा पहाड़ से नीचे उतरी थी, परन्तु आज तो इञ्जीनियर फ़ाक्स और डॉग साहब उसी जगह से कितनी ही नहरें निकाल रहे हैं।

कविता का विकास हो भी कैसे? समालोचकों से सभी डरते हैं। इस सभ्य युग में समालोचक-रूपी टिपटिप से लोग अधिक डरते हैं, बनिस्बत उस कठिन परिश्रम के, जोकि उन्हें काव्य-रचना में करना पड़ता है। छन्द की गति ठीक नहीं, भाषा-सौष्ठव ठीक नहीं, गति धीमी है, कवि पिङ्गल नहीं जानता, आदि बातें कविता के दोष में गिनाई जाती हैं। परिणाम यह होता है कि कवि इन सबके सुधारने में ही बिगड़ जाता है। परन्तु प्राचीन काल के कवि तो इस विषय में अधिक स्वच्छन्द होते थे। देखिए संस्कृत के किसी विद्वान का यह कथन है—

अपारे कवि संसारे कविरेव प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते॥

कवि तो शब्दों के लिए प्रजापति है। वह अपनी इच्छानुसार उनकी काट-छाँट करता है। वह तर्क और खोजवाद का पक्षपाती नहीं है। वह तो अनुभव और आनन्द चाहता है। वर्ड्सवर्थ कहता है :—

"One moment now may give us more than years of toiling reason."

अतः वह कविता, जो मनुष्य के हृदय से गुदगुदी उत्पन्न करने वाली होती है, जन-साधारण को एक उच्चतम भावना की ओर घसीटने वाली होती है। ऐसी कविता का आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ विकास नहीं, किन्तु ह्रास होता है। मेमोरियम के रचयिता का कहना है—

I strove with none
For none was worth, my strife,
Nature I loved and next to nature, art
I wormed, both hands
Before the fire of life,
It sinks; and I am ready to depart.

साहित्य और कला के प्रेमी जितना आनन्द और सुख शान्ति के युग में पाते हैं, उतना सुख उन्हें अशान्ति के युग में नहीं मिलता। साहित्य का पौधा आजकल के वायु में पनप चाहे सके, उसकी वृद्धि चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो, परन्तु उसकी छाया की शीतलता का आनन्द आज के युग में मिलना कठिन है।

यह सच है कि आजकल के कवि और साहित्यकार प्राचीन काल के कवियों से कहीं अधिक विद्वान हैं, पर विद्वान होने ही से कोई कवि नहीं हो जाता। यदि कवि में कवित्व-शक्ति का स्वाभाविक बीज नहीं, जैसा कि आजकल ९९ प्रतिशत 'कवि' कहे जाने वाले लोग हैं, तो मनुष्य चाहे जितना उद्भट विद्वान हो, उसकी कविता कदापि सरस और मनोहारिणी नहीं होती। रस ही कविता का प्राण है। और जो यथार्थ कवि हैं, उनकी कविता में रस अवश्य होता है।

इसी 'रस' के कारण प्राचीन कवियों की कृतियाँ सराहनीय हैं। संस्कृत साहित्य के वैद्य-कवि लोलिम्बराज ने ठीक ही कहा है—"यतो न नीरसा कविता कुल-कमल-कामिनी।" अर्थात्—कविता रूपिणी कुल-कामिनी नीरस होने से शोभा नहीं पाती।

आधुनिक सभ्यता में कविता ही की अवनति हुई है सो बात नहीं, वरन् हर एक ललित कलाओं की दशा में हेर-फेर हुआ है। अगले किसी लेख में 'प्राचीन भारतीय 'प्रस्तर-कला' के सम्बन्ध में लिखते हुए अन्य कलाओं के ह्रास के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा।

❀ ❀ ❀

[हिज़ होलोनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

इलाहाबादी महाकवि 'अकबर' का कौल है—'बीबियाँ शौहर बनेंगी और शौहर बीबियाँ !' रूस में एक बीबी थी—ज़ारीना, जिसने अपने 'आलमाइटी' ज़ार को वह बन्दर नाच नचाया कि हज़रत अमर के भी चाचा बन गए ! यहाँ हमारे बूढ़े लाट साहब के पीछे मेसर्स मूर-विलियर्स एण्ड कम्पनी नाम की दर्जनों मूँछ वाली बीबियाँ पड़ गई हैं और माशा अल्लाह, ठीक शौहर का काम कर रही हैं। अर्थात् गर्भाधान संस्कार ये बीबियाँ करती हैं और ऑर्डिनेन्स के चूज़े प्रसव करते हैं, मियाँ !

❀

लाखों रुपए दवादारू में स्वाहा हो गए, मङ्गलगान करते-करते गानेवालियों के कण्ठ सूख गए ! लगातार दो महीने तक ऐसी भयङ्कर प्रसव-पीड़ा रही कि बस, कुछ न पूछिए। मालूम होता था कि बी-गोलमेज़ कोई पहाड़ या कङ्गूरा नहीं, तो कम से कम एक हाथी तो अवश्य ही प्रसव करेंगी। मगर अन्त में वही कहावत चरितार्थ हुई कि—"साल भर मिमियानी तो एक चुहिया बियानी !"

❀

अर्थात् भारत को 'प्रॉविन्शियल अटोनोमी' मिलेगी। बबुआ, 'फ़ेडरल-विधान' उर्फ़ युक्त राष्ट्र शासन-तन्त्र' अभी साल भर तक और गर्भस्थ रहेंगे। उसके बाद तीसरी 'मिमियाहट' शुरू होगी, तब टोना-टमानी से बचने के लिए गण्डा-तावीज़ (सेल्फ़गार्ड) धारण किए और काजल का तिलक लगाए—अगर बीच ही में गर्भपात न हो गया तो—बचुआ निकलेंगे।

❀

फिर क्या है, लीजिए पौबारह के मज़े और सँभालिए राज-काज। आपकी भलाई के लिए लाट साहब रुपया-पैसा, पुलिस-पल्टन और पर-राष्ट्र विभाग अपने हाथ में रक्खेंगे। बाक़ी सब आपको सौंप दिया जाएगा। व्यवस्था-परिषदों में लेक्चर झाड़िए, प्रस्ताव कीजिए और शिमला और नैनीताल के मज़े लीजिए। और क्या स्वराज्य के कोई दुम होती है या सींग ?

❀

अल्प संख्यक सम्प्रदाय-समूह की रक्षा का भार और वाणिज्य-नीति सम्बन्धी झगड़े भी आपसे बिल्कुल अलग रहेंगे। ताकि आपके स्वराज्य-सुख में कोई ख़लल न पड़े। मतलब यह है कि दादा साइमन ने जो 'भाग्य-लिपि' अङ्कित कर दी है, उससे अधिक प्राप्त करने के लिए पुण्य-बल अभी आपके पास नहीं है। आपके 'कर्म-कमण्डल' में इससे अधिक की गुञ्जाइश ही नहीं, तो बेचारे दाता क्या करें ?

❀

इसके बाद आपकी जानोमाल की रक्षा महारानी ऑर्डिनेन्स-कृत्या करेंगी। एकादशी की बहिन द्वादशी भी दिल्ली के सूतिकागार से निकल पड़ी हैं। बस, ग़ज़ारूढ़ हुईं कि धमसे आ पहुँचीं। फिर तो ऐसी चहल-पहल रहेगी कि दिन को ही तारे नज़र आवेंगे। आख़िर बिना ऑर्डिनेन्सों के स्वराज्य का मज़ा ही क्या मिलेगा ?

❀

बस जनाब, अब दादा मुग्धानल देव के आज्ञानुसार भारत को चाहिए कि कमर थाम कर बी-ब्रितानिया के साथ सहयोगिता करने को तैयार होजाए और 'हो-हल्ला' मचाना छोड़ कर शान्तिपूर्वक कुछ दिन ऑर्डिनेन्सी शासन के मजे लूटे। साल भर का तो मामला है। क्योंकि अगले साल बी-गोलमेज़ अवश्य एक सुन्दर सा फ़ेडरल प्रसव कर देंगी।

❀

यही आज्ञा हमारे मूर-पन्थी बड़े लाट साहब की भी है। आपने भी ऑर्डिनेन्सी-फ़र्श पर खड़े होकर सहयोगिता के लिए युगल बाहु प्रसारित कर दिया है और भारतवासियों को कनाडा की तरह औपनिवेशिक स्वराज्य का स्वप्न देखते रहने की आज्ञा दी है।

❀

कलकत्ता के 'बेङ्गाल चेम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स' के जलसे में, चाय-पानी के बाद, आपने ऐसी मीठी वक्तृता दे डाली है कि अगर श्रीमती जी के नाराज़ होने का डर न होता तो श्रीजगद्गुरु बूटी में शक्कर घोलने के बजाय लाट साहब की मीठी वक्तृता ही घोल कर छान जाते।

❀

हह, आप हँस रहे हैं, मगर हम गङ्गा मइया की शपथ खाकर कहते हैं, कि अगर आप लाट साहब की रसीली वक्तृता की एक लाइन भी सुन लेते तो जीवन भर होंठ चाटते रह जाते। और आपकी दशा, 'मगन होइ गुड़ खाइ मूक स्वाद किमि कहि सकै' सी हो जाती।

❀

आपकी वक्तृता ठीक आलूबुख़ारे की चटनी की तरह शीरीनी और तुर्शी मिली हुई है। लाट साहब ने उसके पोर-पोर में भारत की कल्याण-कामना भर दी है। हमें तो भय है कि अगर लाट साहब के दिल में भारत की कल्याण-कामना की आँधी योंही कुछ दिन चलती रह गई, तो आप इसके पीछे एक दिन सती हो जाएँगे।

❀

अभी हाल में जो आपने 'मारशियाली' ऑर्डिनेन्स जारी किया है, वह उसी कल्याण-कामना का फल है। बङ्गाल में अशान्ति की आँधी चल पड़ी थी, वहाँ के नागरिकों का जीवन ख़तरे में पड़ गया था ; देश की आर्थिक अवस्था सङ्कट में पड़ गई थी। आज से कई महीने पूर्व बङ्गाल में जो भीषण बाढ़ आई थी, उसका भी असली कारण, अगर सच पूछिए तो बङ्गाली नवयुवकों का ख़ुराफ़ात ही था।

❀

इन्हीं सब कारणों से मजबूर होकर बड़े दुःख के साथ—बल्कि यों कहिए कि कलेजे पर पत्थर रख कर—लाट साहब ने यह ऑर्डिनेन्स जारी किया है और अपनी सुरक्षित सर्टीफ़िकेट-प्रदायिनी शक्ति द्वारा सुस्टर साहब के धन-धान्य विवर्द्धन करों को पास करके भारत में चिर-शान्ति का मार्ग साफ़ कर दिया है।

❀

देखते नहीं, जब से ये दोनों अत्यावश्यक कार्य सम्पन्न हुए हैं, तब से न कहीं बाढ़ का नाम है, न प्लेग और महामारी का। घर-घर शान्ति विराजने लगी है। लक्ष्मीदेवी ऐसा टाँग तोड़ कर बैठ गई हैं कि श्री० बैकुण्ठनाथ के वियोग की भी परवाह नहीं है।

❀

महा व्याधि-ग्रस्त बङ्गाल को निरामय करने के लिए श्रीमान लाट साहब ने जो नुसख़ा तैयार किया है, उसे देख कर बड़े-बड़े 'मदरत' और लॉयलिस्ट तक थिरक उठे हैं और लाट साहब के चिकित्सा-चातुर्य की प्रशंसा में पन्ने के पन्ने रँग चुके हैं। माशा अल्लाह, ऐसी मुजर्रब दवा है कि व्याधि के साथ ही व्याधिग्रस्त को भी शान्त करके छोड़ेगी।

❀

बस, अब कोई चिन्ता की बात नहीं है, 'बेङ्गाल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स' के नीलाचों को चाहिए कि अपने 'होम' से कुछ बड़ी-बड़ी तिजोरियाँ मँगवा कर रख लें। क्योंकि इस ऑर्डिनेन्स के कारण बङ्गाल में विलायती व्यवसाय चमकने ही वाला है। विलायती वस्त्र, बैङ्क और बीमा कम्पनियों के साथ, बङ्गालियों ने बहरामपुर में, 'बहिष्कार' का गँठबन्धन करके ऐसा अनुप्रास मिलाया है कि प्रसिद्ध अनुप्रास-प्रेमी कवि पद्माकर की आत्मा भी खिल उठी होगी।

❀

श्रीमान लाट साहब के इस सर्व व्याधि-विनाशिनी ऑर्डिनेन्सी कृत्या, यों तो सद्गुणों की खान ही है, परन्तु उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जिसे डँसेगी, उसे रोने भी न देगी। अर्थात् लाट साहब के जङ्गी फ़तवे के अनुसार, कोई अख़बार वाला आयुष्मती पुलिस और चामुण्डा मिलिटरी की प्रशंसा में ज़बान भी न हिला सकेगा।

❀

बात यह है कि शान्ति-स्थापना का कार्य पूर्ण शान्ति से होना चाहिए। किसी को कानोंकान ख़बर न हो कि कहाँ क्या हो रहा है। वरना हो-हल्ला मचा कर लोग विप्लोत्पादन कर देंगे, सारा मज़ा बिगड़ जाएगा। इसलिए दयाशील चिकित्सा-चतुर लाट साहब ने क्लोरोफ़ॉर्म की व्यवस्था भी लगे हाथ कर दी है। इससे ऑपरेशन-कार्य बड़ी शान्ति और सहूलियत से हो जायगा और किसी को पता भी न लगेगा कि कहाँ, किस तरह और किस सौभाग्यशाली को देवी कृत्या ने अपने भव-भय-मोचन आलिङ्गन-पाश में आबद्ध किया है।

❀

'काना छेलेर नाना रोग'—इस बङ्गाली कहावत के अनुसार दादा सनातनधर्म के सिर पर भी एक न एक आफ़त आई ही रहती है। इस बुढ़ौती में भी लोग हमारे दादा जी को चैन से भङ्ग-बूटी नहीं छानने देते, इनके विरुद्ध कोई न कोई तूफ़ाने-बेतमीज़ी बरपा ही किए रहते हैं।

❀

महीनों हो गए, नासिक के सनातनी देवताओं का खाना-पीना और चैन से सोना हराम हो रहा है। कुछ उद्दण्ड अछूत मन्दिरों में घुस कर उन्हें बेदीन कर डालने

(शेष मैटर ३८वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

बातचीत

एजेण्टों से—

हमें ४-१२-३१ से १०-१२-३१ तक निम्नलिखित एजेण्टों का रुपया बिक्री के हिसाब में मिला है। अभी तक 'चाँद' की बिक्री का रुपया नहीं मिला है। एजेण्टों को चाहिए कि शीघ्र ही वह भी भेज दें।

संस्था को स्थायी बनाने के लिए हमने इसे एक लिमिटेड कम्पनी का रूप दे दिया है, अतएव एजेण्टों को चाहिए कि चेक या मनीऑर्डर आदि से रुपया तथा पत्र आदि भविष्य में 'चाँद प्रेस, लिमिटेड' के नाम से भेजा करें—

१—श्री० रा० प्र० जी, उरई ... ... २३-)
२—श्री० भू० मि० जी, भवाली ... ... २॥)
३—मेसर्स गौ० शं० रा० गो०, शाहजहाँपुर ३॥-)
४—मेसर्स सं० व०, नजीबाबाद ... ... १०)
५—मास्टर ब० प्र० जी, सागर ... ... ७)
६—मेसर्स ई० द० ली० घ० जोशी, हापुड़ ... १०)

ग्राहकों से—

(१) हमें ४-१२-३१ से १०-१२-३१ तक 'भविष्य' के नीचे लिखे अनुसार पुराने ग्राहकों का रुपया प्राप्त हुआ है। ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म इस प्रकार है :—

ग्राहक-नम्बर			प्राप्त रक़म
२८०३	...	...	३॥)
२६८१	...	...	६॥)
७६७	...	...	२)
१७५७	...	...	३॥)
१५५८	...	...	१२)
१७१३	...	...	४)
३०७७	...	...	३॥)
२८०२	...	...	३॥)
३१३०	...	...	३॥)

(२) ४-१२-३१ से १०-१२-३१ तक नीचे लिखे अनुसार 'भविष्य' के नए ग्राहक बने हैं। उनके ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है। ग्राहकों को चाहिए कि अपना ग्राहक-नम्बर नोट कर लें तथा पत्र आदि भेजते समय इसे अवश्य ही लिखा करें, ताकि उनके लिखे अनुसार कार्यवाही की जा सके :—

ग्राहक-नम्बर	नाम व पता	प्राप्त रक़म
३३१४	श्री० गोपीनाथ जी, दिल्ली ...	६॥)
३३१५	श्री० परमेश्वरप्रसाद राय, बिलासपुर, रामनगर	१२)
३३१६	श्री० मन्त्री जी महोदय, ग्राम-सेवा-कुटीर, केकरी	२)
३३१७	श्री० चम्पालाल जी बाँठिया, भीनासार	६॥)
३३१८	श्री० कुँ० रामप्रतापसिंह जी, निकटपुर (एटा ज़िला) ...	१२)
३३१९	श्री० बद्रीप्रसाद जी शर्मा, धरमपुरी	३॥)
३३२४	श्री० मन्त्री महोदय, विद्यार्थी वाचनालय श्रीदिगम्बर जैन बोर्डिङ्ग, महू	६॥)
३३२५	श्री० चतुरबिहारीलाल जी गुप्ता (पूरनपुर)	३॥)
३३२६	श्री० जगनन्दन जी दुबे, दुबौली, डेहरी	१०)
३३२७	श्री० मदनलाल जी गुप्ता, गोरखपुर	३॥)
३३२८	श्री० नानकचन्द जी खन्ना, हाता हुक्मराय, (गुजराँवाला) ...	३॥)
३३२९	मेसर्स जवरीलाल पन्नालाल जैन, दोहद	१२)

निम्न-लिखित ग्राहकों के पते में परिवर्तन किया गया है :—

११०९, १०७१, १६३५, ३३११, ३२२६, २९८४, २६७१, २१८७।

निम्न ग्राहकों को लिखे अनुसार अङ्क दुबारा भेजे गए हैं, आशा मिले होंगे :—

५७वाँ—१६३५; ५८वाँ—१८३०, २३२६, २९०८, ३२३३; ५९वाँ—६९५, २३२६, ३१८१, ३२३३, २५७४, ३२८२।

निम्न-लिखित ग्राहक-नम्बर के ग्राहकों को आगामी सप्ताह का अङ्क वी० पी० से भेजा जाएगा, आशा है वी० पी० स्वीकार कर कृतार्थ करेंगे :—

३१६८, ३१७६, ३२४९।

❀ ❀ ❀

श्रीजगद्गुरु का फ़तवा

(३७वें पृष्ठ का शेषांश)

पर तुले हुए हैं। देवताओं का गार्जियन-दल अर्थात् पुजारी-पल्टन दिन-रात क़वायद-परेड करती है, मौक़ा पाकर मूँड़मेध भी कर देती है, परन्तु अभागे अछूत डटे ही हैं।

❀

सर्दी का मौसम है, आबोहवा बिगड़ी हुई है। जहाँ-तहाँ Hooping Cough (कुकुर खाँसी)का भी ज़ोर बढ़ रहा है। इसलिए हमें भय हो रहा है कि कहीं इस 'अछूती उत्पात' के दिनों में समय पर भोजन आदि न मिलने के कारण किसी देवता को कोई बीमारी न हो जाए। मगर मालूम नहीं, 'वर्णाश्रम स्वराज्य-सङ्घ' वाले अभी तक क्यों कान में तेल डाले पड़े हैं ?

❀

उधर अछूतों की दढ़ियल मौसियाँ उन्हें शीघ्रातिशीघ्र अपने आग़ोश में लेने के लिए व्याकुल हो रही हैं। उनकी राय है कि अछूत फ़ौरन सुन्नत करा डालें। यह युक्ति हमें भी पसन्द है, मगर सवाल यह है कि इस देश के कई करोड़ अछूतों के लिए बिहिश्त में हूरोग़िलमे कहाँ से आएँगे ? इसलिए हमारी राय है कि अछूतों के ख़तने का इन्तज़ाम करने से पहले ये मौसियाँ काफ़ी तादाद में हूरोग़िलमे प्रसव कर लें तो बेहतर हो, अन्यथा बूढ़े अल्लाह मियाँ बड़ी क़बाहत में पड़ जायँगे।

❀

हमारी नई पहेली

फिर २५) का नक़द पुरस्कार

कृपया नीचे लिखी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लीजिए।

(अ) उत्तर 'भविष्य' में छपे हुए ख़ानों में ही भरना चाहिए। सादे काग़ज़ पर लिखे हुए उत्तर नियम-विरुद्ध समझे जायँगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं किया जायगा।

(आ) उत्तर के साथ 'भविष्य' में छपा हुआ कूपन अवश्य आना चाहिए। काग़ज़ पर हाथ से लिखा हुआ कूपन काम न देगा।

(इ) उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार करके यह देख लेना चाहिए कि क्या पूछा गया है। अनेक पाठकों ने ख़ानों को ख़ाली छोड़ा है और तालिका के शब्दों के आगे उत्त र लिखे हैं। कुछ पाठकों ने केवल एक या दो ख़ाने ही भरे हैं।

(ई) 'भविष्य' के पृष्ठ के अतिरिक्त उत्तर और किसी काग़ज़ पर न लिखा हो, न कोई पत्र ही उसके भीतर रक्खा हो। कुछ पाठक लम्बे-लम्बे पत्र साथ में रख देते हैं। कुछ 'शब्दों' को समझाने और उनके लिए संस्कृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में ख़ूब काग़ज़ रँग कर साथ में रख देते हैं। इन बातों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, न साथ में पुस्तकों आदि की सूची भेजने की ही आवश्यकता है। हम सफल उत्तर-दाताओं से स्वयम् ही उनकी इच्छित पुस्तकों के नाम पूछ लेंगे।

(उ) जहाँ तक हो सके, उसी लिफ़ाफ़े में कविता, लेख, मैनेजर को पत्र आदि नहीं रखने चाहिए। यदि रक्खे भी जाएँ, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध की कोई बात न हो। पत्र पर पता इस प्रकार लिखा हो :—

'भविष्य'—प्रतियोगिता विभाग,
चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

याद रखिए, लिफ़ाफ़े पर व्यवस्थापक, मैनेजर या किसी व्यक्ति का नाम कदापि न लिखा हो।

(ऊ) पाठकों को अपने उत्तर की नक़ल अपने पास रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकले हुए सही उत्तर के साथ उसे मिला सकें। 'भविष्य' की पिछली पहेली के सम्बन्ध में, एक महाशय का पत्र आया है। उन्होंने लिखा है कि सम्पादक के उत्तर से उनका उत्तर अच्छा था और पौमपी यूरोप का कोई भी नगर नहीं है, अतः पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए। हम यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार की पहेलियों के कई उत्तर हो सकते हैं। सम्पादक के पास उनमें से एक उत्तर रहता है। उसी उत्तर के अनुसार पाठकों के उत्तरों की परीक्षा की जाती है। यदि पाठक चाहें तो वे एक से अधिक उत्तर भेज सकते हैं, परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ 'भविष्य' में छपा हुआ कूपन अवश्य आना चाहिए या प्रत्येक कूपन के बदले दो पैसे वाले ।) के टिकट आने चाहिए। साथ ही यह भी बता देना चाहते हैं कि उत्तरों को हम कई बार सावधानी से देखते हैं, अतः इस सम्बन्ध में कोई भी पाठक हमसे किसी प्रकार की लिखा-पढ़ी न करें, न श्री० सहगल जी के नाम कोई पत्र लिखें। यदि किन्हीं को अपना उत्तर फिर दिखलाना हो तो उसके लिए १) फ़ीस साथ आनी चाहिए।

पिछली प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थी कैलाशनाथ कपूर

(ए) ख़ाने जब एक बार भर जायँ तो उनमें फिर कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर नियम-विरुद्ध समझा जायगा। उत्तर एक बार भेज देने पर उसका संशोधन हमारे पास नहीं भेजना चाहिए।

(ऐ) 'भविष्य' में उत्तर भेजने के लिए जो अन्तिम तारीख़ छपती है, उसके बाद आने वाले उत्तरों पर विचार नहीं किया जायगा।

नई पहेली

सूचना

यही पहेली ता० २१ दिसम्बर के अङ्क में भी प्रकाशित होगी। विस्तृत विवरण तथा नियम ता० २१ दिसम्बर को प्रकाशित होंगे। कूपन सँभाल कर रख लीजिए और ता० २१ दिसम्बर के अङ्क में नियमों को पढ़ने के बाद उत्तर भेजिए, इससे पहले आए हुए पत्रों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जायगा।

यहाँ से फाड़िए

मा				एक निकट सम्बन्धी
	स			एक संख्या
प		ना		एक नगर
म	हा	रा		देशी नरेशों का एक पद
म		ह	र	मन को हरने वाला

कूपन नं० ३

ग्राहक-संख्या (यदि स्थायी ग्राहक हैं ______
नाम ______
पता ______

मैंने 'भविष्य' की प्रतियोगिता के नियम पढ़ लिए हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनका पालन करूँगा और सम्पादक के निर्णय को स्वीकार करूँगा, तथा इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार न करूँगा। (जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा न करना चाहें, वे कृपया उत्तर न भेजें।)

यहाँ से फाड़िए

Price As. 4 only. Regd. No. A—2085

बालक-बालिकाओं के लिए उच्च-कोटि का साहित्य

१०७ सुन्दर, सरल एवं शिक्षाप्रद बालोपयोगी कहानियों का अपूर्व संग्रह। पृष्ठ-संख्या २८५; लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी 'हिन्दी-कोविद'। प्रोटेक्टिङ्ग कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) रु० मात्र ! पुस्तक का दूसरा संस्करण छप कर तैयार है। पहिला संस्करण हाथोंहाथ बिक चुका है।

१७ बालोपयोगी सुन्दर हवाई कहानियों का सङ्कलन। पृष्ठ-संख्या २२१; लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी, 'हिन्दी कोविद'। प्रोटेक्टिङ्ग कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥) स्थायी ग्राहकों से १=) मात्र ! पुस्तक का दूसरा संस्करण छप कर तैयार है। पहिला संस्करण हाथोंहाथ बिक चुका है।

कुछ प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियाँ

The Leader :

This is a collection of 107 biographical [s]tories meant for the use of children, [wi]th a foreward by Mrs. Vidywati Saigal. [Th]e subtle influence that stories and [an]ecdotes related in the nursery work on [the] child-mind bears fruit when the child [gro]ws up to be a man or a woman. We [se]e innumerable instances of tender-[hearte]d children turned into cowards and [timid]ly scared creatures, the cause of [who]se weakness could easily be traced [bac]k to ghost stories and blood-freeting [anec]dotes of witch-craft heard in the [nurs]eries. Munshi Zahur Bakhsh and [his p]ublishers appear to be alive to this [whole]ning influence and their efforts in [brin]ging out this volume of short sketches of brave men and women, rulers and patriots, portraying the fine traits of their character, are indeed commendable. *Here is a book one can safely place in the hands of the young and confidently watch for results.*

❀

The Indian Social Reformer :

Manohar Itihasik Kahaniyan - is another book of about 250 pages by the same author consisting of 107 small traditional stories and can be had at Rs. 2, a copy from the publishers. The stories can be easily understood by children and are useful to teach them to emulate the ideal qualities, such as humaneness, compassion, liberal-mindedness, philanthrophy, power of endurance in adverse times etc., as embodied in the characters of great men and women who figured in history. There is nothing to be desired in get-up and style and the book is bound in an attractive form.

The People :

Srijut Zahur Bakhsh is a well-known Hindi writer and has acquired great renown for his Hindi learning. The books under review are two beautiful collections of stories for children. In these he has collected many historical and several other interesting stories. The collection of stories is excellent in both the work. There is no taint of any communal or racial outlook. The outlook is strictly national. The language is simple and beautiful. We recommend these books for the primary Hindi Schools.

❀

The Indian Daily Telegraph :

Manoranjak Itihasik Kahaniyan—published at CHAND Karyalaya, Allahabad is a collection of short stories from ancient history, written in plain and homely Hindi with interesting and instructive plot; they will help much in the formation of character of young children. It will also be found useful for the teaching of primary Hindi.

Manoranjak Kahaniyan is the name of one of the series of impending publications intended by the writer for impressing on the receptive minds of children who are naturally fond of hearing stories, the various deeds and problems of the adventurous lives of heroic personalities in a novel manner. It contains 17 narratives extending to about 200 pages written in chaste simple style to suit the tastes of boys and girls in their rudimentary educational stages and to help them in their studies. It will be found useful to beguile the idle hours of relaxation and at the same time promote knowledge.

The Nation :

These short historical stories (to be precise anecdotes) for boys are undoubtedly fascinating. The book is well bound and the get-up is attractive. It opens with the very popular story of Pandit Bopdeo who climbed to the summit of cultural glory from the mire of iliteracy in which the pig-headed truant wallowed. He had despaired of his brains, but a significant incident by a well-side fired him with new hope. Later *Bopdeo* became a house-hold word for his unsurpassed erudition. The book is jammed with such 107 interesting and didactic stories. Persons of all clime and countries have been requisitioned to set an ideal for the boys. Alexander, Omar, Harun Rashid, Edward, Zebbunisa, Ram Singh, Vidya Sagar, Ranade, Shahjahan, Shivaji, Washington, Dayanand and Mahatmaji make an admirable galaxy. Mr. Zahur Bakhsh has established for himself a sound reputation in Hindi literature as a writer of books for boys. His crisp and simple and unpretentious style is suited to the peculiar task he has undertaken.

❀

प्रभात :—

पुस्तक के आदि में श्रीमती विद्यावती सहगल सञ्चालिका 'चाँद' की छोटी सी डेढ़ पृष्ठ की भूमिका है। छपाई और जिल्द प्रशंसनीय है। यह पुस्तक बालकों के बड़े काम की है। इसमें सभी जातियाँ, ग़रीब, अमीर, राव, रङ्क की सच्ची ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। मूल्य भी बहुत ही कम रक्खा गया है। ऐसी पुस्तकें भाषा में अवश्य होनी चाहिए। बालक भी इन्हें बड़े चाव से पढ़ेंगे। महात्मा गाँधी, ऋषि दयानन्द सम्बन्धी कहानियाँ भी अङ्कित की गई हैं।

(इस प्रकार की सैकड़ों सम्मतियाँ हमारे पास मौजूद हैं; किन्तु स्थानाभाव के कारण उनका एक साथ प्रकाशित करना सम्भव नहीं है)

चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक—इलाहाबाद

Edited, Printed and Published for and on behalf of the Chand Press, Limited, by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.